राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ की 167वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ की 167वीं बैठक दिनांक 14/03/2024 को अपरान्ह 02:00 बजे संपन्न हुई।

बैठक के प्रारंभ में तकनीकी अधिकारी, सचिवालय, राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण द्वारा उपस्थित प्राधिकरण के सदस्यों का स्वागत किया गया। तदुपरांत एजेण्डावार चर्चाकर निम्नानुसार निर्णय लिया गया।

एजेण्डा आयटम क्रमांक–1 **राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ की 166वीं बैठक दिनांक 05/03/2024 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।**

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ की 166वीं बैठक दिनांक 05/03/2024 को आयोजित की गई थी। प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा आयटम क्रमांक–2 **राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्याकंन समिति, छत्तीसगढ़ की 505वीं, 506वीं एवं 507वीं बैठक क्रमशः दिनांक 22/12/2023, 09/01/2024 एवं 10/01/2024 की अनुशंसा के आधार पर औद्योगिक परियोजना एवं गौण/मुख्य खनिजों संबंधी प्रकरणों में निर्णय लिया जाना।**

1. **मेसर्स श्री श्याम एथेनॉल एण्ड स्प्रीट्स प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–मुड़पार, तहसील–अकलतरा, जिला–जांजगीर–चांपा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2267)**

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /आईएनडी2 /414364 /2023, दिनांक 13/01/2023 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /आईएनडी2 /449566 /2023, दिनांक 21/10/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम–मुड़पार, तहसील–अकलतरा, जिला–जांजगीर–चांपा स्थित खसरा क्रमांक 158/4, 159/1, 160, 164, 165, 168/4, 188/1, 168/6ख, 199/2, 169/1, 169/2, 170, 171, 172, 173/1, 173/2, 174, 175, 199/3 एवं 168/1(पॉर्ट), कुल क्षेत्रफल – 11.1 हेक्टेयर (शासकीय भूमि 7.186 हेक्टेयर, निजी भूमि 3.914 हेक्टेयर) में प्रस्तावित ग्रेन बेस्ड डिस्टीलरी (एथेनॉल/इएनए) क्षमता – 195 किलोलीटर प्रतिदिन एवं को–जनरेशन पॉवर प्लांट – 7 मेगावॉट हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना के विनियोग की कुल लागत 250 करोड़ होगी।

पूर्व में एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 312, दिनांक 03/05/2023 द्वारा प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग

इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 5(जी) डिस्टीलरी (Distillery) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) जारी किया गया है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 15/12/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 505वीं बैठक दिनांक 22/12/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री रमेश सुल्तानिया, डॉयरेक्टर एवं पर्यावरण सलाहकार मेसर्स ए. एम.पी.आई. इन्वायरो प्राईवेट लिमिटेड, हैदराबाद की ओर से श्री विपिन कुमार उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –**

   - निकटतम आबादी ग्राम–मुड़पार 800 मीटर की दूरी पर स्थित है। स्कूल ग्राम–मुड़पार 800 मीटर, अस्पताल अकलतरा 6.5 कि.मी. तथा रेलवे स्टेशन कापन 2.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। बिलसा देवी विमानपत्तन, बिलासपुर 38 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 850 मीटर दूर है। चिरका नाला 1 कि.मी. एवं कांजी नाला 1.8 कि.मी. दूर है।

   - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

2. **भूमि संबंधी जानकारी** – भूमि पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 168/1 शासकीय भूमि है। शेष खसरा क्रमांक 158/4, 159/1, 160, 164, 165, 168/4, 188/1, 168/6ख, 199/2, 169/1, 169/2, 170, 171, 172, 173/1, 173/2, 174, 175, 199/3 श्री श्याम एथेनॉल एण्ड स्प्रीट्स प्राईवेट लिमिटेड के नाम पर है।

3. **लीज का विवरण** – लीज मेसर्स श्री श्याम एथेनॉल एण्ड स्प्रीट्स प्राईवेट लिमिटेड के नाम पर है। लीज डीड 99 वर्षो अर्थात् दिनांक 11/02/2022 से 10/02/2121 तक है।

4. **लेण्ड एरिया स्टेटमेंट –**

Land Use	Area (in Sqm)	Area (%)
Built-up Area	20,709	18.7
Area under utility	6,448	5.8
Area under road	16,217	14.6
Green Belt Area	44,393	40.0
Parking Area	19,331	17.4
Open area	3,902	3.5
Total	**1,11,000**	**100**

5. रॉ–मटेरियल –

S. No.	Raw Material/ Fuel	Source	Quantity (TPD)	Method of Transport
1.	Multi Grain (Rice, Maize, Bajra, Jowar, Corn, sorghum grain Waste/damaged broken rice and other starch-based grains, etc.) Unfit to Human consumption	Local area (Chhattis-garh)	445	By Road through covered trucks
Fuel for 1X55 TPH Boiler				
1.	Biomass	Local	336	By Road through covered trucks
or				
2.	Indian coal	SECL	258	By Road through covered trucks

6. प्रस्तावित उत्पादन इकाईयों संबंधी जानकारी –

S.No.	Name of Product	Production Capacity
1.	Extra Neutral Alcohol / Ethenol	195 KLPD
2.	Electricity	7.0 MW*
By-Products		
1.	DDGS (Distillers Dried Grain Solubles)	101 TPD
2.	CO_2 Recovery form Fermentation Process	91 TPD
Note: *The 55 TPH Boiler is proposed to meet the steam requirement.		

7. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – प्रस्तावित परियोजना में 01 नग फ्लुडाईज्ड बेड कम्बशन बॉयलर क्षमता 55 टीपीएच लगाया जाना प्रस्तावित है। बॉयलर में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु ई.एस.पी. लगाया जाना प्रस्तावित है, SO_x उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु लाईम डोजिंग किया जाना प्रस्तावित है तथा NO_x उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु लो बरनर्स विथ थ्री स्टेज कम्बशन, फ्लू गैस रि–सर्कुलेशन एवं ऑटो कम्बशन कंट्रोल सिस्टम की स्थापना प्रस्तावित है। बॉयलर में ईंधन के रूप में कोयला एवं बॉयोमास का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। बॉयलर में पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन की मात्रा 30 मिलिग्राम प्रति सामान्य घनमीटर, SO_x उत्सर्जन की मात्रा 100 मिलिग्राम प्रति सामान्य घनमीटर एवं NO_x उत्सर्जन की मात्रा 100 मिलिग्राम प्रति सामान्य घनमीटर से कम रखा जाना प्रस्तावित है। बॉयलर में चिमनी की ऊंचाई 55 मीटर रखा जाना प्रस्तावित है। अन्य धूल उत्सर्जन बिन्दुओं पर फ्युम एक्सट्रेक्शन सिस्टम के साथ बैग फिल्टर एवं जल छिड़काव की व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित है। कन्व्हेयर बेल्ट्स को ढंका जाना प्रस्तावित है। क्लोज्ड इंटर लॉकिंग की व्यवस्था की जाएगी जिससे ई. एस.पी. के बंद होने पर रॉ–मटेरियल फीडिंग स्वतः ही बंद हो जावेगी।

लोडिंग/अनलोडिंग में डस्ट सप्रेशन हेतु वॉटर स्प्रिंकलर्स की व्यवस्था की जाएगी। चिमनी में ऑनलाईन कंटिनुअस इमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम लगाया जाना प्रस्तावित है।

8. **ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था –**

Details of Hazardous Wastes				
S. No.	**Solid waste/ by products**		**Quantity (TPD)**	**Disposal/Management**
1.	DDGS		101	Will be sold as cattle feed/ fish feed/ prawn feed
2.	Boiler Ash	When 100% Indian coal is used	103	Ash generated will be utilized for making bricks in the brick making unit
		Or		
		When 100% biomass	53	Ash generated will be utilized for making bricks in the brick making unit

9. **परिसंकटमय अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था** – प्रस्तावित परियोजना से परिसंकटमय अपशिष्ट के रूप में वेस्ट ऑयल 0.5 किलोलीटर प्रतिवर्ष एवं यूज्ड बैटरी जनित होगा। वेस्ट ऑयल को एच.डी.पी.ई. ड्रम्स में रखा जाकर अधिकृत रिसायकलर को प्रदाय किया जायेगा तथा यूज्ड बैटरी को सप्लायर्स को वापस प्रदाय किया जायेगा।

10. **जल प्रबंधन व्यवस्था –**

- **जल खपत एवं स्त्रोत** – परियोजना हेतु कुल 4,174 घनमीटर प्रतिदिन (औद्योगिक प्रक्रिया हेतु 4,162 घनमीटर प्रतिदिन एवं घरेलू उपयोग हेतु 12 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। रि–साईकल्ड जल की मात्रा 3,126 घनमीटर प्रतिदिन होगी। आवश्यक फ्रेश वॉटर की मात्रा 1,048 घनमीटर प्रतिदिन होगी। वर्तमान में 900 घनमीटर हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है, जिसकी वैधता दिनांक 06/09/2025 तक है। परिसर के भीतर वॉटर स्टोरेज टैंक क्षमता 35,530.4 घनमीटर की स्थापना का प्रस्ताव है। शेष जल की आपूर्ति उक्त वॉटर स्टोरेज टैंक में एकत्रित जल के माध्यम से की जाएगी।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – औद्योगिक प्रक्रिया से 1,939 घनमीटर प्रतिदिन दूषित जल उत्पन्न होगा। डिस्टीलरी इकाई से उत्पन्न दूषित जल (स्पेंट लीज, प्रोसेस कंडनसेट, कूलिंग टावर ब्लोडाउन आदि) के उपचार हेतु ई.टी.पी. लगाया जाना प्रस्तावित है। घरेलू दूषित जल की मात्रा 09 घनमीटर प्रतिदिन होगी, जिसके उपचार हेतु एमबीबीआर तकनीक आधारित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्षमता 10 घनमीटर प्रतिदिन की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। डिसइन्फेक्शन हेतु सोडियम हाईपोक्लोराईड का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित प्रक्रिया से स्पेंट वॉश की मात्रा 1,170 घनमीटर प्रतिदिन जनित होगा। मल्टी इफेक्ट इवेपोरेटर से निकलने वाले स्पेंट वॉश को ड्रायर के माध्यम से सुखाकर डी.डी.जी.एस. का उत्पादन किया जायेगा, जिसे पशु के चारा / मछली के चारा (Cattle feed /fish feed) हेतु विक्रय किया जाएगा। मल्टी इफेक्ट इवेपोरेटर से जनित कण्डनसेट को पुनः प्रक्रिया में उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। ई.टी.पी. एवं एस.टी.पी. के निकासी

बिन्दुओं में कन्टीन्युअस वॉटर एफ्ल्यूऐन्ट सिस्टम की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। ई.टी.पी. से उपचार उपरांत जल का उपयोग पुनः प्रक्रिया एवं वृक्षारोपण में उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। एस.टी.पी. से उपचार उपरांत जल का उपयोग जल छिड़काव, वृक्षारोपण आदि में उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाएगी।

- **भू–जल उपयोग प्रबंधन** – उद्योग स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेफ जोन में आता है। जिसके अनुसारः–

  (अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 40 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

  (ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / ऑर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू–जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। अतः उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – उद्योग परिसर में वर्षा जल का कुल रनऑफ 56,405 घनमीटर है, जिसमें से कुल रनऑफ के 20,874.6 घनमीटर को रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 15 नग रिचार्ज पिट (लंबाई 2.5 मीटर, चौड़ाई 2.5 मीटर, गहराई 2.5 मीटर) निर्मित किया जाना प्रस्तावित है एवं कुल रनऑफ के शेष 35,530.4 घनमीटर को वाटर स्टोरेज टैंक में स्टोर एवं उपचारित कर प्रक्रिया में पुनः उपयोग किया जाएगा।

11. **विद्युत आपूर्ति स्त्रोत** – परियोजना हेतु 7 मेगावाट विद्युत की आवश्यकता होगी। विद्युत की आपूर्ति केप्टिव को–जनरेशन पॉवर प्लांट से की जाएगी। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 1,000 के.व्ही.ए. का डी.जी. सेट (30 मीटर ऊचांई) स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

12. **वृक्षारोपण संबंधी जानकारी** – प्रस्तावित परियोजना हेतु 4.43 हेक्टेयर (40 प्रतिशत) क्षेत्र में 11,100 नग पौधे रोपित किया जाना प्रस्तावित है। परिसर के चारों ओर 10 मीटर से 20 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में वृक्षारोपण किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कुल 11,100 नग पौधों के लिए राशि 7,32,700 रूपये, खाद के लिए राशि 83,400 रूपये, सिंचाई आदि के लिए राशि 3,00,000 रूपये, रख–रखाव के लिए राशि 1,92,000 रूपये एवं अन्य खर्च के लिए राशि 50,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 13,58,100 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 18,94,400 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

13. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण** :–

    i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य 15 अक्टूबर, 2022 से 15 जनवरी, 2023 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 8 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 3 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 6 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है। उक्त मॉनिटरिंग हेतु फोटोग्राफ्स एवं पंचनामा प्रस्तुत किया गया है।

ii. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पीएम, एसओ$_2$, एनओ$_2$ का सान्द्रण लेवलः–

Concentration level (µg/m^3) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	**Minimum (µg/m^3)**	**Maximum (µg/m^3)**	**CPCB Standard (µg/m^3)**
$PM_{2.5}$	20.0	37.2	60
PM_{10}	41.6	75.4	100
SO_2	6.0	13.8	80
NO_2	9.0	16.5	80

iii. **परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ताः–** ई.आई.ए. के Chapter-3 Description of environment में दर्शाये गये टेबल अनुसार क्लोराइडस, नाइट्रेट्स, सल्फर, कार्बोनेट्स, लेड, आर्सेनिक एवं अन्य रसायनिक तत्वों का सान्द्रण लेवल भारतीय मानक से कम है।

iv. **परिवेशीय ध्वनि स्तरः–**

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	**Minimum dB (A)**	**Maximum dB (A)**	**CPCB Standard dB (A)**
Day L_{eq}	49.6	70.4	75
Night L_{eq}	39.7	65.6	70

जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

v. **पी.सी.यू. की गणनाः–** भारी वाहनों / मल्टीएक्शल हैवी वाहनों को समाहित करते हुये ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग 149बी में वर्तमान में 282 पी.सी.यू. प्रतिघंटा एवं व्ही/सी अनुपात (V/C ratio) 0.18 है। प्रस्तावित परियोजना उपरांत 14.6 पी.सी.यू. की वृद्धि होगी। तत्पश्चात् कुल 296.6 पी.सी.यू. प्रतिघंटा एवं व्ही/सी अनुपात (V/C ratio) 0.2 होगी। विस्तार के उपरांत भी रॉ–मटेरियल / प्रोडक्ट्स के परिवहन हेतु सड़क मार्ग की लोड कैरिंग क्षमता निर्धारित मानक (Very Good) के भीतर है।

vi. **जी.एल.सी. की गणना –**

Net resultant maximum concentration During the operation of the project (APCS working Scenario) - as per baseline data			
ITEM	**PM_{10} (µg/m^3)**	**SO_2 (µg/m^3)**	**NO_x (µg/m^3)**
Maximum baseline Concentration in the study area	75.4	13.8	16.5
Maximum predicted incremental rise in concentration due to the proposed project	0.88	8.0	1.87
Net Resultant concentrations during operation	**76.28**	**21.8**	**18.37**
National Ambient Air Quality Standards	100	80	80
The net resultant Ground level concentrations during operation of the Proposed project are within the NAAQS.			

14. लोक सुनवाई दिनांक 12/09/2023 प्रातः 11:00 बजे स्थान – योगेश स्मृति भवन अकलतरा, तहसील–अकलतरा, जिला–जांजगीर–चांपा में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 16/10/2023 द्वारा प्रेषित किया गया है।

15. **जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:–**

i. अकलतरा नगर में पहले से ही पानी की समस्या है। बरसात में भी जल की आपूर्ति घरों में बराबर नहीं हो पा रही है। इस प्लांट के लगने से भूमिगत जल स्त्रोत और कम होगा, जिससे पीने के पानी की समस्या और बढ़ेगी व किसानों के खेतों के नल कूप सूख जायेगें।

ii. प्लांट के माध्यम से गांव की शासकीय भूमि व गोचर भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा हैं उक्त प्लांट खोलने से गोचर भूमि की समस्या होगी एवं गांव की शुध्द वातावरण भी प्रभावित होगी।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावकों की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसलटेंट का कथन निम्नानुसार है:–

i. भू–जल उपयोग के लिये सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति ली जायेगी। भू–जल पर किसी भी तरह का नकारात्मक प्रभाव ना पडे, इसके लिये सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी की गाईडलाईन्स का पालन किया जायेगा।

ii. हमने मानदंडों के अनुसार भूमि अर्जित की हैं। प्रस्तावित परियोजना शून्य तरल निर्वहन मानदंडों पर आधारित है। आसपास के क्षेत्र में जल प्रदूषण नहीं होगा। हमने सीपीसीबी मानदंडों के अनुसार प्रदूषकों को नियंत्रित करने के लिये ईएसपी का प्रस्ताव दिया है।

16. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Additional Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
25000	2% of 100 crore + 1.5% of 150 crore	425	Following activities at,	
			1. Eco park at khasra no. 168/1 of village Mudpar	45.82
			2. Development of Pond at khasra no. 392/1 of village Mudpar	52.15
			3. Development of Eco library at	8.0

			School, Mudpar	
			4. Plantation at khasra no. 168/1 cremation ground of village Mudpar	10.14
			5. Eco Park at khasra no. 1780/1 of village Banari	37.71
			6. Development of Pond at khasra no. 41 of village Banari	41.6
			7. Plantation at school, Banari	11.9
			8. Plantation at khasra no. 1780/1 cremation ground of village Banari	9.65
			9. Water Facility at School, Banari	10.0
			10. Eco Park at khasra no. 211/1 of village Parsada	30.93
			11. Development of Pond at khasra no. 321 of village Parsada	35.45
			12. Plantation at school, Parsada	9.2
			13. Plantation at khasra no. 211/1 cremation ground of village Parsada	11.45
			14. Eco Park at khasra no. 838/1 of village Hati Tikra	31.14
			15. Development of Pond at khasra no. 478 of village Hati Tikra	44.01
			16. Plantation at school, Hati Tikra	9.4
			17. Plantation at khasra no. 838/1 cremation ground of village Hati Tikra	11.6
			18. Development of Eco library at School, Amartal	5.0
			19. Water Facility at Village Panchayat office, Nawapara	10.0
			Total	**425.15**

परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य प्रस्तावित किये गये है–

- ग्राम–मुड़पार में "पवित्र वन निर्माण (ईको पार्क)" के तहत् (पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल, जामुन आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 6,450 नग पौधों, सिचाई एवं खाद के लिए राशि 16,77,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 3,25,000 रूपये, रख–रखाव के लिए राशि 3,28,500 रूपये तथा अन्य कार्य के लिये राशि 1,82,500 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 25,13,000 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 20,68,650 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। सी.ई.आर. के तहत् "पवित्र वन निर्माण (ईको पार्क)" हेतु ग्राम पंचायत–मुड़पार के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 168/1, क्षेत्रफल 3.5 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।
- ग्राम–मुड़पार में तालाब के विकास कार्य के तहत् 5,950 वर्गमीटर क्षेत्रफल एवं 2 मीटर गहराई में खुदाई कर पिचिंग कार्य हेतु राशि 41,65,000 रूपये व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।
  साथ ही तालाब के चारों ओर कुल 480 नग पौधों को रोपण किया जाएगा। वृक्षारोपण हेतु (आम, जामुन, कटहल आदि) प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों, फेंसिंग, सिचाई एवं खाद के लिए राशि 1,72,800 रूपये तथा रख–रखाव के लिए राशि 1,64,250 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 3,37,050 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 7,13,016 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। अर्थात ग्राम पंचायत मुड़पार के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान खसरा क्रमांक 392/1, क्षेत्रफल 0.595 हेक्टेयर में स्थित तालाब के विकास एवं चारों ओर वृक्षारोपण हेतु कुल 52,15,000 रूपये व्यय के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।
- ग्राम–मुड़पार के स्कूल में ईको लाईब्रेरी के निर्माण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार लाईब्रेरी के आधारभूत संरचना के लिए राशि 3,00,000 रूपये, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित किताबों, अध्ययन सामग्री के लिए राशि 3,25,000 रूपये एवं कम्प्यूटर के लिए राशि 1,80,000 रूपये इस प्रकार कुल राशि 8,05,000 रूपये हेतु व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। प्रधानपाठक का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
- ग्राम–मुड़पार के अंतर्गत मुक्तिधाम में वृक्षारोपण (नीम, आम, जामुन, कटहल, कदम, करंज आदि) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 510 नग पौधों, सिचाई एवं खाद के लिए राशि 1,32,600 रूपये तथा रख–रखाव के लिए राशि 1,64,250 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 2,96,850 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 7,16,670 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत मुड़पार के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 168/1, क्षेत्रफल 1.5 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।
- ग्राम–बनारी में "पवित्र वन निर्माण (ईको पार्क)" के तहत् (पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल, जामुन आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 4,300 नग पौधों, सिचाई एवं खाद के लिए राशि 11,18,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 2,85,000 रूपये, रख–रखाव के लिए राशि 3,28,500 रूपये तथा अन्य कार्य के लिये राशि 2,22,500 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि

19,54,000 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 18,17,100 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। सी.ई.आर. के तहत् "पवित्र वन निर्माण (ईको पार्क)" हेतु ग्राम पंचायत बनारी के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 1780/1, क्षेत्रफल 2.5 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

- ग्राम–बनारी में तालाब के विकास कार्य के तहत् 4,500 वर्गमीटर क्षेत्रफल एवं 2 मीटर गहराई में खुदाई कर पिचिंग कार्य हेतु राशि 31,50,000 रूपये व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।
  साथ ही तालाब के चारों ओर कुल 390 नग पौधों को रोपण किया जाएगा। वृक्षारोपण हेतु (आम, जामुन, कटहल आदि) प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों, फेंसिंग, सिचाई एवं खाद के लिए राशि 1,40,400 रूपये तथा रख–रखाव के लिए राशि 1,64,250 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 3,04,650 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 7,02,513 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। अर्थात ग्राम पंचायत बनारी के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान खसरा क्रमांक 41, क्षेत्रफल 0.45 हेक्टेयर में स्थित तालाब के विकास एवं चारों ओर वृक्षारोपण हेतु कुल 41,60,000 रूपये व्यय के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।
- ग्राम–बनारी के शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला में वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 780 नग पौधों, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई के लिए राशि 2,80,800 रूपये तथा रख–रखाव के लिए राशि 1,64,250 रूपये इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 4,45,050 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 7,48,026 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। प्रधानपाठक का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
- ग्राम–बनारी के अंतर्गत मुक्तिधाम में वृक्षारोपण (नीम, आम, जामुन, कटहल, कदम, करंज आदि) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 380 नग पौधों, सिचाई एवं खाद के लिए राशि 98,800 रूपये तथा रख–रखाव के लिए राशि 1,64,250 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 2,63,050 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 7,01,460 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत बनारी के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 1780/1, क्षेत्रफल 1.0 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।
- ग्राम–परसदा में "पवित्र वन निर्माण (ईको पार्क)" के तहत् (पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल, जामुन आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 4,680 नग पौधों, सिचाई एवं खाद के लिए राशि 12,16,800 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 2,85,000 रूपये, रख–रखाव के लिए राशि 1,64,250 रूपये तथा अन्य कार्य के लिये राशि 2,22,500 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 18,88,550 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 12,04,560 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। सी.ई.आर. के तहत् "पवित्र वन निर्माण (ईको पार्क)" हेतु ग्राम पंचायत मुड़पार के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 211/1, क्षेत्रफल 2.8 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

- ग्राम–परसदा में तालाब के विकास कार्य के तहत् 5,470 वर्गमीटर क्षेत्रफल एवं 2 मीटर गहराई में खुदाई कर पिचिंग कार्य हेतु राशि 26,25,600 रूपये व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।
  साथ ही तालाब के चारों ओर कुल 200 नग पौधों को रोपण किया जाएगा। वृक्षारोपण हेतु (आम, जामुन, कटहल आदि) प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों, फेंसिंग, सिचाई एवं खाद के लिए राशि 72,000 रूपये तथा रख–रखाव के लिए राशि 1,64,250 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 2,36,250 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 6,80,340 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। अर्थात ग्राम पंचायत मुड़पार के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान खसरा क्रमांक 321, क्षेत्रफल 0.547 हेक्टेयर में स्थित तालाब के विकास एवं चारों ओर वृक्षारोपण हेतु कुल 35,45,000 रूपये व्यय के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।
- ग्राम–परसदा के शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला में वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 260 नग पौधों, खाद एवं सिंचाई के लिए राशि 67,600 रूपये तथा रख–रखाव के लिए राशि 1,64,250 रूपये इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 2,31,850 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 6,87,420 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। प्रधानपाठक का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
- ग्राम–परसदा के अंतर्गत मुक्तिधाम में वृक्षारोपण (नीम, आम, जामुन, कटहल, कदम, करंज आदि) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 680 नग पौधों, फेंसिंग, सिचाई एवं खाद के लिए राशि 2,44,800 रूपये तथा रख–रखाव के लिए राशि 1,64,250 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 4,09,050 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 7,36,358 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत मुड़पार के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 211/1, क्षेत्रफल 1.2 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।
- ग्राम–हाथि टिकरा में "पवित्र वन निर्माण (ईको पार्क)" के तहत् (पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल, जामुन आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 4,710 नग पौधों, सिचाई एवं खाद के लिए राशि 12,24,600 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 2,95,000 रूपये, रख–रखाव के लिए राशि 1,64,250 रूपये तथा अन्य कार्य के लिये राशि 2,22,500 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 19,06,350 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 12,08,070 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। सी.ई.आर. के तहत् "पवित्र वन निर्माण (ईको पार्क)" हेतु ग्राम पंचायत हाथि टिकरा के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 838/1, क्षेत्रफल 2.8 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।
- ग्राम–हाथि टिकरा में तालाब के विकास कार्य के तहत् 6,440 वर्गमीटर क्षेत्रफल एवं 2 मीटर गहराई में खुदाई कर पिचिंग कार्य हेतु राशि 31,87,800 रूपये व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।
  साथ ही तालाब के चारों ओर कुल 410 नग पौधों को रोपण किया जाएगा। वृक्षारोपण हेतु (आम, जामुन, कटहल आदि) प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों, फेंसिंग, सिचाई एवं खाद के लिए राशि 1,47,600 रूपये तथा रख–रखाव के लिए राशि 1,64,250 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 3,11,850

रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 7,04,847 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। अर्थात ग्राम पंचायत हाथि टिकरा के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान खसरा क्रमांक 478, क्षेत्रफल 0.644 हेक्टेयर में स्थित तालाब के विकास एवं चारों ओर वृक्षारोपण हेतु कुल 44,01,000 रूपये व्यय के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

- ग्राम–हाथि टिकरा के शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला में वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 310 नग पौधों, खाद एवं सिंचाई के लिए राशि 80,600 रूपये तथा रख–रखाव के लिए राशि 1,64,250 रूपये इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 2,44,850 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 6,93,270 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। प्रधानपाठक का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
- ग्राम–हाथि टिकरा के अंतर्गत मुक्तिधाम में वृक्षारोपण (नीम, आम, जामुन, कटहल, कदम, करंज आदि) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 710 नग पौधों, फेंसिंग, सिचाई एवं खाद के लिए राशि 2,55,600 रूपये तथा रख–रखाव के लिए राशि 1,64,250 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 4,19,850 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 7,39,857 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत हाथि टिकरा के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 838/1, क्षेत्रफल 0.75 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।
- ग्राम–अमरताल के स्कूल में ईको लाईब्रेरी के निर्माण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार लाईब्रेरी के आधारभूत संरचना के लिए राशि 2,00,000 रूपये, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित किताबों, अध्ययन सामग्री के लिए राशि 2,10,000 रूपये एवं कमप्यूटर के लिए राशि 90,000 रूपये इस प्रकार कुल राशि 5,00,000 रूपये हेतु व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। प्रधानपाठक का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
- ग्राम–नवापारा में वॉटर फिल्टर प्लांट निर्माण के लिए राशि 10,00,000 रूपये हेतु व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। ग्राम पंचायत बिरकोनी का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा "That the products made will be Extra Neutral Alcohol [ENA] and Ethanol." बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा "That we will sell the product in open market as Extra Neutral Alcohol [ENA] which is used in potable alcohol or to Oil Marketing Companies (OMCs) as 'Ethanol' which is used for Petrol Blending under "Ethanol Blended Petrol [EBP] policy" laid by Ministry of Petroleum and Natural Gas, Government of India." बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा "That we will procure the grains as raw material from nearby FCI Depot/ open market as per rules by concerned governing bodies." बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

20. परियोजना प्रस्तावक द्वारा "That we will provide the OMC certificate to concerned FCI Divisional Manager if we use the grain/ rice as raw

material for production of EBP." बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा "That we will use food grains which is unfit for human consumption and broken rice, Maize and food grains during surplus phase as declared by National Biofuel Coordination Committee (NBCC) shall only be used as a raw material." बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

22. परियोजना प्रस्तावक द्वारा "That there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India." बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

23. परियोजना प्रस्तावक द्वारा "That there is no violation of notification S.O. 804(E) dated 14.03.2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017." बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

24. परियोजना प्रस्तावक द्वारा "That we will give our by-product "Distillers Dried Grain Soluble [DDGS] to local farmers and dairies on 25% discount on prevailing market price." बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

25. परियोजना प्रस्तावक द्वारा "That No violation case is under consideration as per MoEF&CC OM no.: 804 (E) dated: 14.03.2017." बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

26. परियोजना प्रस्तावक द्वारा "That the Public hearing as per EIA Notification 2006 as amended for our proposed project has been conducted on 12.09.2023." बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

27. परियोजना प्रस्तावक द्वारा "That the Company will strictly follow the timeframe so as to close/ comply the issue the raised during Public hearing." बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

28. परियोजना प्रस्तावक द्वारा "That the Company will give priority in employment to local peoples as per their qualification as per commitment given in Public Hearing and Chhattisgarh Government Policy." बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

29. परियोजना प्रस्तावक द्वारा "That the Company has proposed to develop greenery over 40% of total land available and we will maintain 90% survival rate of total plantation done within premises." बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से मेसर्स श्री श्याम एथेनॉल एण्ड स्प्रीट्स प्राईवेट लिमिटेड को ग्राम–मुड़पार, तहसील–अकलतरा, जिला–जांजगीर–चांपा स्थित भूमि खसरा क्रमांक 158/4, 159/1, 160, 164, 165, 168/4, 188/1, 168/6ख, 199/2, 169/1, 169/2, 170, 171, 172, 173/1, 173/2, 174, 175, 199/3 एवं 168/1(पॉर्ट), कुल क्षेत्रफल – 11.1 हेक्टेयर (शासकीय भूमि 7.186

हेक्टेयर, निजी भूमि 3.914 हेक्टेयर) में प्रस्तावित ग्रेन बेस्ड डिस्टीलरी (एथेनॉल/इएनए) क्षमता – 195 किलोलीटर प्रतिदिन एवं को–जनरेशन पॉवर प्लांट – 7 मेगावॉट हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 14/03/2024 को संपन्न 167वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक – मेसर्स श्री श्याम एथेनॉल एण्ड स्प्रीट्स प्राईवेट लिमिटेड को निम्नानुसार अतिरिक्त शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया:–

   i. उद्योग परिसर के भीतर रोपण किये जाने वाले पौधों का रोपण कर, पौधों का नामांकन एवं संख्यांकन कर जियोटेग फोटोग्राफ्स को अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

   ii. सी.ई.आर. के तहत् किये जाने वाले वृक्षारोपण का सत्यापन वन विभाग के सक्षम अधिकारी अथवा वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण के सत्यापन हेतु अधिकृत संस्थाओं (थर्ड पार्टी) से अनुमोदन कराकर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

   iii. सी.ई.आर. के तहत् किये जाने वाले वृक्षारोपण के सत्यापन हेतु जियोटेग फोटोग्राफ्स सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

   iv. लोकसुनवाई के दौरान उठाये गये समस्त मुद्दों के निराकरण हेतु किये जाने वाले कार्यो की जानकारी/रिपोर्ट अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

   v. रेन वाटर हार्वेस्टिंग के अंतर्गत ग्राउण्ड वॉटर रिचार्ज की उपयुक्त व्यवस्था सुनिश्चित किया जाए एवं शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाए।

समिति द्वारा निर्धारित शर्तो के अंतर्गत निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जाए। पालन नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

2. मेसर्स जामझोर लो–ग्रेड लाईम स्टोन माईन (प्रो.– श्री चिरंजीव महान्ती), ग्राम–जामझोर, तहसील–खरसिया, जिला–रायगढ़ (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2695)

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाईन आवेदन	ई.सी. – 446667 एवं 08/10/2023	
खदान का प्रकार	चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान	प्रस्तावित
क्षेत्रफल एवं क्षमता	1.105 हेक्टेयर एवं 20,437.5 टन (8,175 घनमीटर) प्रतिवर्ष	
खसरा क्रमांक	116/1/2, 116/2, 117/1/2, 117/2, 117/3 एवं 118/2	
भू–स्वामित्व	निजी भूमि खसरा क्रमांक 116/2, 117/2 एवं	उत्खनन हेतु भू–स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

	117/3 श्री अभय कुमार महन्ती तथा शेष खसरे आवेदक के नाम पर है।	
बैठक का विवरण	505वीं बैठक दिनांक 22/12/2023	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 15/12/2023
प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि		श्री चिरंजीव महन्ती, प्रोपराईटर उपस्थित हुये।
पूर्व में जारी ई.सी.	पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।	
ग्राम पंचायत एन.ओ.सी.	ग्राम पंचायत बांसमुड़ा दिनांक 06/05/2022	आश्रित ग्राम–जामझोर
उत्खनन योजना अनुमोदन	दिनांक 27/06/2023	
500 मीटर	दिनांक 10/08/2023	अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
200 मीटर	दिनांक 10/08/2023	प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
एल.ओ.आई.	एल.ओ.आई. धारक – श्री चिरंजीव महान्ती दिनांक – 20/04/2023 वैधता अवधि – 1 वर्ष	
वन विभाग एन.ओ.सी.	वनमण्डलाधिकारी, रायगढ़ वनमण्डल, रायगढ़ द्वारा जारी दिनांक 05/11/2022	वन क्षेत्र से दूरी – 500 मीटर, गोमर्डा अभ्यारण्य से दूरी 107 कि.मी.
महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी	आबादी – जामझोर 310 मीटर स्कूल – 4.3 कि.मी. अस्पताल – खरसिया 3 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग – 45 मीटर राज्यमार्ग – 27 कि.मी. रेल्वे स्टेशन – खरसिया 3.5 कि.मी.	माण्ड नदी – 3 कि.मी.
पारिस्थितिकीय/ जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र	5 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं है।	
खनन संपदा एवं खनन का विवरण	उत्खनन विधि – ओपन कास्ट सेमी मेकेनाइज्ड ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग – हाँ **रिर्जव्स –** जियोलॉजिकल 2,48,625 टन माईनेबल 1,02,187 टन रिकव्हरेबल 91,968 टन प्रस्तावित गहराई 9 मीटर बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर बेंच की चौड़ाई 2 मीटर संभावित आयु 5 वर्ष क्रशर स्थापित – नहीं	वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन प्रथम 20,437.5 टन द्वितीय 20,437.5 टन तृतीय 20,437.5 टन चतुर्थ 20,437.5 टन पंचम 20,437.5 टन

उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र	लीज के 7.5 मीटर का क्षेत्रफल – 3,440 वर्गमीटर	उत्खनित – नहीं
गैर माईनिंग	**क्षेत्रफल** – (1) 338 वर्गमीटर क्षेत्र (2) 1,719 वर्गमीटर क्षेत्र **क्षेत्र छोड़ने का कारण** – (1) राष्ट्रीय राजमार्ग से 100 मीटर की दूरी एवं लेबर रूम हेतु। (2) हॉल रोड, रेम्प डेव्हलपमेंट एवं स्लोप मेंटेनेन्स हेतु।	माईनिंग प्लान में उल्लेख– हाँ
ऊपरी मिट्टी/ओव्हर बर्डन प्रबंधन योजना	मोटाई – 1 मीटर मात्रा – 7,272 घनमीटर	7,272 घनमीटर – लीज क्षेत्र के बाहर स्वयं की भूमि (खसरा क्रमांक 153/2, क्षेत्रफल 1.948 हेक्टेयर) में पुनःभराव हेतु भण्डारित कर संरक्षित।
जल आपूर्ति	मात्रा – 3.5 घनमीटर प्रतिदिन स्त्रोत – माईन पीट एवं बोरवेल	खदान में विभिन्न क्रियाकलापों (जल छिड़काव, वृक्षारोपण) हेतु जल की आपूर्ति निष्क्रिय खदानों में एकत्रित जल एवं पेयजल की आपूर्ति बोरवेल से किया जाना है। सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से एन.ओ.सी. प्राप्त है।
वृक्षारोपण कार्य	लीज क्षेत्र के 7.5 मीटर के चारों ओर वृक्षारोपण – 550 नग किया जाना है।	प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि – 2,06,950 रूपये
परियोजना से संबंधित शपथ पत्र	परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऊपरी मिट्टी प्रबंधन, डी.जी.एम.एस. द्वारा कन्ट्रोल ब्लास्टिंग, फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण, सघन वृक्षारोपण एवं 90 प्रतिशत जीवन स्तर सुनिश्चित, सी.ई.आर. के तहत् निर्धारित राशि का उपयोग प्रस्तावित कार्यों हेतु, छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् रोजगार, पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत जो भी राशि तय की जायेगी उसका उपयोग पर्यावरण के हित में किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।	परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्न शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किये गये है:– 1. परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है। 2. परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।
श्रेणी	बी–2	आवेदित खदान का क्षेत्रफल 1.105 हेक्टेयर है।

1. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	**CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)**
26	2%	0.52	Following activities at Nearby, **Govt Primary School, Village-Jamjhor**	
			Potable Drinking Water Facility at Govt. primary School, Jamjhor	0.159
			Plantation around Village Pond	0.584
			Total	**0.744**

2. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब के चारों ओर वृक्षारोपण (अर्जुन, सीसु, सिरसा, शीशम) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 70 नग पौधों के लिए राशि 2,450 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 35,000 रूपये, खाद के लिए राशि 1,000 रूपये एवं अन्य कार्य हेतु राशि 3,000 रूपये इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 41,450 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 16,980 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत जामझोर के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 125/1 क्षेत्रफल 0.898 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है। साथ ही स्कूल के प्राचार्य (Principal) के सहमति उपरांत स्कूल में पेयजल की व्यवस्था हेतु 15,990 रूपये का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

3. समिति का मत है कि सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–सदस्यीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–सदस्यीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

4. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

   b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स जामझोर लो–ग्रेड लाईम स्टोन माईन (प्रो.– श्री चिरंजीव महान्ती) को ग्राम–जामझोर, तहसील–खरसिया, जिला–रायगढ़ के खसरा क्रमांक 116/1/2, 116/2

117/1/2, 117/2, 117/3 एवं 118/2 में स्थित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–1.105 हेक्टेयर, क्षमता–20,437 टन (8,175 घनमीटर) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 14/03/2024 को संपन्न 167वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक – मेसर्स जामझोर लो–ग्रेड लाईम स्टोन माईन (प्रो.– श्री चिरंजीव महान्ती) को निम्नानुसार अतिरिक्त शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया:–

   i. लीज जारी होने के पश्चात् 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में तीन पंक्तियों में पौधों का रोपण कर, पौधों का नामांकन एवं संख्यांकन कर जियोटेग फोटोग्राफ्स सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

   ii. सी.ई.आर. के तहत् तथा 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में किये जाने वाले वृक्षारोपण का सत्यापन वन विभाग के सक्षम अधिकारी अथवा वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण के सत्यापन हेतु अधिकृत संस्थाओं (थर्ड पार्टी) से अनुमोदन कराकर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

   iii. सी.ई.आर. के तहत् तालाब पर किये जाने वाले वृक्षारोपण के सत्यापन हेतु जियोटेग फोटोग्राफ्स सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई. आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

   iv. खनिज का परिवहन कव्हर्ड वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

साथ ही समिति द्वारा निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् वैधानिक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

3. मेसर्स श्री सांई हनुमंत स्टोन मुढ़ेना (प्रो.– श्री सांई हनुमंत स्टोन, पार्टनर– श्री अजय सिंहदेव एवं श्री हेमंत साहू), ग्राम–मुढ़ेना, तहसील व जिला–महासमुंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2706)

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाईन आवेदन	ई.सी. – 446215 एवं 18/10/2023	
खदान का प्रकार	फर्शी पत्थर (गौण खनिज) खदान	प्रस्तावित
क्षेत्रफल एवं क्षमता	1.79 हेक्टेयर एवं 2,000 घनमीटर (5,000 टन) प्रतिवर्ष	
खसरा क्रमांक	167/2, 168, 169/1, 169/2, 172, 173, 174, 175, 215, 216	

भू-स्वामित्व	निजी भूमि खसरा क्रमांक 167/2, 168, 169/1, 169/2, 172, 173, 174, 216 श्री अजय सिंहदेव एवं श्री हेमन्त साहू खसरा क्रमांक 175, 215 श्री अरूण कुमार	भू-स्वामी श्री अरूण कुमार का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है। साथ ही पार्टनरशीप डीड की प्रति प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार श्री अजय सिंहदेव एवं हेमन्त साहू पार्टनर है।
बैठक का विवरण	505वीं बैठक दिनांक 22/12/2023	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 15/12/2023
प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि		श्री अजय सिंहदेव, प्रोपराईटर उपस्थित हुये।
पूर्व में जारी ई.सी.	पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।	
ग्राम पंचायत एन.ओ.सी.	ग्राम पंचायत मुढ़ेना दिनांक 27/05/2023	
उत्खनन योजना अनुमोदन	दिनांक 17/10/2023	
500 मीटर	दिनांक 06/10/2023	अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
200 मीटर	दिनांक 06/10/2023	प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं। 53 मीटर की दूरी में पक्की सड़क अवस्थित है।
एल.ओ.आई.	एल.ओ.आई. धारक – श्री सांई हनुमंत स्टोन, पार्टनर– श्री अजय सिंहदेव एवं श्री हेमंत साहू दिनांक – 22/08/2023 वैधता अवधि – 1 वर्ष	
वन विभाग एन.ओ.सी.	वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल महासमुन्द द्वारा जारी दिनांक 15/06/2023	वन क्षेत्र से दूरी – कक्ष क्रमांक 440 से 5 कि.मी. दूर है।
महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी	आबादी – मुढ़ेना 500 मीटर स्कूल – मुढ़ेना 500 मीटर राष्ट्रीय राजमार्ग – 1.5 कि.मी.	महानदी – 1 कि.मी.
पारिस्थितिकीय/ जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र	5 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं है।	
खनन संपदा एवं खनन का विवरण	उत्खनन विधि – ओपन कास्ट मैन्युअल **रिर्जव्स –** जियोलॉजिकल 2,67,795 घनमीटर माईनेबल 1,14,525 घनमीटर रिकव्हरेबल 85,894 घनमीटर प्रस्तावित गहराई 16.5 मीटर	वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन प्रथम 2,000 घनमीटर द्वितीय 2,000 घनमीटर तृतीय 2,000 घनमीटर चतुर्थ 2,000 घनमीटर पंचम 2,000 घनमीटर

	बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर बेंच की चौड़ाई 1.5 मीटर संभावित आयु 58 वर्ष क्रशर स्थापित – नहीं	
उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र	लीज के 7.5 मीटर का क्षेत्रफल – 5,200 वर्गमीटर	उत्खनित – नहीं
ऊपरी मिट्टी/ओव्हर बर्डन प्रबंधन योजना	मोटाई – 1.5 मीटर मात्रा – 10,700 घनमीटर	**ऊपरी मिट्टी प्रबंधन योजना –** 8,025 घनमीटर – 7.5 मीटर (माईन बाउण्ड्री) क्षेत्र में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग। शेष 2,675 घनमीटर – लीज क्षेत्र के टेम्परारी डम्प क्षेत्र में भण्डारित कर संरक्षित।
जल आपूर्ति	मात्रा – 5 घनमीटर स्त्रोत – भू–जल	सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से एन.ओ.सी. प्राप्त है।
वृक्षारोपण कार्य	लीज क्षेत्र के 7.5 मीटर के चारों ओर वृक्षारोपण – 870 नग	प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि – 10,50,000
परियोजना से संबंधित शपथ पत्र	परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऊपरी मिट्टी प्रबंधन, फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण, सघन वृक्षारोपण एवं 90 प्रतिशत जीवन स्तर सुनिश्चित, छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् रोजगार, खनिज नियमों के तहत् सीमांकन, लीज के 7.5 मीटर में कोई भी उत्खनन नहीं किया गया है एवं भविष्य में भी कोई उत्खनन नहीं किये जाने बाबत्, प्राकृतिक जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं संवर्धन आदि बाबत् शपथ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।	परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्न शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किये गये है:– 1. परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है। 2. परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।
श्रेणी	बी–2	आवेदित खदान का क्षेत्रफल 1.79 हेक्टेयर है।

1. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (In Lakh Rupees)

50.07	2%	1.001	**Following activities at Nearby, Village- Mudhena**	
			Plantation at Village pond	8.51
			Total	**8.51**

2. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब पर (आम, कटहल एवं जामुन) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 75 नग पौधों के लिए राशि 3,750 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 37,500 रूपये, खाद के लिए राशि 375 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 1,76,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 2,17,625 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 6,33,660 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत मुढ़ेना के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 761, क्षेत्रफल 1.53 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

3. समिति का मत है कि सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–सदस्यीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–सदस्यीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

4. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

   b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स श्री सांई हनुमंत स्टोन मुढ़ेना (प्रो.– श्री सांई हनुमंत स्टोन, पार्टनर–श्री अजय सिंहदेव एवं श्री हेमंत साहू) को ग्राम–मुढ़ेना, तहसील व जिला–महासमुंद के खसरा क्रमांक 167/2, 168, 169/1, 169/2, 172, 173, 174, 175, 215 एवं 216 में स्थित फर्शी पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–1.79 हेक्टेयर, क्षमता–2,000 घनमीटर (5,000 टन) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 14/03/2024 को संपन्न 167वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक – मेसर्स श्री सांई हनुमंत स्टोन मुढ़ेना (प्रो.– श्री सांई हनुमंत स्टोन, पार्टनर–श्री अजय सिंहदेव एवं श्री

हेमंत साहू) को निम्नानुसार अतिरिक्त शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया:–

i. लीज जारी होने के पश्चात् 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में तीन पंक्तियों में पौधों का रोपण कर, पौधों का नामांकन एवं संख्यांकन कर जियोटेग फोटोग्राफ्स सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

ii. सी.ई.आर. के तहत् तथा 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में किये जाने वाले वृक्षारोपण का सत्यापन वन विभाग के सक्षम अधिकारी अथवा वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण के सत्यापन हेतु अधिकृत संस्थाओं (थर्ड पार्टी) से अनुमोदन कराकर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

iii. सी.ई.आर. के तहत् तालाब पर किये जाने वाले वृक्षारोपण के सत्यापन हेतु जियोटेग फोटोग्राफ्स सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई. आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

iv. खनिज का परिवहन कव्हर्ड वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

साथ ही समिति द्वारा निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् वैधानिक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

4. मेसर्स एम.एस.के. यदु (प्रो.– श्री मिथलेश यदु, बिजराडीह सेण्ड माईन), ग्राम–बिजराडीह, तहसील–पलारी, जिला–बलौदाबाजार भाटापारा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2719)

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाईन आवेदन	टी.ओ.आर. – 445987 एवं 20/10/2023	
खदान का प्रकार	रेत (गौण खनिज) खदान	प्रस्तावित
क्षेत्रफल एवं क्षमता	10 हेक्टेयर एवं 1,80,000 घनमीटर प्रतिवर्ष	
खसरा क्रमांक एवं नदी	पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक–496 एवं महानदी	
बैठक का विवरण	505वीं बैठक दिनांक 22/12/2023	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 15/12/2023
प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि		श्री मिथलेश यदु, प्रोपराईटर उपस्थित हुये।
पूर्व में जारी ई.सी.	पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।	
ग्राम पंचायत एन.ओ.सी.	ग्राम पंचायत बिजराडीह दिनांक 06/09/2023	
उत्खनन योजना अनुमोदन	दिनांक 10/10/2023	

चिन्हांकित / सीमांकित	दिनांक 10 / 10 / 2023	
500 मीटर	दिनांक 10 / 10 / 2023	अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
200 मीटर	दिनांक 10 / 10 / 2023	प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
एल.ओ.आई.	एल.ओ.आई. धारक – मेसर्स एम.एस.के. यदु, प्रो.– श्री मिथलेष यदु दिनांक – 28 / 08 / 2023 वैधता अवधि – 1 वर्ष	
वन विभाग एन.ओ.सी.		आवेदित क्षेत्र की निकटतम वन क्षेत्र से दूरी का उल्लेख करते हुए कार्यालय वनमण्डलाधिकारी से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी	आबादी ग्राम–बिजराडीह 1.6 कि.मी. एवं केडियाडीह 680 मीटर स्कूल ग्राम–बौदा 2.2 कि.मी. अस्पताल – पलारी 15.9 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग – 13.9 कि.मी. राज्यमार्ग – 29.2 कि.मी.	नहर – 2.3 कि.मी. एनीकट – 12.6 कि.मी. पुल – 18.35 कि.मी. नाला – 240 मीटर तालाब – 760 मीटर
खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी	**खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई–** अधिकतम 970 मीटर, न्यूनतम 910 मीटर **खनन स्थल की लंबाई –** अधिकतम 475 मीटर, न्यूनतम 469 मीटर **खनन स्थल की चौड़ाई –** अधिकतम 231 मीटर, न्यूनतम 193 मीटर **खदान की नदी तट के किनारे से दूरी –** अधिकतम 302 मीटर, न्यूनतम 220 मीटर	
खदान स्थल पर रेत की मोटाई	स्थल पर रेत की गहराई – 5.2 मीटर रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 3 मीटर खदान में माईनेबल रेत की मात्रा–1,80,000 घनमीटर खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी अनुसार – स्थल पर किये गये गढ्ढे (Pits) की संख्या – 10 रेत की उपलब्ध औसत गहराई 5.2 मीटर रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा प्रस्तुत किया गया है।	
खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स	ग्रिड बिन्दु – 25 मीटर X 25 मीटर लेवल्स (Levels) दिनांक 15 / 06 / 2023 खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।	

वृक्षारोपण कार्य	नदी तट पर वृक्षारोपण – 2,000 नग किया जाना है। ग्राम पंचायत बिजराडीह द्वारा सहमति प्राप्त भूमि (खसरा क्रमांक 493, क्षेत्रफल 0.8 हेक्टेयर)	प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि – 22,61,250 रूपये
श्रेणी	बी–1	आवेदित खदान का कुल क्षेत्रफल 10 हेक्टेयर है।

1. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य 18 अक्टूबर 2023 से प्रारंभ किया गया है।

2. माननीय एन.जी.टी., प्रीसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन क्रमांक 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

   b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. इस खदान में 5 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल का क्लस्टर निर्मित हो रहा है।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण बी–1 केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

   i. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

   ii. Project proponent shall submit the details of monitoring equipments alongwith its specification. Project proponent shall monitor as per the Methodology issued by MoEF&CC.

   iii. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

   iv. Project Proponent shall submit the post-monsoon RL data in the interval of 25x25 meter grid pattern and shall certified information from the Mining Department. This grid pattern area shall cover outside the mining lease upto 100 meters from mining lease.

   v. Project proponent shall submit the NOC from DFO, forest department mentioning distance between mine lease boundary to forest boundary.

   vi. Project Proponent shall submit the DGPS co-ordinates of Boundary.

vii. Project Proponent shall submit the sand replenishment study duly verified by district mining officer of mining department.

viii. Project Proponent shall submit the high flood level (HFL) details from the competent authority. Plantation in the river bank will have to be done leaving high flood level (HFL).

ix. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

x. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

xi. Project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit that mining shall be conducted / carriedout only manually (excavation of sand to be done manually).

xii. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xiii. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xiv. Project proponent shall submit the DPR (Detailed Project Report) and undertake plantation & incorporate in the EIA report.

xv. Project proponent shall submit DPR (Detailed Project Report) of CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 14/03/2024 को संपन्न 167वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी किया जाए।

5. मेसर्स रॉक ओर मिनरल्स (पार्टनर– श्री राणा विक्रांत सिंह, पतोरा लाईम स्टोन माईन), ग्राम–पतोरा, तहसील–पाटन, जिला–दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2556)

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाईन आवेदन	टी.ओ.आर. – 435707 एवं 06/07/2023 ई.डी.एस.– 13/07/2023, जानकारी – 21/10/2023	
खदान का प्रकार	चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान	प्रस्तावित
क्षेत्रफल एवं क्षमता	4.55 हेक्टेयर एवं 79,804 टन प्रतिवर्ष	
खसरा क्रमांक	478/1, 478/2, 479/1, 480/1, 481,	

	482, 541(पार्ट), 542/2, 543, 545, 546, 547/1, 547/2, 547/3 एवं 547/4	
भू–स्वामित्व	निजी खसरा क्रमांक 547/2 श्री रामलाल एवं अन्य सभी खसरे श्री राणा अरूण कुमार सिंह के नाम पर है।	भू–स्वामी श्री रामलाल का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है। साथ ही पार्टनरशीप डीड प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार श्री राणा अरूण कुमार सिंह, श्री राणा विक्रांत सिंह एवं श्रीमती सुमन सिंह पार्टनर है।
बैठक का विवरण	505वीं बैठक दिनांक 22/12/2023	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 15/12/2023
प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि		श्री राणा अरूण कुमार सिंह, पार्टनर उपस्थित हुये।
पूर्व में जारी ई.सी.	पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।	
ग्राम पंचायत एन.ओ.सी.	ग्राम पंचायत पतोरा दिनांक 13/08/2022	
उत्खनन योजना अनुमोदन	दिनांक 13/06/2023	
500 मीटर	दिनांक 23/06/2023	अन्य 65 खदानें, रकबा 140.423 हेक्टेयर
200 मीटर	दिनांक 23/06/2023	प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
एल.ओ.आई.	एल.ओ.आई. धारक – मेसर्स रॉक ओर मिनरल्स, पार्टनर श्री राणा अरूण कुमार सिंह व अन्य 01 दिनांक – 30/05/2023 वैधता अवधि – 1 वर्ष	
वन विभाग एन.ओ.सी.	वनमण्डलाधिकारी, दुर्ग वनमण्डल दुर्ग द्वारा जारी दिनांक 20/12/2022	वन क्षेत्र से दूरी – 26 कि.मी. (मनघटा) एवं 29.3 कि.मी. (नंदिनी)
महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी	आबादी – पतोरा 850 मीटर स्कूल – उतई 1.5 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग – 10 कि.मी. राज्यमार्ग – 350 मीटर	खारून नदी – 17 कि.मी. नहर– 1.8 कि.मी.
पारिस्थितिकीय/ जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र	5 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं है।	
खनन संपदा एवं खनन का विवरण	उत्खनन विधि – ओपन कास्ट सेमी मेकेनाइज्ड ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग – हाँ **रिर्जव्स –** जियोलॉजिकल 33,55,625 टन	वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन प्रथम 29,925 टन द्वितीय 50,233 टन तृतीय 76,951 टन चतुर्थ 79,803 टन

	माईनेबल 11,89,587 टन रिकव्हरेबल 11,30,108 टन प्रस्तावित गहराई 30 मीटर बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर बेंच की चौड़ाई 1.5 मीटर संभावित आयु 16 वर्ष प्रस्तावित क्रशर – नहीं	पंचम 79,804 टन
उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र	लीज के 7.5 मीटर का क्षेत्रफल – 9,900 वर्गमीटर	उत्खनित – नहीं
ऊपरी मिट्टी/ओव्हर बर्डन प्रबंधन योजना	मोटाई – 0.15 मीटर मात्रा – 6,048 घनमीटर **ऊपरी मिट्टी प्रबंधन योजना –** 5,940 घनमीटर – 7.5 मीटर (माईन बाउण्ड्री) क्षेत्र में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग। शेष 108 घनमीटर – लीज क्षेत्र से लगी हुई स्वयं की भूमि (खसरा क्रमांक 542/3, रकबा 0.17 हेक्टेयर एवं खसरा क्रमांक 558, रकबा 0.25 हेक्टेयर) में पुनः भराव हेतु भण्डारित कर संरक्षित।	ओव्हर बर्डन मोटाई – 0.35 मीटर मात्रा – 11,760 घनमीटर **ओव्हर बर्डन प्रबंधन योजना –** ओव्हर बर्डन का उपयोग रैम्प निर्माण, पहुंच मार्ग के रख–रखाव आदि में किया जाएगा।
जल आपूर्ति	मात्रा – 5 घनमीटर स्त्रोत – भू–जल	सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से एन.ओ.सी. प्राप्त है।
वृक्षारोपण कार्य	लीज क्षेत्र के 7.5 मीटर के चारों ओर वृक्षारोपण – 1,980 नग	प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि – 17,19,522 रूपये
श्रेणी	बी–1	आवेदित खदान को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 144.973 हेक्टेयर है।

1. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

   b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

i. Project proponent shall inform SEIAA & S.E.A.C. Chhattisgarh before commencement of Baseline Data Generation and start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

ii. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

iii. Project proponent shall submit the details of monitoring equipments alongwith its specification. Project proponent shall monitor as per the Methodology issued by MoEF&CC.

iv. Project Proponent shall submit an undertaking that the top soil & over burden would be stacked at the earmarked place and shall use the same in plantation and backfilling of the mined out area.

v. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

vi. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.

vii. EIA study shall be done at minimum 12 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

viii. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

ix. Project proponent shall submit an affidavit for not cutting the existing green trees without the permission of competent authority.

x. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the mines located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.

xi. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xii. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xiii. Project proponent shall submit the DPR (Detailed Project Report) and undertake plantation & incorporate in the EIA report.

xiv. Project proponent shall submit the DPR (Detailed Project Report) of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintainance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

xv. Project proponent shall submit the DPR (Detailed Project Report) of 5 years & undertake plantation (as far as possible tree bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain minimum 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the

Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.

xvi. Project proponent shall submit DPR (Detailed Project Report) of CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 14/03/2024 को संपन्न 167वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी किया जाए।

6. **मेसर्स लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री सौरभ कुंभकार), ग्राम–ढौर, तहसील–पाटन, जिला–दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2725)**

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाईन आवेदन	टी.ओ.आर. – 449844 एवं 22/10/2023	
खदान का प्रकार	चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान	प्रस्तावित
क्षेत्रफल एवं क्षमता	4.23 हेक्टेयर एवं 2,00,025 टन प्रतिवर्ष	
खसरा क्रमांक	865/1(पार्ट), 865/2(पार्ट), 868, 869(पार्ट), 873(पार्ट), 888/3, 888/4, 888/5, 888/6, 889, 890, 891/1, 891/2, 891/4, 891/5, 891/6, 891/7, 892/2(पार्ट) एवं 892/3	
भू–स्वामित्व	निजी भूमि भूमि खसरा क्रमांक 865/1(पार्ट), 865/2(पार्ट), 868, 869(पार्ट), 873(पार्ट), 892/2 एवं 892/3 श्री हरिशंकर कुम्भकार, खसरा क्रमांक 888/3, 888/4, 888/5, 888/6, 889, 890 श्रीमती निर्मला बाई एवं खसरा क्रमांक 891/1, 891/2, 891/4, 891/5, 891/6, 891/7 श्री अजय कुमार प्रीतवानी के नाम पर है।	भू–स्वामियों का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
बैठक का विवरण	505वीं बैठक दिनांक 22/12/2023	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 15/12/2023
प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि		हरिशंकर कुंभकार, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुये। अधिकृत प्रतिनिधि का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
पूर्व में जारी ई.सी.	पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।	

ग्राम पंचायत एन.ओ.सी.	ग्राम पंचायत ढौर दिनांक 12/10/2019	
उत्खनन योजना अनुमोदन	दिनांक 16/10/2023	
500 मीटर	दिनांक 19/10/2023	अन्य 4 खदानें, रकबा 10.443 हेक्टेयर।
200 मीटर	दिनांक 19/10/2023	प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
एल.ओ.आई.	एल.ओ.आई. धारक – श्री सौरभ कुंभकार दिनांक – 21/08/2023 वैधता अवधि – 1 वर्ष	
वन विभाग एन.ओ.सी.	वनमण्डलाधिकारी, दुर्ग वनमण्डल दुर्ग द्वारा जारी दिनांक 12/03/2023	वन क्षेत्र से दूरी – 28 कि.मी.
महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी	आबादी – ढौर 1.5 कि.मी. स्कूल – ढौर 1.5 कि.मी. राज्यमार्ग – 860 मीटर	खारून नदी – 15 कि.मी.
पारिस्थितिकीय/ जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र	5 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं है।	
खनन संपदा एवं खनन का विवरण	उत्खनन विधि – ओपन कास्ट सेमी मेकेनाइज्ड ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग – हाँ **रिजर्व –** जियोलॉजिकल 27,15,000 टन माईनेबल 10,46,385 टन रिकव्हरेबल 10,14,993 टन प्रस्तावित गहराई 31.5 मीटर बेंच की ऊंचाई 3 मीटर बेंच की चौड़ाई 3 मीटर संभावित आयु 8 वर्ष प्रस्तावित क्रशर – नहीं	वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन प्रथम 1,00,005 टन द्वितीय 2,00,025 टन तृतीय 1,00,005 टन चतुर्थ 1,00,005 टन पंचम 1,00,005 टन
उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र	लीज के 7.5 मीटर का क्षेत्रफल – 8,564 वर्गमीटर	उत्खनित –हाँ माईनिंग प्लान में उल्लेख–हाँ
ऊपरी मिट्टी/ ओव्हर बर्डन प्रबंधन योजना	मोटाई – 1.5 मीटर मात्रा – 33,900 घनमीटर	
जल आपूर्ति	मात्रा – 6.5 घनमीटर स्त्रोत – भू–जल	सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से एन.ओ.सी. प्राप्त है।
वृक्षारोपण कार्य	लीज क्षेत्र के 7.5 मीटर के चारों ओर वृक्षारोपण – 1,150 नग किया जाना है।	प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि – 12,71,540 रूपये
श्रेणी	बी–1	आवेदित खदान को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 14.673 हेक्टेयर है।

1. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य 15 अक्टूबर 2023 से प्रारंभ किया गया है।

2. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में 1,800 वर्गमीटर क्षेत्र में उत्खनन कार्य किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लघंन है। अतः जाँच उपरांत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। साथ ही उक्त उत्खनित क्षेत्र को पुनःभराव किये जाने हेतु रेस्टोरेशन प्लान एवं उत्खनित भाग को शामिल करते हुए अद्यतन स्थिति अनुसार रिजर्व की गणना कर संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक VIII (i) के अनुसारः–

   "The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

   उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

4. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया हैः–

   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

   b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

1. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों को क्रियान्वित कराने बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर (छत्तीसगढ़) को लेख किया जाए।

2. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर जाँच उपरांत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए. /ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गईः–

i. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

ii. Project proponent shall submit the details of monitoring equipments alongwith its specification. Project proponent shall monitor as per the Methodology issued by MoEF&CC.

iii. Project proponent shall submit top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.

iv. Project Proponent shall submit an undertaking that the top soil & over burden would be stacked at the earmarked place and shall use the same in plantation and backfilling of the mined out area.

v. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

vi. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.

vii. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

viii. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

ix. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the mines located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.

x. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xi. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xii. Project proponent shall submit the DPR (Detailed Project Report) and undertake plantation & incorporate in the EIA report.

xiii. Project proponent shall submit the revised approved quarry plan incorporating the mined out area in safety zone.

xiv. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area submit restoration plan and do remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the

mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall incorporate the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone.

xv. Project proponent shall submit the DPR (Detailed Project Report) & complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintainance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

xvi. Project proponent shall submit the DPR (Detailed Project Report) of 5 years & undertake plantation (as far as possible tree bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain minimum 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.

xvii. Project proponent shall submit DPR (Detailed Project Report) of CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 14/03/2024 को संपन्न 167वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया।

साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि:–

(1) (i) माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग कियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लिख किया जाए।

(ii) प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को पत्र लेख किया जाए।

(iii) माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन से पर्यावरण को क्षति होने के कारण छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी किया जाए। साथ ही संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए।

7. मेसर्स चरौदा सेण्ड माईन (प्रो.– श्री पंकज कुमार चंद्राकर), ग्राम–चरौदा, तहसील–पलारी, जिला–बलौदाबाजार–भाठापारा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2723)

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाईन आवेदन	टी.ओ.आर. – 445953 एवं 23/10/2023	
खदान का प्रकार	रेत (गौण खनिज) खदान	प्रस्तावित
क्षेत्रफल एवं क्षमता	20 हेक्टेयर एवं 3,60,000 घनमीटर प्रतिवर्ष	
खसरा क्रमांक एवं नदी	पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक–1290 एवं महानदी	
बैठक का विवरण	505वीं बैठक दिनांक 22/12/2023	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 15/12/2023
प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि		श्री पंकज कुमार चंद्राकर, प्रोपराईटर उपस्थित हुये।
पूर्व में जारी ई.सी.	पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।	
ग्राम पंचायत एन.ओ.सी.	ग्राम पंचायत चरौदा दिनांक 10/11/2023	
उत्खनन योजना अनुमोदन	दिनांक 18/10/2023	
चिन्हांकित/सीमांकित	दिनांक 18/10/2023	
500 मीटर	दिनांक 18/10/2023	अन्य 1 खदान, क्षेत्रफल 4.99 हेक्टेयर
200 मीटर	दिनांक 18/10/2023	प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
एल.ओ.आई.	एल.ओ.आई. धारक – श्री पंकज कुमार चंद्राकर दिनांक – 28/08/2023 वैधता अवधि – 1 वर्ष	
वन विभाग एन.ओ.सी.	वनमण्डलाधिकारी, बलौदाबाजार वनमण्डल, बलौदाबाजार द्वारा जारी दिनांक 21/12/2023 वन क्षेत्र से दूरी – 5.37 कि.मी.	लीज क्षेत्र से निकतटम राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य की दूरी का उल्लेख करते हुये उप–संचालक (वन्य प्राणी) से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी	आबादी ग्राम– चरौदा 1.7 कि.मी., अस्पताल– पलारी 12 कि.मी. स्कूल ग्राम– चरौदा 2.6 कि.मी	नहर– 2.35 कि.मी. एनीकट– 6 कि.मी. नाला– 2.4 कि.मी.

	राष्ट्रीय राजमार्ग– 11.3 कि.मी. राज्यमार्ग– 24.45 कि.मी.	तालाब– 940 मीटर रोड पुल – 24.55 कि.मी.
खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी	**खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई**– अधिकतम 1,320 मीटर, न्यूनतम 1,240 मीटर **खनन स्थल की लंबाई** – अधिकतम 722 मीटर, न्यूनतम 667 मीटर **खनन स्थल की चौड़ाई** – अधिकतम 368 मीटर, न्यूनतम 208 मीटर **खदान की नदी तट के किनारे से दूरी** – अधिकतम 330 मीटर, न्यूनतम 201 मीटर	
खदान स्थल पर रेत की मोटाई	स्थल पर रेत की गहराई – 5.11 मीटर रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 3 मीटर खदान में माईनेबल रेत की मात्रा–3,60,000 घनमीटर खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी अनुसार – स्थल पर किये गये गढ्ढे (Pits) की संख्या 20 रेत की उपलब्ध औसत गहराई 5.11 मीटर रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा प्रस्तुत किया गया है।	
खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स –	ग्रिड बिन्दु – 25 मीटर X 25 मीटर लेवल्स (Levels) दिनांक 15/06/2023 खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।	
वृक्षारोपण कार्य	नदी तट पर वृक्षारोपण – 4,000 नग ग्राम पंचायत चरौदा द्वारा सहमति प्राप्त भूमि (खसरा क्रमांक 287/1, क्षेत्रफल 2.5 हेक्टेयर)	प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि – 29,89,000
श्रेणी	बी–1	आवेदित खदान को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 24.99 हेक्टेयर है।

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया है कि बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य 19 अक्टूबर 2023 से प्रारंभ किया गया।

2. माननीय एन.जी.टी., प्रीसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन क्रमांक 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by

SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. इस खदान में 5 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल का क्लस्टर निर्मित हो रहा है।
2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण बी–1 केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

   i. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

   ii. Project proponent shall submit the details of monitoring equipments alongwith its specification. Project proponent shall monitor as per the Methodology issued by MoEF&CC.

   iii. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

   iv. Project proponent shall submit letter from Deputy Director (Wildlife & Biodiversity Conservation) mentioning with the distance of nearest National Park & Wildlife Santuary from the lease area.

   v. Project Proponent shall submit the post-monsoon RL data in the interval of 25x25 meter grid pattern and shall certified information from the Mining Department. This grid pattern area shall cover outside the mining lease upto 100 meters from mining lease.

   vi. Project Proponent shall submit the DGPS co-ordinates of Boundary.

   vii. Project Proponent shall submit the sand replenishment study duly verified by district mining officer of mining department.

   viii. Project Proponent shall submit the high flood level (HFL) details from the competent authority. Plantation in the river bank will have to be done leaving high flood level (HFL).

   ix. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

   x. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

   xi. Project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit that mining shall be conducted / carriedout only manually (excavation of sand to be done manually).

   xii. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xiii. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xiv. Project proponent shall submit the DPR (Detailed Project Report) and undertake plantation & incorporate in the EIA report.

xv. Project proponent shall submit DPR (Detailed Project Report) of CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 14/03/2024 को संपन्न 167वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी किया जाए।

8. मेसर्स मुड़ियाडीह सेण्ड माईन (प्रो.– श्री सौरभ चंद्राकर), ग्राम–मुड़ियाडीह, तहसील व जिला–महासमुंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2724)

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाईन आवेदन	ई.सी. – 446428 एवं 22/10/2023	
खदान का प्रकार	रेत (गौण खनिज) खदान	प्रस्तावित
क्षेत्रफल एवं क्षमता	4.8 हेक्टेयर एवं 86,400 घनमीटर प्रतिवर्ष	
खसरा क्रमांक एवं नदी	पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक – 338 एवं महानदी	
बैठक का विवरण	505वीं बैठक दिनांक 22/12/2023	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 15/12/2023
प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि		श्री सौरभ चंद्राकर, प्रोपराईटर उपस्थित हुये।
पूर्व में जारी ई.सी.	पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।	
ग्राम पंचायत एन.ओ.सी.	ग्राम पंचायत पासिद दिनांक 28/03/2018	
उत्खनन योजना अनुमोदन	दिनांक 17/10/2023	
चिन्हांकित/सीमांकित	दिनांक 25/08/2022	
500 मीटर	दिनांक 25/08/2022	अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
200 मीटर	दिनांक 25/08/2022	प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
एल.ओ.आई.	एल.ओ.आई. धारक – श्री सौरभ चंद्राकर	एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि हेतु

	दिनांक – 19/05/2023 वैधता अवधि – 6 माह	आवेदन दिनांक 21/11/2023 को किया गया है, जो प्रक्रियाधिन है।
वन विभाग एन.ओ.सी.	वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल महासमुन्द द्वारा जारी दिनांक 01/08/2018 वन क्षेत्र से दूरी – 3.5 कि.मी.	लीज क्षेत्र से निकतटम राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य की दूरी का उल्लेख करते हुये उप–संचालक (वन्य प्राणी) से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी	आबादी ग्राम – मुड़ियाडीह 380 मीटर स्कूल ग्राम – अवराई 3.85 कि.मी. अस्पताल – कसडोल 28 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग– 12.55 कि.मी. राज्यमार्ग– 27.85 कि.मी.	तालाब – 540 मीटर नाला – 1.5 कि.मी. नहर – 3 कि.मी. एनीकट – 7.15 कि.मी. रोड पुल – 2.75 कि.मी.
खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी	**खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई**– अधिकतम 1,200 मीटर, न्यूनतम 1,125 मीटर **खनन स्थल की लंबाई –** अधिकतम 303 मीटर, न्यूनतम 297 मीटर **खनन स्थल की चौड़ाई –** अधिकतम 160 मीटर, न्यूनतम 159 मीटर **खदान की नदी तट के किनारे से दूरी –** अधिकतम 185 मीटर, न्यूनतम 180 मीटर	
खदान स्थल पर रेत की मोटाई	स्थल पर रेत की गहराई – 4.19 मीटर रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 3 मीटर खदान में माईनेबल रेत की मात्रा–86,400 घनमीटर खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी अनुसार – स्थल पर किये गये गढ्ढे (Pits) की संख्या – 5 रेत की उपलब्ध औसत गहराई 4.19 मीटर रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा प्रस्तुत किया गया है।	
खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स	ग्रिड बिन्दु – 25 मीटर X 25 मीटर लेवल्स (Levels) दिनांक 09/06/2023 खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।	
वृक्षारोपण कार्य	नदी तट पर वृक्षारोपण – 1,000 नग किया जाना है। ग्राम पंचायत पासिद द्वारा सहमति प्राप्त भूमि (खसरा क्रमांक 01(पार्ट), क्षेत्रफल 0.4 हेक्टेयर)	प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि – 15,17,500 रूपये

परियोजना से संबंधित शपथ पत्र	1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण, सघन वृक्षारोपण एवं 90 प्रतिशत जीवन स्तर सुनिश्चित, छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् रोजगार, सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्य एवं संबंधित शाखा से कार्य पूर्ण प्रतिवेदन जिओटैग फोटोग्राफ सहित जानकारी अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करने बाबत्, प्राकृतिक जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं सवर्धन हेतु, पर्यावरण स्वीकृति में दिये गए शर्तों का पालन किया जाऐगा एवं छः माही पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावेगा, वर्षाऋतु के दौरान रेत उत्खनन का कार्य नहीं किया जाएगा। 2. इन्फोर्समेंट एवं मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेंड माईनिंग 2020 के प्रावधानों का पालन किया जावेगा एवं अनुमोदित उत्खनन योजना में दिये गये माईनेबल रिर्जव का 60 प्रतिशत रिजर्व ही उत्खनन किया जावेगा। 3. खदान में उत्खनन के दौरान सस्टेनेवल सेंड माईनिंग मैनेजमेंट गाइडलाईन 2016 एवं इन्फोर्समेंट एवं मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेंड माईनिंग 2020 के प्रावधानों का पालन किया जाएगा। उपरोक्त सभी तथ्यों का पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।	परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्न शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किये गये है:– 1. परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है। 2. परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है। 3. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को Common Cause vs. Union of India Writ Petition (C) 114 of 2014 में दिए गए दिशा निर्देशों का मेरे द्वारा पालन किया जावेगा। 4. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा।
श्रेणी	बी–2	आवेदित खदान को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 4.8 हेक्टेयर है।

1. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	**CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)**
25.47	2%	0.5094	Following activities at Nearby, **Village- Mudiyadih**	
			Plantation at Village Pond	0.718
			Total	**0.718**

2. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब के चारों ओर वृक्षारोपण (आम, कटहल, जामुन आदि) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कुल 40 नग जिसमें से 5 नग वृक्ष पूर्व से तालाब कें चारो ओर अवस्थित है। शेष 35 नग पौधों के लिए राशि 3,500 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 5,250 रूपये, खाद के लिए राशि 2,625 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 14,000 रूपये इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 25,375 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 46,500 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत पासिद के सहमति उपरांत आश्रित ग्राम मुड़ियाडीह के यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 207, क्षेत्रफल 0.44 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

3. सी.ई.आर. कार्य एवं नदी तट में वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं नदी तट में वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

4. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि लोडर जैसे यंत्र भारी वाहन की श्रेणी के है। अतः भराई का कार्य मैनुअल विधि से ही कराई जावें। भारी वाहनों के नदी में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 3 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। महानदी बड़ी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1.5 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःभराव होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

1. आवेदित खदान (ग्राम–मुड़ियाडीह) का रकबा 4.8 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत् सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

3. **लीज क्षेत्र की सतह का बेसलाईन डाटा –**

   i. रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर नदी में रेत की सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे कर, उसके आंकड़ें तत्काल एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किये जायें।

   ii. रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के

बाहर/नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर किया जायेगा।

iii. इसी प्रकार पोस्ट–मानसून (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा।

iv. रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य आगामी 6 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। प्री–मानसून के आंकड़ें अगस्त 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 एवं पोस्ट–मानसून के आंकड़ें दिसम्बर 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

4. एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि संबंधी जानकारी/दस्तावेज को एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

5. लीज क्षेत्र से निकतटम राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य की दूरी का उल्लेख करते हुये उप–संचालक (वन्य प्राणी) से अनापत्ति प्रमाण पत्र को एस.ई. आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

6. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से मेसर्स मुड़ियाडीह सेण्ड माईन (प्रो.– श्री सौरभ चंद्राकर), ग्राम–मुड़ियाडीह, तहसील व जिला–महासमुंद, पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 338, कुल लीज क्षेत्रफल–4.8 हेक्टेयर के कुल 60 प्रतिशत क्षेत्रफल में ही रेत उत्खनन अधिकतम 1.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 43,200 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड (River Bed) में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गढ्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

7. सस्टेनेबल सेण्ड माईनिंग मैनेजमेंट गाईडलाईन्स, 2016 (Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016) एवं ईन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के अनुसार कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 14/03/2024 को संपन्न 167वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक – मेसर्स मुड़ियाडीह सेण्ड माईन (प्रो.– श्री सौरभ चंद्राकर) को निम्नानुसार अतिरिक्त शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया:–

   i. सी.ई.आर. के तहत् एवं नदी के तट पर शासकीय भूमि में किये जाने वाले वृक्षारोपण का सत्यापन वन विभाग के सक्षम अधिकारी अथवा वन विभाग

द्वारा वृक्षारोपण के सत्यापन हेतु अधिकृत संस्थाओं (थर्ड पार्टी) से अनुमोदन कराकर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

ii. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब के चारों में किये जाने वाले वृक्षारोपण के सत्यापन हेतु जियोटेग फोटोग्राफ्स सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

समिति द्वारा निर्धारित शर्तो के अंतर्गत निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जाए। पालन नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् कार्यवाही की जाएगी।

2. एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने के उपरांत परियोजना प्रस्तावक को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

3. लीज क्षेत्र से निकतटम राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य की दूरी का उल्लेख करते हुये उप–संचालक (वन्य प्राणी) से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने के उपरांत परियोजना प्रस्तावक को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

9. मेसर्स बम्हनी सेण्ड माईन (प्रो.– श्री पंकज कुमार चंद्राकर), ग्राम–बम्हनी, तहसील–पलारी, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2727)

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाईन आवेदन	ई.सी. – 449892 एवं 22/10/2023	
खदान का प्रकार	रेत (गौण खनिज) खदान	प्रस्तावित
क्षेत्रफल एवं क्षमता	4.99 हेक्टेयर एवं 67,365 घनमीटर प्रतिवर्ष	
खसरा क्रमांक एवं नदी	पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक–654 एवं महानदी	
बैठक का विवरण	505वीं बैठक दिनांक 22/12/2023	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 15/12/2023
प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि		श्री पंकज कुमार चंद्राकर, प्रोपराईटर उपस्थित हुये।
पूर्व में जारी ई.सी.	पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।	
ग्राम पंचायत एन.ओ.सी.	ग्राम पंचायत बम्हनी दिनांक 06/03/2019	
उत्खनन योजना अनुमोदन	दिनांक 18/10/2023	
चिन्हांकित/सीमांकित	दिनांक 18/10/2023	
500 मीटर	दिनांक 18/10/2023	अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
200 मीटर	दिनांक 18/10/2023	प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

एल.ओ.आई.	एल.ओ.आई. धारक – श्री पंकज कुमार चंद्राकर दिनांक – 28/08/2023 वैधता अवधि – 1 वर्ष	
वन विभाग एन.ओ.सी.	वनमण्डलाधिकारी, बलौदाबाजार वनमण्डल बलौदाबाजार द्वारा जारी दिनांक 21/12/2023	वन क्षेत्र से दूरी – कक्ष क्रमांक 38 मलपूरी की सीमा से 5.1 कि.मी. है। समिति का मत है कि लीज क्षेत्र से निकतटम राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारणय की दूरी का उल्लेख करते हुये उप–संचालक (वन्य प्राणी) से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी	आबादी ग्राम – बम्हनी 1.9 कि.मी. स्कूल ग्राम – बम्हनी 2 कि.मी. अस्पताल – पलारी 13 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग– 12 कि.मी. राज्यमार्ग– 25.7 कि.मी.	तालाब– 570 मीटर नाला– 1.4 कि.मी. नहर– 2.4 कि.मी. एनीकट– 7.7 कि.मी. रोड पुल 23.4 कि.मी.
खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी	**खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई–** अधिकतम 1,150 मीटर, न्यूनतम 1,070 मीटर **खनन स्थल की लंबाई –** अधिकतम 218 मीटर, न्यूनतम 210 मीटर **खनन स्थल की चौड़ाई –** अधिकतम 249 मीटर, न्यूनतम 217 मीटर **खदान की नदी तट के किनारे से दूरी –** अधिकतम 182 मीटर, न्यूनतम 173 मीटर	
खदान स्थल पर रेत की मोटाई	स्थल पर रेत की गहराई – 4.25 मीटर रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2.25 मीटर खदान में माईनेबल रेत की मात्रा–67,365 घनमीटर खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी अनुसार – स्थल पर किये गये गढ्ढे (Pits) की संख्या – 5 रेत की उपलब्ध औसत गहराई 4.25 मीटर रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा प्रस्तुत किया गया है।	
खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स –	ग्रिड बिन्दु – 25 मीटर X 25 मीटर लेवल्स (Levels) दिनांक 15/06/2023 खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।	

वृक्षारोपण कार्य	नदी तट पर वृक्षारोपण – 1,000 नग किया जाना है। ग्राम पंचायत बम्हनी द्वारा सहमति प्राप्त भूमि (खसरा क्रमांक 573/1, क्षेत्रफल 0.9 हेक्टेयर)	प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि – 15,32,000 रूपये
परियोजना से संबंधित शपथ पत्र	1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण, सघन वृक्षारोपण एवं 90 प्रतिशत जीवन स्तर सुनिश्चित, छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् रोजगार, सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्य एवं संबंधित शाखा से कार्य पूर्ण प्रतिवेदन जिओटैग फोटोग्राफ सहित जानकारी अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करने बाबत्, प्राकृतिक जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं सवर्धन हेतु, पर्यावरण स्वीकृति में दिये गए शर्तों का पालन किया जाऐगा एवं छः माही पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावेगा, वर्षाऋतु के दौरान रेत उत्खनन का कार्य नहीं किया जाएगा। 2. इन्फोर्समेंट एवं मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेंड माईनिंग 2020 के प्रावधानों का पालन किया जावेगा एवं अनुमोदित उत्खनन योजना में दिये गये माईनेबल रिर्जव का 60 प्रतिशत रिजर्व ही उत्खनन किया जावेगा। 3. खदान में उत्खनन के दौरान सस्टेनेवल सेंड माईनिंग मैनेजमेंट गाइडलाईन 2016 एवं इन्फोर्समेंट एवं मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेंड माईनिंग 2020 के प्रावधानों का पालन किया जाएगा। उपरोक्त सभी तथ्यों का पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।	परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्न शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किये गये है:– 1. परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है। 2. परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है। 3. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को Common Cause vs. Union of India Writ Petition (C) 114 of 2014 में दिए गए दिशा निर्देशों का मेरे द्वारा पालन किया जावेगा। 4. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा।
श्रेणी	बी–2	आवेदित खदान का क्षेत्रफल 4.99 हेक्टेयर है।

1. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh

				Rupees)
27.42	2%	0.54	Following activities at Nearby, **Village- Bamhani**	
			Plantation at Village Pond	0.71
			Total	**0.71**

2. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब के चारों ओर वृक्षारोपण (आम, कटहल, जामुन) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कुल 35 नग पौधों के लिए राशि 3,500 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 5,250 रूपये, खाद के लिए राशि 2,625 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 14,000 रूपये इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 25,375 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 46,500 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत बम्हनी के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 253, क्षेत्रफल 2.52 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

3. सी.ई.आर. कार्य एवं नदी तट में वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं नदी तट में वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

4. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि लोडर जैसे यंत्र भारी वाहन की श्रेणी के है। अतः भराई का कार्य मैनुअल विधि से ही कराई जावें। भारी वाहनों के नदी में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2.25 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। महानदी बड़ी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1.5 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःभराव होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

1. आवेदित खदान (ग्राम–बम्हनी) का रकबा 4.99 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत् सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

3. **लीज क्षेत्र की सतह का बेसलाईन डाटा –**

   i. रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर नदी में रेत की सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे कर, उसके आंकड़ें तत्काल एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किये जायें।

ii. रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर/नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर किया जायेगा।

iii. इसी प्रकार पोस्ट–मानसून (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा।

iv. रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य आगामी 6 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। प्री–मानसून के आंकड़ें अगस्त 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 एवं पोस्ट–मानसून के आंकड़ें दिसम्बर 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

4. लीज क्षेत्र से निकतटम राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य की दूरी का उल्लेख करते हुये उप–संचालक (वन्य प्राणी) से अनापत्ति प्रमाण पत्र को एस.ई. आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से मेसर्स बम्हनी सेण्ड माईन (प्रो.– श्री पंकज कुमार चंद्राकर), ग्राम–बम्हनी, तहसील–पलारी, जिला–बलौदाबाजार – भाटापारा, पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 654, कुल लीज क्षेत्रफल–4.99 हेक्टेयर के कुल 60 प्रतिशत क्षेत्रफल में ही रेत उत्खनन अधिकतम 1.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 44,910 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड (River Bed) में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गढ्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

6. सस्टेनेबल सेण्ड माईनिंग मैनेजमेंट गाईडलाईन्स, 2016 (Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016) एवं ईन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के अनुसार कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 14/03/2024 को संपन्न 167वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 12/03/2024 के माध्यम से कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, बलौदाबाजार वनमण्डल, बलौदाबाजार के ज्ञापन क्रमांक/तकनीकी/खनिज/1100 बलौदाबाजार, दिनांक 07/03/2024 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 5.37 कि.मी., वन्यजीव अभ्यारण्य बारनवापारा 20 कि.मी. एवं टायगर रिजर्व अचानकमार 125.44 कि.मी. की दूरी पर है।

प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक – मेसर्स बम्हनी सेण्ड माईन (प्रो.– श्री पंकज कुमार चंद्राकर) को निम्नानुसार अतिरिक्त शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया:–

   i. सी.ई.आर. के तहत् एवं नदी के तट पर शासकीय भूमि में किये जाने वाले वृक्षारोपण का सत्यापन वन विभाग के सक्षम अधिकारी अथवा वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण के सत्यापन हेतु अधिकृत संस्थाओं (थर्ड पार्टी) से अनुमोदन कराकर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

   ii. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब के चारों में किये जाने वाले वृक्षारोपण के सत्यापन हेतु जियोटेग फोटोग्राफ्स सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

समिति द्वारा निर्धारित शर्तो के अंतर्गत निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जाए। पालन नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

10. मेसर्स खुर्सीपार लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री भुपेन्द्र सिंह सलूजा), ग्राम–खुर्सीपार, तहसील–खैरागढ़, जिला–खैरागढ़–छुईखदान–गंडई (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2726)

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाईन आवेदन	टी.ओ.आर. – 434441 एवं 23/10/2023	
खदान का प्रकार	चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान	प्रस्तावित
क्षेत्रफल एवं क्षमता	2.042 हेक्टेयर एवं 40,000 टन प्रतिवर्ष	
खसरा क्रमांक	73/2(पार्ट), 90, 91/1, 91/2, 91/3, 102/1 एवं 102/2	
भू–स्वामित्व	निजी भूमि भूमि श्री भूपेन्द्र सिंह सलूजा एवं श्री घनश्याम सिंह वाधवानी के नाम पर है।	घनश्याम सिंह वाधवानी का सहमति पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।
बैठक का विवरण	505वीं बैठक दिनांक 22/12/2023	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 15/12/2023
प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि		श्री भूपेन्द्र सिंह सलूजा, प्रोपराईटर उपस्थित हुये।
पूर्व में जारी ई.सी.	पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।	
ग्राम पंचायत एन.ओ.सी.	ग्राम पंचायत घोठिया दिनांक 10/09/2022	
उत्खनन योजना अनुमोदन	दिनांक 20/07/2023	
500 मीटर	दिनांक 20/10/2023	अन्य 3 खदानें, क्षेत्रफल 4.162 हेक्टेयर है।
200 मीटर	दिनांक 20/10/2023	प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

एल.ओ.आई.	एल.ओ.आई. धारक – श्री भूपेन्द्र सिंह सलूजा दिनांक – 14/02/2023 वैधता अवधि – 1 वर्ष	
वन विभाग एन.ओ.सी.	कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल खैरागढ़, जिला–राजनांदगांव द्वारा जारी दिनांक 29/10/2020	वन क्षेत्र से दूरी – कक्ष क्रमांक 363 से 9 कि.मी. है।
महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी	आबादी – खुर्सीपार 1 कि.मी. अस्पताल – खैरागढ़ 8.2 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग – 28 कि.मी. राज्यमार्ग – 2.41 कि.मी.	तालाब – 850 मीटर आमनेर नदी – 7 कि.मी.
पारिस्थितिकीय/ जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र	5 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं है।	
खनन संपदा एवं खनन का विवरण	उत्खनन विधि – ओपन कास्ट सेमी मेकेनाइज्ड ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग – हाँ रिर्जव्स – जियोलॉजिकल 13,78,350 टन माईनेबल 3,63,045 टन रिकव्हरेबल 3,44,892 टन प्रस्तावित गहराई 27 मीटर बेंच की ऊंचाई 3 मीटर बेंच की चौड़ाई 3 मीटर संभावित आयु 10 वर्ष प्रस्तावित क्रशर – नहीं	वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन प्रथम 40,000 टन द्वितीय 40,000 टन तृतीय 40,000 टन चतुर्थ 40,000 टन पंचम 40,000 टन
उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र	लीज के 7.5 मीटर का क्षेत्रफल – 7,037 वर्गमीटर	उत्खनित – नहीं
ऊपरी मिट्टी/ओव्हर बर्डन प्रबंधन योजना	मोटाई – 1 मीटर मात्रा – 13,000 घनमीटर	7,000 घनमीटर – 7.5 मीटर (माईन बाउण्ड्री) क्षेत्र में 1 मीटर की ऊंचाई पर फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग। शेष 6,000 घनमीटर – लीज क्षेत्र के बाहर ग्राम पंचायत घोठिया के द्वारा प्रदत्त शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 530/1(पार्ट), क्षेत्रफल–0.202 हेक्टेयर में भण्डारित कर संरक्षित।
जल आपूर्ति	मात्रा – 8 घनमीटर स्त्रोत – भू–जल	सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से प्राप्त।
वृक्षारोपण कार्य	1,700 नग	प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि – 5,27,000

श्रेणी	बी–1	आवेदित खदान को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 6.204 हेक्टेयर है।

1. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

   b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई. ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

i. Project proponent shall inform SEIAA & S.E.A.C. Chhattisgarh before commencement of Baseline Data Generation and start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

ii. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

iii. Project proponent shall submit the details of monitoring equipments alongwith its specification. Project proponent shall monitor as per the Methodology issued by MoEF&CC.

iv. Project Proponent shall submit the top soil & Overbudern management plan & incorporate the details in the EIA report.

v. Project Proponent shall submit an undertaking that the top soil & over burden would be stacked at the earmarked place and shall use the same in plantation and backfilling of the mined out area.

vi. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

vii. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.

viii. Project proponent shall submit the consent letter from land owners for mining.

ix. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

x. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

xi. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the mines located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.

xii. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xiii. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xiv. Project proponent shall submit the DPR (Detailed Project Report) and undertake plantation & incorporate in the EIA report.

xv. Project proponent shall submit the DPR (Detailed Project Report) of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintainance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

xvi. Project proponent shall submit the DPR (Detailed Project Report) of 5 years & undertake plantation (as far as possible tree bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain minimum 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.

xvii. Project proponent shall submit DPR (Detailed Project Report) of CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 14/03/2024 को संपन्न 167वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) निम्न अतिरिक्त शर्त के अधीन जारी करने का निर्णय लिया गया:–

"Project proponent shall submit the Copy of LOI Extension."

परियोजना प्रस्तावक को टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी किया जाए।

11. मेसर्स दतरेंगी सेण्ड माईन (प्रो.– श्री बिनय जायसवाल), ग्राम–दतरेंगी, तहसील–पलारी, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2729)

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाईन आवेदन	ई.सी. – 445331 एवं 28/10/2023	

खदान का प्रकार	रेत (गौण खनिज) खदान	प्रस्तावित
क्षेत्रफल एवं क्षमता	4.9 हेक्टेयर एवं 88,200 घनमीटर प्रतिवर्ष	
खसरा क्रमांक एवं नदी	पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक–1512 एवं महानदी	
बैठक का विवरण	505वीं बैठक दिनांक 22/12/2023	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 15/12/2023
प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि		श्री राजा बाबू मिश्रा, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुये। अधिकृत प्रतिनिधि का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
पूर्व में जारी ई.सी.	पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।	
ग्राम पंचायत एन.ओ.सी.	ग्राम पंचायत दतरेंगी दिनांक 14/08/2019	
उत्खनन योजना अनुमोदन	दिनांक 16/10/2023	
चिन्हांकित/सीमांकित	दिनांक 16/10/2023	
500 मीटर	दिनांक 16/10/2023	अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
200 मीटर	दिनांक 16/10/2023	प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
एल.ओ.आई.	एल.ओ.आई. धारक –श्री बिनय जायसवाल दिनांक – 31/07/2023 वैधता अवधि – 1 वर्ष	
वन विभाग एन.ओ.सी.	आवेदित क्षेत्र की निकटतम वन क्षेत्र से दूरी का उल्लेख करते हुए कार्यालय वनमण्डलाधिकारी से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।	लीज क्षेत्र से निकतटम राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य की दूरी का उल्लेख करते हुये उप–संचालक (वन्य प्राणी) से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी	आबादी ग्राम–दतरेंगी 1.4 कि.मी. एवं बल्दाकछार 900 मीटर स्कूल ग्राम – दतरेंगी 2.4 कि.मी, अस्पताल – पलारी 11.2 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग – 10.85 कि.मी. राज्यमार्ग– 23 कि.मी.	तालाब– 1.45 मीटर नाला– 1.1 कि.मी. नहर– 1.75 कि.मी. एनीकट– 4.3 कि.मी. रोड पुल – 25.25 कि.मी.
खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी	**खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई–** अधिकतम 710 मीटर, न्यूनतम 670 मीटर **खनन स्थल की लंबाई –** अधिकतम 321 मीटर, न्यूनतम 319 मीटर **खनन स्थल की चौड़ाई –** अधिकतम 154 मीटर, न्यूनतम 152 मीटर **खदान की नदी तट के किनारे से दूरी –** अधिकतम 150 मीटर, न्यूनतम 140 मीटर	

खदान स्थल पर रेत की मोटाई	स्थल पर रेत की गहराई – 5.2 मीटर रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 3 मीटर खदान में माईनेबल रेत की मात्रा–88,200 घनमीटर खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी अनुसार – स्थल पर किये गये गढ्ढे (Pits) की संख्या – 5 रेत की उपलब्ध औसत गहराई 5.2 मीटर रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा प्रस्तुत किया गया है।	
खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स	ग्रिड बिन्दु – 25 मीटर X 25 मीटर लेवल्स (Levels) दिनांक 14/06/2023 खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।	
वृक्षारोपण कार्य	नदी तट पर वृक्षारोपण – 1,000 नग किया जाना है। ग्राम पंचायत दतरेंगी द्वारा सहमति प्राप्त भूमि (खसरा क्रमांक 840, क्षेत्रफल 0.4 हेक्टेयर)	प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि – 15,13,125 रूपये
परियोजना से संबंधित शपथ पत्र	1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण, सघन वृक्षारोपण एवं 90 प्रतिशत जीवन स्तर सुनिश्चित, छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् रोजगार, सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्य एवं संबंधित शाखा से कार्य पूर्ण प्रतिवेदन जिओटैग फोटोग्राफ सहित जानकारी अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करने बाबत्, प्राकृतिक जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं सवर्धन हेतु, पर्यावरण स्वीकृति में दिये गए शर्तों का पालन किया जाऐगा एवं छः माही पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावेगा, वर्षाऋतु के दौरान रेत उत्खनन का कार्य नहीं किया जाएगा। 2. इन्फोर्समेंट एवं मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेंड माईनिंग 2020 के प्रावधानों का पालन किया जावेगा एवं अनुमोदित उत्खनन योजना में दिये गये माईनेबल रिर्जव का 60 प्रतिशत रिजर्व ही उत्खनन किया जावेगा। 3. खदान में उत्खनन के दौरान सस्टेनेवल	परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्न शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किये गये है:– 1. परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है। 2. परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है। 3. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को Common Cause vs. Union of India Writ Petition (C) 114 of 2014 में दिए गए दिशा निर्देशों का मेरे द्वारा पालन किया जावेगा। 4. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक

	सेंड माईनिंग मैनेजमेंट गाइडलाईन 2016 एवं इन्फोर्समेंट एवं मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेंड माईनिंग 2020 के प्रावधानों का पालन किया जाएगा। उपरोक्त सभी तथ्यों का पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।	08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा।
श्रेणी	बी–2	आवेदित खदान का क्षेत्रफल 4.9 हेक्टेयर है।

1. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
28.58	2%	0.57	Following activities at Nearby, **Village- Datrengi**	
			Plantation around Pond	0.71
			Total	**0.71**

2. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब के चारों ओर वृक्षारोपण (आम, कटहल, जामुन आदि) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कुल 35 नग पौधों के लिए राशि 3,500 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 5,250 रूपये, खाद के लिए राशि 2,625 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 14,000 रूपये इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 25,375 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 46,500 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत दतरेंगी के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 1072, क्षेत्रफल 1.935 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

3. सी.ई.आर. कार्य एवं नदी तट में वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं नदी तट में वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

4. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि लोडर जैसे यंत्र भारी वाहन की श्रेणी के है। अतः भराई का कार्य मैनुअल विधि से ही कराई जावें। भारी वाहनों के नदी में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 3 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया

है। महानदी बड़ी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1.5 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःभराव होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. आवेदित खदान (ग्राम–दतरेंगी) का रकबा 4.9 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत् सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

3. **लीज क्षेत्र की सतह का बेसलाईन डाटा –**

   i. रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर नदी में रेत की सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे कर, उसके आंकड़ें तत्काल एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किये जायें।

   ii. रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर/नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर किया जायेगा।

   iii. इसी प्रकार पोस्ट–मानसून (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा।

   iv. रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य आगामी 6 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। प्री–मानसून के आंकड़ें अगस्त 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 एवं पोस्ट–मानसून के आंकड़ें दिसम्बर 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

4. आवेदित क्षेत्र की निकटतम वन क्षेत्र से दूरी का उल्लेख करते हुए कार्यालय वनमण्डलाधिकारी से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं लीज क्षेत्र से निकतटम राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य की दूरी का उल्लेख करते हुये उप–संचालक (वन्य प्राणी) से अनापत्ति प्रमाण पत्र को एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से मेसर्स दतरेंगी सेण्ड माईन (प्रो.–श्री बिनय जायसवाल) को ग्राम–दतरेंगी, तहसील–पलारी, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा, पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 1512, कुल लीज क्षेत्रफल–4.9 हेक्टेयर के कुल 60 प्रतिशत क्षेत्रफल में ही रेत उत्खनन अधिकतम 1.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 44,100 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई श्रमिकों

द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड (River Bed) में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गढ्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

6. सस्टेनेबल सेण्ड माईनिंग मैनेजमेंट गाईडलाईन्स, 2016 (Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016) एवं ईन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के अनुसार कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 14/03/2024 को संपन्न 167वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक – मेसर्स दतरेंगी सेण्ड माईन (प्रो.–श्री बिनय जायसवाल) को निम्नानुसार अतिरिक्त शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया:–

   i. सी.ई.आर. के तहत् एवं नदी के तट पर शासकीय भूमि में किये जाने वाले वृक्षारोपण का सत्यापन वन विभाग के सक्षम अधिकारी अथवा वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण के सत्यापन हेतु अधिकृत संस्थाओं (थर्ड पार्टी) से अनुमोदन कराकर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

   ii. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब के चारों में किये जाने वाले वृक्षारोपण के सत्यापन हेतु जियोटेग फोटोग्राफ्स सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

   समिति द्वारा निर्धारित शर्तो के अंतर्गत निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जाए। पालन नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् कार्यवाही की जाएगी।

2. आवेदित क्षेत्र की निकटतम वन क्षेत्र से दूरी का उल्लेख करते हुए कार्यालय वनमण्डलाधिकारी से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं लीज क्षेत्र से निकतटम राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य की दूरी का उल्लेख करते हुये उप–संचालक (वन्य प्राणी) से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने के उपरांत परियोजना प्रस्तावक को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

12. मेसर्स पैरागुड़ा सेण्ड माईन (प्रो.– श्री उमेश कुमार बर्मन), ग्राम–पैरागुड़ा, तहसील–कसडोल, जिला–बलौदाबाजार–भाठापारा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2730)

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाईन आवेदन	टी.ओ.आर. – 446388 एवं 28/10/2023	
खदान का प्रकार	रेत (गौण खनिज) खदान	प्रस्तावित
क्षेत्रफल एवं क्षमता	4.99 हेक्टेयर एवं 89,820 घनमीटर प्रतिवर्ष	
खसरा क्रमांक एवं नदी	पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 1 एवं महानदी	

बैठक का विवरण	505वीं बैठक दिनांक 22/12/2023	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 15/12/2023
प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि		श्री मनोज सिंह, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुये। अधिकृत प्रतिनिधि का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
पूर्व में जारी ई.सी.	पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।	
ग्राम पंचायत एन.ओ.सी.	ग्राम पंचायत पुटपुरा दिनांक 31/10/2017	
उत्खनन योजना अनुमोदन	दिनांक 25/10/2023	
चिन्हांकित/ सीमांकित	दिनांक 26/10/2023	
500 मीटर	दिनांक 26/10/2023	अन्य 3 खदानें, क्षेत्रफल 21.98 हेक्टेयर है।
200 मीटर	दिनांक 26/10/2023	प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
एल.ओ.आई.	एल.ओ.आई. धारक – श्री उमेश कुमार बर्मन दिनांक – 28/08/2023 वैधता अवधि – 1 वर्ष	
वन विभाग एन.ओ.सी.	आवेदित क्षेत्र की निकटतम वन क्षेत्र से दूरी का उल्लेख करते हुए कार्यालय वनमण्डलाधिकारी से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।	लीज क्षेत्र से निकतटम राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य की दूरी का उल्लेख करते हुये उप–संचालक (वन्य प्राणी) से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी	आबादी ग्राम– पैरागुड़ा 1.2 कि.मी., अस्पताल– पलारी 15.45 कि.मी. स्कूल ग्राम– ठाकुरदिया 1.6 कि.मी राष्ट्रीय राजमार्ग– 13.1 कि.मी. राज्यमार्ग– 14.5 कि.मी.	नहर– 2.4 कि.मी. एनीकट– 6.3 कि.मी. नाला– 220 मीटर तालाब– 1.25 कि.मी. रोड पुल – 14.85 कि.मी.
पारिस्थितिकीय/ जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र	5 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं है।	
खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी	**खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई–** अधिकतम 850 मीटर, न्यूनतम 790 मीटर **खनन स्थल की लंबाई –** अधिकतम 246 मीटर, न्यूनतम 236 मीटर **खनन स्थल की चौड़ाई –** अधिकतम 212 मीटर, न्यूनतम 200 मीटर	

	खदान की नदी तट के किनारे से दूरी – अधिकतम 210 मीटर, न्यूनतम 120 मीटर	
खदान स्थल पर रेत की मोटाई	स्थल पर रेत की गहराई – 5.1 मीटर रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 3 मीटर खदान में माईनेबल रेत की मात्रा–89,820 घनमीटर खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी अनुसार – स्थल पर किये गये गढ्ढे (Pits) की संख्या 5 रेत की उपलब्ध औसत गहराई 5.1 मीटर रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा प्रस्तुत किया गया है।	
खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स	ग्रिड बिन्दु – 25 मीटर X 25 मीटर लेवल्स (Levels) दिनांक 13/06/2023 खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।	
वृक्षारोपण कार्य	नदी तट पर वृक्षारोपण – 1,000 नग किया जाना है। ग्राम पंचायत पुटपुरा द्वारा सहमति प्राप्त भूमि (खसरा क्रमांक 6/1, क्षेत्रफल 0.4 हेक्टेयर)	प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि – 15,11,750
श्रेणी	बी–1	आवेदित खदान को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 26.97 हेक्टेयर है।

1. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य 20 अक्टूबर 2023 से प्रारंभ किया गया है।
2. माननीय एन.जी.टी., प्रीसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन क्रमांक 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

   b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. इस खदान में 5 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल का क्लस्टर निर्मित हो रहा है।
2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण बी–1 केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई

दिल्ली द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

i. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

ii. Project proponent shall submit the details of monitoring equipments alongwith its specification. Project proponent shall monitor as per the Methodology issued by MoEF&CC.

iii. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

iv. Project Proponent shall submit the post-monsoon RL data in the interval of 25x25 meter grid pattern and shall certified information from the Mining Department. This grid pattern area shall cover outside the mining lease upto 100 meters from mining lease.

v. Project proponent shall submit letter from Deputy Director (Wildlife & Biodiversity Conservation) mentioning with the distance of nearest National Park & Wildlife Santuary from the lease area and also submit the NOC from DFO, forest department mentioning distance between mine lease boundary to forest boundary.

vi. Project proponent shall submit an affidavit of doing sand mining with the help of labourer and not use machines in the river for mining and loading.

vii. Project Proponent shall submit the DGPS co-ordinates of Boundary.

viii. Project Proponent shall submit the sand replenishment study duly verified by district mining officer of mining department.

ix. Project Proponent shall submit the high flood level (HFL) details from the competent authority. Plantation in the river bank will have to be done leaving high flood level (HFL).

x. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

xi. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

xii. Project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit that mining shall be conducted / carriedout only manually (excavation of sand to be done manually).

xiii. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xiv. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xv. Project proponent shall submit the DPR (Detailed Project Report) and undertake plantation & incorporate in the EIA report.

xvi. Project proponent shall submit DPR (Detailed Project Report) of CER proposals with details of works alongwith their estimates including land

cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 14/03/2024 को संपन्न 167वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी किया जाए।

13. मेसर्स श्री सालासार बालाजी इन्फ्रास्ट्रक्चर (मखुरीडीह लाईम स्टोन क्वारी, पार्टनर– श्री कमल सोनी), ग्राम–मखुरीडीह, तहसील–पथरिया, जिला–मुंगेली (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2739)

भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 28/04/2023 जारी किया गया है, जिसके पैरा 4 में निम्न प्रावधान है:–

"The matter has been examined in the Ministry and accordingly it has been decided that all valid ECs issued by DEIAA shall be reappraised through SEAC/SEIAA in compliance to the order of the Hon'ble NGT in O.A.142 of 2022. In view of above, it is hereby directed that all concerned SEACs shall re-appraise the ECs issued by DEIAAs between 15.01.2016 and 13.09.2018 (including both dates) and all fresh ECs in this regard shall be granted only by SEIAAs based on such appraisal. The exercise shall be completed within a time period of one year from the date of issue of this OM. DEIAAs shall transfer all such files where ECs have been granted to concerned SEIAA within a time period of one month from issue of this OM."

उक्त ऑफिस मेमोरेण्डम के तहत् परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनः अनुशंसा (re-appraisal) हेतु एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाईन आवेदन	टी.ओ.आर. – 450984 एवं 01/11/2023	
खदान का प्रकार	चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान	संचालित
क्षेत्रफल एवं क्षमता	1.21 हेक्टेयर एवं 21,322 टन प्रतिवर्ष	
खसरा क्रमांक	3 एवं 9/1	
भू–स्वामित्व	निजी भूमि मेसर्स श्री सालासार बालाजी इन्फ्रास्ट्रक्चर, पार्टनर–श्री कमल सोनी के नाम पर है।	
बैठक का विवरण	506वीं बैठक दिनांक 09/01/2023	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 03/01/2024
प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि		श्री अनिल कुमार ओझा, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुये। अधिकृत प्रतिनिधि का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

पूर्व में जारी ई.सी.	खदान का प्रकार – चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान खसरा क्रमांक – 3 एवं 9/1 क्षेत्रफल – 1.21 हेक्टेयर क्षमता – 21,322 टन प्रतिवर्ष दिनांक – 04/01/2017 वैधता अवधि – 5 वर्ष	डी.ई.आई.ए.ए., जिला– मुंगेली भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार Corona Virus(COVID-19) के कारण पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 03/01/2023 तक वैध थी।
पूर्व में जारी ई.सी. का पालन प्रतिवेदन	स्व–प्रमाणित – हाँ	निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण – 250 नग
विगत वर्षो में किये गये उत्खनन	(1) दिनांक 20/01/2023 वर्ष 2018–19 में 200 टन वर्ष 2019–20 में 50 टन वर्ष 2020–21 में 630 टन वर्ष 2021–22 में 4,840 टन दिनांक 01/04/2022 से 30/09/2022 में 9,110 टन (2) दिनांक 05/01/2024 दिनांक 01/04/2022 से 31/12/2022 में 15,440 टन दिनांक 01/01/2023 से 05/01/2024 तक निरंक	
ग्राम पंचायत एन.ओ.सी.	ग्राम पंचायत सल्फा दिनांक 30/04/2012	
उत्खनन योजना अनुमोदन	दिनांक 01/08/2016	
500 मीटर	दिनांक 20/01/2023	7 खदानें, रकबा 5.988 हेक्टेयर
200 मीटर	दिनांक 20/01/2023	प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं
लीज डीड	लीज धारक – मेसर्स श्री सालासार बालाजी इन्फ्रास्ट्रक्चर, पार्टनर – श्री कमल सोनी, अवधि – दिनांक 11/02/2013 से 10/02/2043	पूर्व में लीज – मेसर्स एम.एस.व्ही. इंजीकॉन प्राईवेट लिमिटेड, डायरेक्टर – श्री विकास केजरीवाल के नाम पर थी। लीज डीड दिनांक 08/01/2019 को मेसर्स श्री सालासार बालाजी इन्फ्रास्ट्रक्चर, पार्टनर – श्री कमल सोनी के नाम पर हस्तांतरित की गई।
वन विभाग एन.ओ.सी.		आवेदित क्षेत्र की निकटतम वन क्षेत्र से दूरी का उल्लेख करते हुए कार्यालय वनमण्डलाधिकारी से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी	आबादी ग्राम – भखुरीडीह 690 मीटर स्कूल ग्राम – भखुरीडीह 860 मीटर	तालाब – 330 मीटर नहर – 2.5 कि.मी.

	अस्पताल – सरगांव 3.55 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग – 1.85 कि.मी. राज्यमार्ग – 20.9 कि.मी.	मनियारी नदी – 1 कि.मी. मौसमी नाला – 440 मीटर
पारिस्थितिकीय / जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र	5 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं है।	
खनन संपदा एवं खनन का विवरण	उत्खनन विधि – ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड ड्रिलिंग एवं कन्ट्रोल ब्लास्टिंग – हाँ **क्वारी प्लान अनुसार रिजर्व्स –** जियोलॉजिकल 4,23,500 टन माईनेबल 2,24,000 टन रिकव्हरेबल 2,12,800 टन **वर्तमान में शेष रिजर्व्स –** जियोलॉजिकल 4,01,226 टन माईनेबल 2,01,726 टन रिकव्हरेबल 1,91,640 टन प्रस्तावित गहराई 15 मीटर बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर बेंच की चौड़ाई 1.5 मीटर संभावित आयु 10 वर्ष प्रस्तावित क्रशर – नहीं	वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन प्रथम 2,125 टन द्वितीय 6,000 टन तृतीय 5,625 टन चतुर्थ 5,250 टन पंचम 4,875 टन षष्ठम 4,875 टन सप्तम 4,312 टन अष्टम 4,125 टन नवम 3,937 टन दशम 3,750 टन
उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र	लीज के 7.5 मीटर का क्षेत्रफल – 4,350 वर्गमीटर	उत्खनित – हां माईनिंग प्लान में उल्लेख– नहीं
ऊपरी मिट्टी / ओव्हर बर्डन प्रबंधन योजना	मोटाई – 1 मीटर मात्रा – 8,500 घनमीटर	1,525 घनमीटर – 7.5 मीटर (माईन बाउण्ड्री) क्षेत्र में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग। शेष 6,975 घनमीटर – लीज क्षेत्र के बाहर भूमि में भण्डारित कर संरक्षित।
जल आपूर्ति	मात्रा – 6 घनमीटर प्रतिदिन स्त्रोत – भू–जल एवं पूर्व से उत्खनित पिट में संग्रहित जल	भू–जल के उपयोग हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त है।
वृक्षारोपण कार्य	लीज क्षेत्र की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी के चारों ओर वृक्षारोपण – 861 नग वर्तमान वृक्षारोपण – 250 नग शेष प्रस्तावित वृक्षारोपण – 611 नग	
श्रेणी	बी–1	आवेदित खदान को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 7.198 हेक्टेयर है।

1. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य 01 मार्च 2023 से प्रारंभ किया गया। तत्समय बेसलाईन डाटा कलेक्शन की सूचना दी गई थी।

2. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लघंन है। अतः जाँच उपरांत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। साथ ही उक्त उत्खनित क्षेत्र को पुनःभराव किये जाने हेतु रेस्टोरेशन प्लान एवं उत्खनित भाग को शामिल करते हुए अद्यतन स्थिति अनुसार रिजर्व की गणना कर संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक VIII (i) के अनुसारः–

   "The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

   उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

4. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया हैः–

   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

   b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

1. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों को क्रियान्वित कराने बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को लेख किया जाए।

2. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर जाँच उपरांत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए. /ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गईः–

i. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

ii. Project proponent shall submit the details of monitoring equipments alongwith its specification. Project proponent shall monitor as per the Methodology issued by MoEF&CC.

iii. Project proponent shall submit the NOC from competent authority (DFO) mentioning distance between project boundary to forest boundary /National park/ Scanturary.

iv. Project proponent shall submit top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.

v. Project Proponent shall submit an undertaking that the top soil would be stacked at the earmarked place and shall use the same in plantation and backfilling of the mined out area.

vi. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

vii. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.

viii. Project proponent shall submit an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies.

ix. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction

x. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

xi. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the mines located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.

xii. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xiii. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xiv. Project proponent shall submit the DPR (Detailed Project Report) and undertake plantation & incorporate in the EIA report.

xv. Project proponent shall submit the revised approved quarry plan incorporating the mined out area in safety zone.

xvi. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area submit DPR (Detailed Project Report) of restoration plan and do remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall incorporate the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone.

xvii. Project proponent shall submit the DPR (Detailed Project Report) & complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintainance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

xviii. Project proponent shall submit the DPR (Detailed Project Report) of 5 years & undertake plantation (as far as possible tree bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain minimum 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.

xix. Project proponent shall submit DPR (Detailed Project Report) of CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 14/03/2024 को संपन्न 167वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया।

साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि:–

(1) (i) माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग कियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लिख किया जाए।

(ii) प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को पत्र लेख किया जाए।

(iii) माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन से पर्यावरण को क्षति होने के कारण छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी किया जाए। साथ ही संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए।

14. मेसर्स कटंगपाली डोलोमाईट डिपोजिट (प्रो.– श्रीमती आराधना पटेल), ग्राम–कटंगपाली, तहसील–बरमकेला, जिला–रायगढ़ (वर्तमान जिला–सारंगढ़– बिलाईगढ़) (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2753)

भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 28/04/2023 जारी किया गया है, जिसके पैरा 4 में निम्न प्रावधान है:–

"The matter has been examined in the Ministry and accordingly it has been decided that all valid ECs issued by DEIAA shall be reappraised through SEAC/SEIAA in compliance to the order of the Hon'ble NGT in O.A.142 of 2022. In view of above, it is hereby directed that all concerned SEACs shall re-appraise the ECs issued by DEIAAs between 15.01.2016 and 13.09.2018 (including both dates) and all fresh ECs in this regard shall be granted only by SEIAAs based on such appraisal. The exercise shall be completed within a time period of one year from the date of issue of this OM. DEIAAs shall transfer all such files where ECs have been granted to concerned SEIAA within a time period of one month from issue of this OM."

उक्त ऑफिस मेमोरेण्डम के तहत् परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनः अनुशंसा (re-appraisal) हेतु एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाईन आवेदन	टी.ओ.आर. – 451592 एवं 10/11/2023	
खदान का प्रकार	डोलोमाईट (गौण खनिज) खदान	संचालित
क्षेत्रफल एवं क्षमता	4.729 हेक्टेयर एवं 81,565.23 टन प्रतिवर्ष	
खसरा क्रमांक	204, 206, 207, 214/1, 214/3, 216/2, 217/2, 200/1, 205, 208/2, 209/2, 210/1, 210/2, 215/1ख, 215/2, 215/5, 217/1, 208/1, 209/1, 213/2ख, 34/3, 37/1, 37/3, 34/4, 34/7, 37/4, 39/3, 38/5, 34/1, 37/6, 35/1, 38/6, 34/2, 37/2, 36 एवं 37/5	
भू–स्वामित्व	निजी भूमि खसरा क्रमांक – 204, 206, 207, 214/1, 214/3, 216/2, 217/2	उत्खनन हेतु सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

	श्रीमती सीता, श्रीमती तेजेश्वरी व श्रीमती आराधना, खसरा क्रमांक 200/1, 205, 208/2, 209/2, 210/1, 210/2, 215/1ख, 215/2, 215/5, 217/1 श्रीमती लालमती, खसरा क्रमांक 208/1, 209/1, 213/2ख श्री गोकुल, खसरा क्रमांक 34/3, 37/1, 37/3, 34/4, 34/7, 37/4, 39/3, 34/1, 37/6, 34/2, 37/2, 37/5 श्री पीलाबाबू पटेल, खसरा क्रमांक 38/5 श्री रामरतन, खसरा क्रमांक 35/1 श्री युवराज, खसरा क्रमांक 38/6 श्री उकिया, खसरा क्रमांक 36 श्री नकुल के नाम पर है।	
बैठक का विवरण	506वीं बैठक दिनांक 09/01/2024	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 03/01/2024
प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि		श्री आशीष पटेल, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुये। अधिकृत प्रतिनिधि का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
पूर्व में जारी ई.सी.	खदान का प्रकार – डोलोमाईट (गौण खनिज) खसरा क्रमांक – 204, 206, 207, 214/1, 214/3, 216/2, 217/2, 200/1, 205, 208/2, 209/2, 210/1, 210/2, 215/1ख, 215/2, 215/5, 217/1, 208/1, 209/1, 213/2ख, 34/3, 37/1, 37/3, 34/4, 34/7, 37/4, 39/3, 38/5, 34/1, 37/6, 35/1, 38/6, 34/2, 37/2, 36 एवं 37/5 क्षेत्रफल – 4.729 हेक्टेयर क्षमता – 81,565.23 टन प्रतिवर्ष दिनांक – 24/10/2016	डी.ई.आई.ए.ए., जिला–रायगढ़ पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 21/03/2047 तक है।
पूर्व में जारी ई.सी. का पालन प्रतिवेदन	स्व–प्रमाणित – हाँ	निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण – नहीं
विगत वर्षो में किये गये उत्खनन	दिनांक 03/11/2023 वर्ष 2017–18 में 69,950 टन वर्ष 2018–19 में 71,990 टन वर्ष 2019–20 में 36,150 टन वर्ष 2020–21 में निरंक टन वर्ष 2021–22 में 29,270 टन वर्ष 2022–23 में 73,000 टन	अप्रैल 2023 से किये गये उत्खनन की वास्तविक मात्रा की अद्यतन जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
ग्राम पंचायत एन.ओ.सी.	ग्राम पंचायत कटंगपाली दिनांक 14/03/2010	उत्खनन एवं क्रशर की स्थापना के संबंध में।

उत्खनन योजना अनुमोदन	दिनांक 16/02/2016	
500 मीटर	दिनांक 03/11/2023	2 खदानें, क्षेत्रफल 9.008 हेक्टेयर
200 मीटर	दिनांक 03/11/2023	प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं
लीज डीड	वर्तमान लीज धारक – श्रीमती आराधना पटेल, अवधि – दिनांक 22/03/2017 से 21/03/2067 तक।	
वन विभाग एन.ओ.सी.	दिनांक 15/09/2009	वन क्षेत्र से दूरी – 7 कि.मी.
महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी	आबादी ग्राम–कटंगपाली 500 मीटर स्कूल ग्राम–कटंगपाली 270 मीटर अस्पताल – चंद्रपुर 7.6 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग – 8.9 कि.मी. राज्यमार्ग – 170 मीटर	
पारिस्थितिकीय/ जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र	5 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं है।	
खनन संपदा एवं खनन का विवरण	उत्खनन विधि – ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग – हाँ **रिर्जव्स**– जियोलॉजिकल 18,97,273 टन माईनेबल 0.990 मिलियन टन रिकव्हरेबल 0.891 मिलियन टन प्रस्तावित गहराई 20 मीटर बेंच की ऊंचाई 3 मीटर बेंच की चौड़ाई 3 मीटर संभावित आयु 12 वर्ष स्थापित क्रशर – 1,500 वर्गमीटर	**वर्षवार उत्खनन** प्रथम 69,996.54 टन द्वितीय 71,998.09 टन तृतीय 73,183.32 टन चतुर्थ 75,993.79 टन पंचम 76,848.34 टन षष्टम 73,126.12 टन सप्तम 80,073.17 टन अष्टम 81,117.27 टन नवम 83,009.58 टन दशम 81,565.23 टन
उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र	लीज के 7.5 मीटर का क्षेत्रफल – 12,961.25 वर्गमीटर	उत्खनित – हाँ माईनिंग प्लान में उल्लेख–नहीं
गैर माईनिंग	क्षेत्रफल – 1,500 वर्गमीटर क्षेत्र छोड़ने का कारण – क्रशर होने के कारण	माईनिंग प्लान में उल्लेख– नहीं
ऊपरी मिट्टी/ ओव्हर बर्डन प्रबंधन योजना	मोटाई – 3 मीटर मात्रा – 65,947.59 घनमीटर	
जल आपूर्ति	मात्रा – 5 घनमीटर स्त्रोत – भू–जल	सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त है।

वृक्षारोपण कार्य	लीज क्षेत्र की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी के चारों ओर वृक्षारोपण – 2,500 नग	
श्रेणी	बी1	आवेदित खदान को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 13.737 हेक्टेयर है।

1. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लघंन है। अतः जाँच उपरांत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। साथ ही उक्त उत्खनित क्षेत्र को पुनःभराव किये जाने हेतु रेस्टोरेशन प्लान एवं उत्खनित भाग को शामिल करते हुए अद्यतन स्थिति अनुसार रिजर्व की गणना कर संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक VIII (i) के अनुसारः–

   "The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

   उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

3. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया हैः–

   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

   b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

1. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों को क्रियान्वित कराने बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को लेख किया जाए।

2. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर जाँच उपरांत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक,

संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए. /ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

i. Project proponent shall inform SEIAA & S.E.A.C. Chhattisgarh before commencement of Baseline Data Generation and start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

ii. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

iii. Project proponent shall submit the details of monitoring equipments alongwith its specification. Project proponent shall monitor as per the Methodology issued by MoEF&CC.

iv. Project proponent shall submit updated production details to till date from the mining department.

v. Project proponent shall submit top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.

vi. Project Proponent shall submit an undertaking that the top soil would be stacked at the earmarked place and shall use the same in plantation and backfilling of the mined out area..

vii. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

viii. Project proponent shall submit an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies.

ix. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction

x. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

xi. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the mines located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.

xii. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xiii. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xiv. Project proponent shall submit the DPR (Detailed Project Report) and undertake plantation & incorporate in the EIA report.

xv. Project proponent shall submit the revised approved quarry plan incorporating the mined out area in safety zone and also incorporate the crusher area in reserve calculation.

xvi. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area submit DPR (Detailed Project Report) of restoration plan and do remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall incorporate the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone.

xvii. Project proponent shall submit the DPR (Detailed Project Report) & complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintainance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

xviii. Project proponent shall submit the DPR (Detailed Project Report) of 5 years & undertake plantation (as far as possible tree bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain minimum 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.

xix. Project proponent shall submit DPR (Detailed Project Report) of CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 14/03/2024 को संपन्न 167वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया।

साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि:–

(1) (i) माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग कियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लिख किया जाए।

(ii) प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये

जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को पत्र लेख किया जाए।

(iii) माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन से पर्यावरण को क्षति होने के कारण छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी किया जाए। साथ ही संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए।

15. मेसर्स बालाजी ब्रिक्स अर्थ क्वारी (प्रो.– श्री वी.के.एम. मुदलियार), ग्राम–बहेसर, तहसील व जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2271)

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाईन आवेदन	ई.सी. – 414797 एवं 08/11/2023 ई.डी.एस. जारी दिनांक – 24/01/2023 जानकारी प्राप्ति दिनांक – 01/01/2024	
खदान का प्रकार	मिट्टी (गौण खनिज) खदान	संचालित
क्षेत्रफल एवं क्षमता	3.85 हेक्टेयर एवं 33,52,352 नग ईंट प्रतिवर्ष	
खसरा क्रमांक	91, 92, 93, 94/1, 94/2, 95/1, 95/2, 95/3 एवं 95/4	
बैठक का विवरण	506वीं बैठक दिनांक 09/01/2024	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 03/01/2024

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 09/01/2024 के माध्यम से सूचना दी गयी है कि उनको टी.ओ.आर. हेतु ऑनलाईन आवेदन किया जाना था परन्तु उनके द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया है। अतः आवेदन को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया, जिसे समिति द्वारा मान्य किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को स्वीकार करते हुये आवेदित प्रकरण को डि–लिस्ट/निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई तथा ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 2006 (यथा संशोधित) के तहत् पालन करते हुए पुनः आवेदन करने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 14/03/2024 को संपन्न 167वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/जानकारी/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदन को डि–लिस्ट / निरस्त करने का निर्णय लिया गया। साथ ही प्रस्ताव को वर्तमान में प्राप्त प्रारुप में यथावत् डि–लिस्ट / निरस्त किया जाता है तथा परियोजना प्रस्तावक को यह सुझाव दिया जाता है कि वह भारत सरकार, पर्यावरण, वन और

जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) एवं समय–समय पर जारी गाईडलाईन्स के अनुसार आवेदन प्रस्तुत किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

16. मेसर्स गुड़ेलिया लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री नितिश कुमार अग्रवाल), ग्राम–गुड़ेलिया, तहसील–भाटापारा, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2803)

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाईन आवेदन	ई.सी. – 453398 एवं 26/11/2023	
खदान का प्रकार	चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान	संचालित
क्षेत्रफल एवं क्षमता	0.364 हेक्टेयर एवं 3,510 टन प्रतिवर्ष	
खसरा क्रमांक	898/2	
बैठक का विवरण	506वीं बैठक दिनांक 09 /01/2024	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 03/01/2024

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 09/01/2024 के माध्यम से सूचना दी गयी है कि आवेदित खदान जब स्वीकृत हुआ था तब आस–पास कोई रास्ता नहीं था। वर्तमान में खदान के 5 मीटर की दूरी में ग्रामीण पक्की सड़क बन चुकी है, यदि सड़क से 50 मीटर दूरी छोड़ी जाये तो उत्खनन के लिए जगह शेष नहीं बचती है, क्योंकि लीज का क्षेत्रफल बहुत ही कम 0.364 हेक्टेयर है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुरोध किया गया है कि यदि पर्यावरणीय स्वीकृति दिया जाना संभव हो तो आगामी प्रस्तुतीकरण में प्रस्तुत होने की अनुमति प्रदान करें। यदि पर्यावरणीय स्वीकृति दिया जाना संभव न हो तो इस प्रकरण को निरस्त करें। इस संबंध में समिति का मत है कि **छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 27/03/2015 के अध्याय–दो के बिन्दु क्रमांक 5(ग)** "जो किसी पुल, राष्ट्रीय या राज्य राजमार्ग, रेलपथ से, सभी दिशाओं में, 100 मीटर की दूरी के भीतर, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत निर्मित सड़क, लोक निर्माण विभाग की अन्य जिले के सड़कों से, सभी दिशाओं में, 50 मीटर के भीतर तथा ग्रामीण कच्चे रास्ते से, सभी दिशाओं में, 10 मीटर के भीतर या ग्रामीण मार्ग को छोड़कर, किसी सार्वजनिक स्थान से, सभी दिशाओं में, 50 मीटर के भीतर:" का उल्लेख है।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में **समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति** से परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को स्वीकार करते हुये आवेदित प्रकरण को डि–लिस्ट/निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 14/03/2024 को संपन्न 167वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/जानकारी/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदन को डि–लिस्ट / निरस्त करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

17. मेसर्स श्री सांई स्टोन क्रशर (मस्तुरी लाईम स्टोन माईन, पार्टनर– श्री कपिल खनुजा), ग्राम–मस्तुरी, तहसील–मस्तुरी, जिला–बिलासपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2808)

भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 28/04/2023 जारी किया गया है, जिसके पैरा 4 में निम्न प्रावधान है:–

"The matter has been examined in the Ministry and accordingly it has been decided that all valid ECs issued by DEIAA shall be reappraised through SEAC/SEIAA in compliance to the order of the Hon'ble NGT in O.A.142 of 2022. In view of above, it is hereby directed that all concerned SEACs shall re-appraise the ECs issued by DEIAAs between 15.01.2016 and 13.09.2018 (including both dates) and all fresh ECs in this regard shall be granted only by SEIAAs based on such appraisal. The exercise shall be completed within a time period of one year from the date of issue of this OM. DEIAAs shall transfer all such files where ECs have been granted to concerned SEIAA within a time period of one month from issue of this OM."

उक्त ऑफिस मेमोरेण्डम के तहत् परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनः अनुशंसा (re-appraisal) हेतु एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाईन आवेदन	टी.ओ.आर. – 453402 एवं 27/11/2023 ई.डी.एस. जारी दिनांक – 17/12/2023 जानकारी प्राप्ति दिनांक – 03/01/2024	
खदान का प्रकार	चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान	संचालित
क्षेत्रफल एवं क्षमता	1.561 हेक्टेयर एवं 19,412.5 टन प्रतिवर्ष	
खसरा क्रमांक	594/1, 594/3, 594/4, 594/5, 594/6 एवं 595	
भू–स्वामित्व	निजी भूमि भूमि मेसर्स श्री सांई स्टोन क्रशर, पार्टनर श्री कपिल खनूजा, श्री गीतेश छाबड़ा एवं मोहम्मद अहमद के नाम पर है।	
बैठक का विवरण	506वीं बैठक दिनांक 09/01/2023	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 03/01/2024
प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि		श्री मोहम्मद अहमद, पार्टनर उपस्थित हुये। पार्टनरशीप डीड की प्रति प्रस्तुत की गई है।
पूर्व में जारी ई.सी.	खदान का प्रकार – चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान खसरा क्रमांक – 594/1, 594/3, 594/4, 594/5, 594/6 एवं 595 क्षेत्रफल – 1.561 हेक्टेयर क्षमता – 19,412.5 टन प्रतिवर्ष	डी.ई.आई.ए.ए., जिला–बिलासपुर पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 13/10/2040 तक है।

	दिनांक – 30/12/2016	
पूर्व में जारी ई. सी. का पालन प्रतिवेदन	स्व–प्रमाणित – हाँ	निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण – 160 नग
विगत वर्षो में किये गये उत्खनन	दिनांक 21/07/2023 वर्ष 2019–20 में 2,290 टन वर्ष 2020–21 में 5,370 टन वर्ष 2021–22 में 7,100 टन वर्ष 2022–23 में 5,000 टन	
ग्राम पंचायत एन.ओ.सी.	ग्राम पंचायत मस्तुरी दिनांक 26/01/2003	
उत्खनन योजना अनुमोदन	दिनांक 18/11/2016	
500 मीटर	दिनांक 21/07/2023	15 खदानें, रकबा 22.917 हेक्टेयर
200 मीटर	दिनांक 21/07/2023	प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं
लीज डीड	वर्तमान लीज धारक – मेसर्स श्री सांई स्टोन क्रशर, पार्टनर – श्री कपिल खनूजा अवधि – दिनांक 14/10/2010 से 13/10/2040 तक।	पूर्व में लीज धारक – श्री राकेश अग्रवाल लीज डीड हस्तांतरण– दिनांक 11/11/2019
वन विभाग एन.ओ.सी.	दिनांक 19/10/2023	वन क्षेत्र से दूरी – 8.6 कि.मी.
महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी	आबादी ग्राम – मोहतरा 350 मीटर स्कूल ग्राम – मस्तुरी 600 मीटर अस्पताल – बिलासपुर 16 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग – 1.15 कि.मी. राज्यमार्ग – 40.8 कि.मी.	लीलागर नदी – 3.9 कि.मी. नाला–3.7 कि.मी. तालाब–700 मीटर नहर–800 मीटर
पारिस्थितिकीय/ जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र	5 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं है।	
खनन संपदा एवं खनन का विवरण	उत्खनन विधि – ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग – हाँ **रिर्जव्स –** जियोलॉजिकल 5,67,213 टन माईनेबल 2,28,035 टन रिकव्हरेबल 2,05,231 टन **वर्तमान में रिर्जव्स –** जियोलॉजिकल 5,45,257 टन माईनेबल 2,06,079 टन रिकव्हरेबल 1,85,471 टन	वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन प्रथम 13,987.5 टन द्वितीय 15,750 टन तृतीय 15,802.5 टन चतुर्थ 15,918.75 टन पंचम 16,612.5 टन षष्ठम 14,475 टन सप्तम 16,533.75 टन अष्टम 17,141.25 टन नवम 18,686.25 टन दशम 19,412.5 टन

	प्रस्तावित गहराई 19 मीटर बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर बेंच की चौड़ाई 1.5 मीटर संभावित आयु 10 वर्ष से अधिक स्थापित क्रशर – 915 वर्गमीटर	
उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र	लीज के 7.5 मीटर का क्षेत्रफल – 4,370 वर्गमीटर	उत्खनित – हाँ माईनिंग में उल्लेख – हाँ लीज क्षेत्र के बाहर भी उत्खनित है।
ऊपरी मिट्टी/ ओव्हर बर्डन प्रबंधन योजना	मोटाई – 1 मीटर मात्रा – 4,170 घनमीटर	1,532 घनमीटर – 7.5 मीटर (माईन बाउण्ड्री) क्षेत्र में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग। शेष 2,638 घनमीटर – गैर माईनिंग क्षेत्र (1,646 वर्गमीटर) में भण्डारित कर संरक्षित।
गैर माईनिंग क्षेत्र	क्षेत्रफल – 486 वर्गमीटर क्षेत्र छोड़ने का कारण – संकीर्ण क्षेत्र होने के कारण क्षेत्रफल – 920 वर्गमीटर क्षेत्र छोड़ने का कारण – हाई वोल्टेज पॉवर लाईन गुजरने के कारण क्षेत्रफल – 915 वर्गमीटर क्षेत्र छोड़ने का कारण – क्रशर होने के कारण	माईनिंग प्लान में उल्लेख– हाँ
जल आपूर्ति	मात्रा – 5 घनमीटर प्रतिदिन स्त्रोत – भू–जल	सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त है।
वृक्षारोपण कार्य	लीज क्षेत्र की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी के चारों ओर वृक्षारोपण – 864 नग	वर्तमान वृक्षारोपण – 160 नग शेष प्रस्तावित वृक्षारोपण – 704 नग
श्रेणी	बी–1	आवेदित खदान को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 24.478 हेक्टेयर है।

1. प्रस्तुतीकरण के दौरान केएमएल फाईल से अवलोकन करने पर पाया गया कि लीज क्षेत्र में स्थित क्रशर का कुछ भाग 7.5 मीटर की सीमा पट्टी पर स्थित है तथा कुछ भाग लीज क्षेत्र के बाहर प्रदर्शित हो रहा है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) किया गया है कि वर्तमान में स्थापित क्रशर को 7.5 मीटर सीमा पट्टी को छोड़ते हुए लीज क्षेत्र के भीतर स्थानांतरित किया जाएगा एवं 7.5 मीटर सीमा पट्टी पर वृक्षारोपण किया जाएगा।

2. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना एवं लीज क्षेत्र के बाहर भी उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लघंन है। अतः जाँच उपरांत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। साथ ही उक्त उत्खनित क्षेत्र को पुनःभराव किये जाने हेतु

रेस्टोरेशन प्लान एवं उत्खनित भाग को शामिल करते हुए अद्यतन स्थिति अनुसार रिजर्व की गणना कर संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक VIII (i) के अनुसारः–

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

4. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया हैः–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

1. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों को क्रियान्वित कराने बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को लेख किया जाए।

2. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में एवं लीज क्षेत्र के बाहर अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर जाँच उपरांत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर

(लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

i. Project proponent shall inform SEIAA & S.E.A.C. Chhattisgarh before commencement of Baseline Data Generation and start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

ii. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

iii. Project proponent shall submit the details of monitoring equipments alongwith its specification. Project proponent shall monitor as per the Methodology issued by MoEF&CC.

iv. Project proponent shall submit top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.

v. Project Proponent shall submit an undertaking that the top soil would be stacked at the earmarked place and shall use the same in plantation and backfilling of the mined out area..

vi. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

vii. Project proponent shall submit an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies.

viii. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction

ix. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

x. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the mines located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.

xi. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xii. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xiii. Project proponent shall submit the DPR (Detailed Project Report) and undertake plantation & incorporate in the EIA report.

xiv. Project proponent shall submit the revised approved quarry plan incorporating the mined out area in safety zone and also incorporate the crusher area in reserve calculation.

xv. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area submit DPR (Detailed Project Report) of restoration plan and do remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from

mining operations within the lease. Project proponent shall incorporate the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone.

xvi. Project proponent shall submit the DPR (Detailed Project Report) & complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintainance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

xvii. Project proponent shall submit the DPR (Detailed Project Report) of 5 years & undertake plantation (as far as possible tree bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain minimum 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.

xviii. Project proponent shall submit DPR (Detailed Project Report) of CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 14/03/2024 को संपन्न 167वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया।

साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि:–

(1) (i) माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग कियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लिख किया जाए।

(ii) प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को पत्र लेख किया जाए।

(iii) माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन से पर्यावरण को क्षति होने के कारण छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी किया जाए। साथ ही संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए।

18. मेसर्स कबराकांपा ब्रिक अर्थ क्वारी (प्रो.– श्री कैलाश सिंह ठाकुर), ग्राम–कबराकांपा, तहसील–तखतपुर, जिला–बिलासपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2819)

भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 28/04/2023 जारी किया गया है, जिसके पैरा 4 में निम्न प्रावधान है:–

"The matter has been examined in the Ministry and accordingly it has been decided that all valid ECs issued by DEIAA shall be reappraised through SEAC/SEIAA in compliance to the order of the Hon'ble NGT in O.A.142 of 2022. In view of above, it is hereby directed that all concerned SEACs shall re-appraise the ECs issued by DEIAAs between 15.01.2016 and 13.09.2018 (including both dates) and all fresh ECs in this regard shall be granted only by SEIAAs based on such appraisal. The exercise shall be completed within a time period of one year from the date of issue of this OM. DEIAAs shall transfer all such files where ECs have been granted to concerned SEIAA within a time period of one month from issue of this OM."

उक्त ऑफिस मेमोरेण्डम के तहत् परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनः अनुशंसा (re-appraisal) हेतु एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाईन आवेदन	ई.सी. – 453700 एवं 29/11/2023 ई.डी.एस. जारी दिनांक – 17/12/2023 जानकारी प्राप्ति दिनांक – 02/01/2024	
खदान का प्रकार	मिट्टी (गौण खनिज) खदान (बिना चिमनी भट्टा के)	संचालित
क्षेत्रफल एवं क्षमता	1.035 हेक्टेयर एवं 1,800 घनमीटर प्रतिवर्ष	
खसरा क्रमांक	96/6–10, 96/19 एवं 96/20	
बैठक का विवरण	506वीं बैठक दिनांक 09/01/2024	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 03/01/2024
प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि		श्री दिनेश कुमार जायसवाल, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुये। अधिकृत प्रतिनिधि का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
पूर्व में जारी ई.सी.	खदान का प्रकार – मिट्टी (गौण खनिज) खदान खसरा क्रमांक – 96/6–10–19–20 क्षेत्रफल – 1.035 हेक्टेयर क्षमता – 1,800 घनमीटर प्रतिवर्ष दिनांक – 31/01/2018	डी.ई.आई.ए.ए., जिला–बिलासपुर पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 07/07/2048 तक है।
पूर्व में जारी ई.सी. का पालन प्रतिवेदन	स्व–प्रमाणित – हाँ	निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण – 100 नग
विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की खनिज विभाग द्वारा	दिनांक 22/11/2023 वर्ष 2018–19 में 1,100 घनमीटर वर्ष 2019–20 में 1,300 घनमीटर	

प्रमाणित जानकारी	वर्ष 2020–21 में 300 घनमीटर वर्ष 2021–22 में 1,700 घनमीटर वर्ष 2022–23 में 1,540 घनमीटर वर्ष 2023–24 में 800 घनमीटर	
ग्राम पंचायत एन.ओ.सी.	ग्राम पंचायत बुटेना दिनांक 01/09/2015	यह प्रस्ताव दिनांक 30/08/2025 हेतु पारित की गई है।
भू–स्वामित्व	निजी भूमि खसरा क्रमांक 96/6–10 श्रीमती शशि सिंह, खसरा क्रमांक 96/19 श्रीमती यामिनी सिंह एवं खसरा क्रमांक 96/20 आवेदक के नाम पर है।	सहमति पत्र प्राप्त प्रस्तुत किया गया है।
उत्खनन योजना अनुमोदन	दिनांक 24/11/2017	
500 मीटर	दिनांक 22/11/2023	अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
200 मीटर	दिनांक 22/11/2023	प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
लीज डीड	लीज धारक – श्री कैलाश सिंह ठाकुर अवधि – 08/07/2018 से 07/07/2048	
वन विभाग एन.ओ.सी.	दिनांक – 05/10/2015	लीज क्षेत्र की वन क्षेत्र से दूरी – उत्तर दिशा में – 30 कि.मी. पूर्व दिशा में – 50 कि.मी. पश्चिम दिशा में – 40 कि.मी. दक्षिण दिशा में – 45 कि.मी.
महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी	आबादी ग्राम – सकेती 980 मीटर स्कूल ग्राम – कबराकांपा 1.67 कि.मी. अस्पताल – बिल्हा 7.5 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग – 9.5 कि.मी. राज्यमार्ग – 9.5 कि.मी.	मनियारी नदी – 680 मीटर मौसमी नाला – 60 मीटर तालाब – 1.15 कि.मी. नहर – 1.2 कि.मी.
पारिस्थितिकीय/ जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र	5 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं है।	
खनन संपदा एवं खनन का विवरण	उत्खनन विधि – ओपन कास्ट मैनुअल **रिर्जव्स–** जियोलॉजिकल 20,700 घनमीटर माईनेबल 19,290 घनमीटर रिकव्हरेबल 18,325 घनमीटर **वर्तमान में रिर्जव्स–** जियोलॉजिकल 13,605 घनमीटर माईनेबल 12,195 घनमीटर रिकव्हरेबल 11,585 घनमीटर	**वर्षवार उत्खनन** प्रथम 1,792 घनमीटर द्वितीय 1,800 घनमीटर तृतीय 1,794 घनमीटर चतुर्थ 1,797 घनमीटर पंचम 1,800 घनमीटर षष्टम 1,800 घनमीटर सप्तम 1,783 घनमीटर अष्टम 1,792 घनमीटर

	प्रस्तावित गहराई 2 मीटर बेंच की ऊंचाई 1 मीटर बेंच की चौड़ाई 1 मीटर संभावित आयु 10 वर्ष मिट्टी के साथ उपयोग हेतु फ्लाई ऐश का प्रतिशत – 50%	नवम 1,800 घनमीटर दशम 1,800 घनमीटर
उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र	लीज क्षेत्र की 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी का क्षेत्रफल – 468.60 वर्गमीटर	
जल आपूर्ति	मात्रा – 4 घनमीटर स्त्रोत – भू–जल	सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त है।
वृक्षारोपण कार्य	लीज क्षेत्र की 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी के चारों ओर वृक्षारोपण – 234 नग वर्तमान वृक्षारोपण – 100 नग शेष प्रस्तावित वृक्षारोपण – 134 नग	प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि–11,10,000 रूपये
परियोजना से संबंधित शपथ पत्र	परियोजना प्रस्तावक द्वारा फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण, सघन वृक्षारोपण एवं 90 प्रतिशत जीवन स्तर सुनिश्चित, छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् रोजगार, खनिज नियमों के तहत् सीमांकन, फ्लाई ऐश के उचित रखरखाव, सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्य एवं संबंधित शाखा से कार्य पूर्ण प्रतिवेदन जिओटैग फोटोग्राफ सहित जानकारी अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करने, प्राकृतिक जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं सवर्धन हेतु आदि बाबत् शपथ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।	परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्न शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किये गये है:– 1. हमारे द्वारा उत्खनन हेतु आवेदित भूमि के भूमि स्वामियों के भूमि से संबंधित समस्त हितों की रक्षा, भारत सरकार के समस्त नियमों के अंतर्गत पालन की जिम्मेदारी हमारी रहेगी। 2. परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है। 3. परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है। 4. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को Common Cause vs. Union of India Writ Petition (C) 114 of 2014 में दिए गए दिशा निर्देशों का मेरे द्वारा पालन किया जावेगा। 5. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common

		cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। 6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि हमारे द्वारा भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 28/04/2023 को जारी ऑफिस मेमोरेण्डम में दिये निर्देश का बिन्दुवार पालन किया जाएगा।
श्रेणी	बी 2	आवेदित खदान का क्षेत्रफल 1.035 हेक्टेयर है।

1. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
12.53	2%	0.25	Following activities at Nearby, **Village- Kabrakapa**	
			Plantation around Village Pond	0.46
			Total	**0.46**

2. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब के चारों ओर वृक्षारोपण (आम, कटहल एवं जामुन) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कुल 30 नग पौधों जिसमें से 5 नग पौधों वृक्ष पूर्व से तालाब कें चारो ओर अवस्थित है। शेष 25 नग पौधों के लिए राशि 2,500 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 3,750 रूपये, खाद के लिए राशि 1,250 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 5,625 रूपये एवं अन्य कार्य हेतु राशि 5,000 रूपये इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 18,125 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 27,500 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत बुटेना के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 153/1 में स्थित तालाब) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

3. समिति का मत है कि सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

4. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

   b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स कबराकांपा ब्रिक अर्थ क्वारी (प्रो.– श्री कैलाश सिंह ठाकुर) को ग्राम–कबराकांपा, तहसील–तखतपुर, जिला–बिलासपुर के खसरा क्रमांक 96/6–10, 96/19 एवं 96/20 में स्थित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान (बिना चिमनी भट्टा के), कुल क्षेत्रफल–1.035 हेक्टेयर, क्षमता–1,800 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 14/03/2024 को संपन्न 167वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/जानकारी/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक – मेसर्स कबराकांपा ब्रिक अर्थ क्वारी (प्रो.– श्री कैलाश सिंह ठाकुर) को निम्नानुसार अतिरिक्त शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया:–

   i. लीज जारी होने के पश्चात् 1 मीटर की सीमा पट्टी में तीन पंक्तियों में पौधों का रोपण कर, पौधों का नामांकन एवं संख्यांकन कर जियोटेग फोटोग्राफ्स सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

   ii. सी.ई.आर. के तहत् तथा 1 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में किये जाने वाले वृक्षारोपण का सत्यापन वन विभाग के सक्षम अधिकारी अथवा वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण के सत्यापन हेतु अधिकृत संस्थाओं (थर्ड पार्टी) से अनुमोदन कराकर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

   iii. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब के चारों ओर किये जाने वाले वृक्षारोपण के सत्यापन हेतु जियोटेग फोटोग्राफ्स सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

   iv. खनिज का परिवहन कव्हर्ड वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

साथ ही समिति द्वारा निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् वैधानिक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

19. मेसर्स क्रशर स्टोन क्वारी (जय अम्बे स्टोन क्रशर, प्रो.– श्री कृष्णा मुरारी तिवारी), ग्राम–हस्तिनापुर, तहसील–मनेन्द्रगढ़, जिला–कोरिया (वर्तमान में जिला–मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर) (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2158)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 400843/2022, दिनांक 22/09/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 10/10/2022 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 16/11/2022 द्वारा ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित पत्थर (गौण खनिज) खदान है। ग्राम–हस्तिनापुर, तहसील–मनेन्द्रगढ़, जिला–कोरिया (वर्तमान में जिला–मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर) स्थित खसरा क्रमांक 15, कुल क्षेत्रफल–2 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–8,970 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 09/12/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 442वीं बैठक दिनांक 16/12/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री कृष्ण मुरारी तिवारी, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर पाया गया कि आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित खदानों का क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक है। अतः परियोजना प्रस्तावक को टी.ओ.आर. हेतु ऑनलाईन आवेदन किया जाना था परन्तु उनके द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

साथ ही समिति द्वारा शिकायत का अवलोकन करने पर पाया गया कि उक्त खदान के संबंध में श्री गौरव कुमार गुप्ता, निवासी पुरानी बस्ती वार्ड क्रमांक 17, मनेन्द्रगढ़, जिला–कोरिया द्वारा "श्री कृष्ण मुरारी तिवारी द्वारा स्वीकृत खनिज क्षेत्र के अलावा अधिक मात्रा में अवैध उत्खनन परिवहन व शर्तो का उल्लंघन करने बाबत्।" शिकायत दिनांक 19/09/2022 को प्रेषित किया गया है। शिकायत में उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार है:–

1. "पट्टेदार द्वारा क्षेत्र के अलावा पास के शासकीय भूमि पर अवैध ब्लास्टिंग करा कर अवैध उत्खनन कराया जाता है, जबकि अवैध ब्लास्टिंग कानूनन अपराध की श्रेणी में आता है, पट्टेदार के क्रेशर पर ब्लास्टिंग होल में उपयोग किया जाने वाला कम्प्रेशर एवं बारूद एवं ब्लास्टिंग सामग्री जांच कर प्राप्त की जा सकती है।
2. पट्टेदार द्वारा सीमांकन क्षेत्र से अधिक क्षेत्र में अवैध खनन किया गया है एवं NGT नियमावली के अनुसार अधिक गहराई में भी खनन का कार्य किया गया है।
3. पट्टेदार द्वारा अवैध खनिज का परिवहन किया जाता है, जिसका ब्योरा उनके क्रशर के बिजली बिल का मिलान काटी गयी रायल्टी से करने पर प्राप्त किया जा सकता है।
4. पट्टेदार के पास पर्यावरण द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र लगभग दो वर्षों से नहीं है, परन्तु क्रेशर का संचालन लगातार जारी है।

5. पट्टेदार के पास पर्यावरण द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं है, परन्तु खदान का संचालन जारी है।

6. CSR मद में प्रतिवर्ष 50,000 रुपये व्यय करने थे जो कि आज दिनांक तक नहीं किया गया है, जबकि खदान पिछले 10 वर्षो से स्वीकृत है।

7. मौके जांच पर खदान एवं क्रेशर क्षेत्र में रखे गए खनिज का मिलान दस्तावेज अनुसार नहीं है।

8. पट्टेदार द्वारा जारी की गई रायल्टी से अधिक उत्खनन किया गया है।

9. माइनिंग प्लान के अनुसार उत्खनन कार्य नही किया गया है, एवं सीमा से अधिक उत्खनन कर बिक्री किया जा चुका है।

10. पर्यावरण विभाग से प्राप्त सम्मति अनुसार खदान क्षेत्र के परिधि में साढ़े सात (7.5) मीटर की चौड़ी पट्टी छोड़ वृक्षारोपण किया जाना था। जिसे उत्खनन कर बेचा जा चुका है।

11. नियमानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

12. खदान क्षेत्र में श्रमिकों के लिये आवास, पेयजल एवं चिकित्सा इत्यादि की सुविधा नहीं है।

13. नियमानुसार 100 पेड़ प्रतिवर्ष लगवाना था किन्तु एक भी पेड़ नहीं लगवाया गया है।

14. पट्टेदार द्वारा अवैध ब्लास्टिंग की जा रही है इसका प्रमाण खनिज इंस्पेक्टर द्वारा बनाए गए निरीक्षण प्रतिवेदन में दर्ज है।"

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में शिकायत पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं की जाँच संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर से कराये जाने एवं तथ्यात्मक जानकारी/ जाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने उपरांत प्रकरण पर आगामी कार्यवाही की जाएगी। साथ ही कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर को सूचित किया जाए। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक एवं कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर को तदानुसार सूचित किया जाए। साथ ही संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर को पत्र लेख किया जाए।

2. आवेदित प्रकरण को डि–लिस्ट/निरस्त किये जाने तथा विधिवत् आवेदन किये जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को लेख किये जाने की अनुशंसा की गई।

तदानुसार आवेदित प्रकरण को एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रेषित किया गया था।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 08/02/2023 को संपन्न 139वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया** कि शिकायत पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं की जाँच क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, जिला–अम्बिकापुर एवं खनि अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर से

कराये जाने एवं तथ्यात्मक जानकारी/ जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

(ब) समिति की 506वीं बैठक दिनांक 09/01/2024:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर पाया गया कि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 13/03/2023 के परिपेक्ष्य में शिकायत पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं की जाँच क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, जिला–अम्बिकापुर एवं खनि अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर से कराये जाने एवं तथ्यात्मक जानकारी/ जाँच प्रतिवेदन हेतु पत्र जारी किया गया है, जो आज दिनांक तक अप्राप्त है। अतः आवेदित प्रकरण एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के समक्ष विचाराधीन है।

वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 12/12/2023 को आवेदित प्रकरण को डि–लिस्ट/निरस्त किये जाने हेतु अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया है।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में **समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि** प्रकरण एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के समक्ष विचाराधीन होने के कारण प्रकरण को एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के समक्ष आगामी कार्यावाही किये जाने हेतु प्रेषित किया जाए।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 14/03/2024 को संपन्न 167वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/जानकारी/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि शिकायत पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं के संबंध में आज दिनांक तक जाँच प्रतिवेदन अप्राप्त है। अतः **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** शिकायत पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं की जाँच क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, जिला–अम्बिकापुर एवं खनि अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर से कराये जाने एवं तथ्यात्मक जानकारी/ जाँच प्रतिवेदन हेतु स्मरण पत्र लेख किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए। साथ ही क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, जिला–अम्बिकापुर एवं खनि अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर को स्मरण पत्र लेख किया जाए।

20. मेसर्स श्री दिनेश चंद नखत (पिनकापार लाईम स्टोन क्वारी), ग्राम–पिनकापार, तहसील–डौण्डीलोहारा, जिला–बालोद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1463)

आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 182421/2020, दिनांक 07/11/2020 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया था। वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में वैधता वृद्धि किये जाने हेतु दिनांक 23/05/2023 को अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण –

1. खदान ग्राम–पिनकापार, तहसील–डौण्डीलोहारा, जिला–बालोद स्थित खसरा क्रमांक 1104, 1108, 1109, 1114, 1115, 1116, 1118, 1119, 1120, 1126 एवं

1128 में स्थित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–2.17 हेक्टेयर, क्षमता – 1,35,000 टन प्रतिवर्ष की है।

2. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1577, दिनांक 28/12/2020 द्वारा मेसर्स श्री दिनेश चंद नखत (पिनकापार लाईम स्टोन माईन) की ग्राम–पिनकापार, तहसील–डौण्डीलोहरा, जिला–बालोद के स्थित खसरा क्रमांक 1104, 1108, 1109, 1114, 1115, 1116, 1118, 1119, 1120, 1126 एवं 1128 में स्थित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल – 2.17 हेक्टेयर, क्षमता – 1,35,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है।

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुरोध पत्र में उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार है:–

"in the issued environment clearance the validity is marked only for two years. Now the lease has been executed for 30 years and the reserves are not yet excavated with full efficiency. Thus, we request you to consider the period of EC for 30 years from date of issue and kindly arrange to provide revised EC for further lease period. We would also like to submit that as per MOEF OM dated 13.12.2022, the validity of EC which had not expired as on date of publication of notification dated 12/04/2022, shall stand automatically extended to respective increased validity i.e. for quarry projects is 30 years.

Thus, I am herewith requesting you to kindly consider our application and arrange to issue the EC with 30 years validity or issue a letter to OMIT the first condition of the issued EC which states its validity for two years only, at earliest & oblige please."

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 07/06/2023 को संपन्न 147वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में परीक्षण उपरांत उपयुक्त अनुशंसा किये जाने हेतु प्रकरण को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

बैठकों का विवरण:–

(अ) समिति की 471वीं बैठक दिनांक 26/06/2023:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1577, दिनांक 28/12/2020 द्वारा मेसर्स श्री दिनेश चंद नखत (पिनकापार लाईम स्टोन माईन) की ग्राम–पिनकापार, तहसील–डौण्डीलोहरा, जिला–बालोद के स्थित खसरा क्रमांक 1104, 1108, 1109, 1114, 1115, 1116, 1118, 1119, 1120, 1126 एवं 1128 में स्थित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल – 2.17 हेक्टेयर, क्षमता – 1,35,000 टन प्रतिवर्ष हेतु 2 वर्ष की अवधि हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई थी। भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार:–

"9A. Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior

Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक का.आ. 1807(अ), दिनांक 12/04/2022 के पैरा (i) में निम्न प्रावधान है:–

"Provided that in the case of mining projects or activities, the validity shall be counted from the date of execution of the mining lease."

3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक का.आ. 1807(अ), दिनांक 12/04/2022 के पैरा (iv) में निम्न प्रावधान है:–

"The prior Environmental Clearance granted for mining projects shall be valid for the project life as laid down in the mining plan approved and renewed by competent authority, from time to time, subject to a maximum of thirty years, whichever is earlier: Provided that the period of validity of Environmental Clearance with respect to projects or activities included in this sub-paragraph may be extended by another twenty years, beyond thirty years, subject to the condition that the adequacy of the existing environmental safeguards laid down in the existing Environmental Clearance shall be examined by concerned Expert Appraisal Committee every five years beyond thirty years, on receipt of such application in the laid down proforma from the Project Proponent within the maximum validity period of Environmental Clearance of thirty years, and subsequently on receipt of such application in the laid down proforma from the Project Proponent within the validity period of the extended Environment Clearance, every five years for incorporating such additional environment safeguards in the Environmental Management Plan , as may be deemed necessary, till the validity of the mining lease or end of life of mine or fifty years, whichever is earlier."

4. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेन्डम दिनांक 13/12/2022 में निम्न प्रावधान है:–

The validity of the Environmental Clearances, which had not expired, as on the date of publication of Notification i.e. 12/04/2022, shall stand automatically extended to respective increased validity as mentioned at para no. 1 column (C) above.

5. समिति द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की नस्ती का अवलोकन किया गया एवं पाया गया कि पूर्व में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार माईन लाईफ (Mine life) 2 वर्ष था। तदानुसार पर्यावरणीय स्वीकृति 2 वर्ष हेतु जारी की गई थी। समिति का मत है कि माईन लाईफ (Mine life) में वृद्धि हुई है अथवा नहीं के संबंध में वर्तमान स्थिति अनुसार माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही यह भी मत है कि विगत वर्षों में किये गये उत्पादन आकडों की जानकारी खनिज विभाग से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. माईन लाईफ (Mine life) में वृद्धि हुई है अथवा नहीं के संबंध में वर्तमान स्थिति अनुसार माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए।
2. विगत वर्षों में किये गये उत्पादन आकड़ों की जानकारी खनिज विभाग से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/08/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 13/12/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ब) समिति की 506वीं बैठक दिनांक 09/01/2024:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. माईन लाईफ (Mine life) में वृद्धि हुई है अथवा नहीं के संबंध में परियोजना प्रस्तावक का निम्न कथन है:–
   - There is no change in reserve estimation, and the proposal is given only for remaining reserve. As the annual targeted production is reduced from 135000 TPA to 20000 TPA thus the life of mine with remaining reserve i.e. 127115 Tons is considered to be 7 years (increased), for which we had already obtained approval of quarry plan from competent authority.
   - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बालोद के ज्ञापन क्रमांक 1022/कोपा/माईनिंग प्लान अनुमोदन/2022–23 बालोद, दिनांक 25/01/2023 द्वारा अनुमोदित मॉडिफाईड क्वारी प्लान की प्रति प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार माईन लाईफ (Mine life) 7 वर्ष है।
2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बालोद के ज्ञापन क्रमांक 268(ए)/कोपा/जनरल/2023 बालोद, दिनांक 05/07/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (टन)
2020–21	23,000
2021–22	48,000
2022–23	16,500
2023–24 (जून 2023 तक)	निरंक

3. लीज श्री दिनेशचंद नखत के नाम पर है। लीज डीड 30 वर्षों अर्थात् दिनांक 29/12/2020 से 28/12/2050 तक की अवधि हेतु वैध है।
4. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक का.आ. 1807(अ), दिनांक 12/04/2022 में निम्न प्रावधान है:–

"Provided that in the case of mining projects or activities, the validity shall be counted from the date of execution of the mining lease."

"The prior Environmental Clearance granted for mining projects shall be valid for the project life as laid down in the mining plan approved and renewed by competent authority, from time to time, subject to a maximum of thirty years, whichever is earlier."

5. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 13/12/2022 के पैरा 2(i) "The validity of the Environmental Clearances, which had not expired as on the date of publication of Notification i.e. 12/04/2022, shall stand automatically extended to respective increased validity as mentioned at para no. 1 column (C) {which is 30 years}" का उल्लेख है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 12/04/2022 एवं जारी ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 13/12/2022 के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता मान्य किये जाने की अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 14/03/2024 को संपन्न 167वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/जानकारी/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया** कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 12/04/2022 एवं जारी ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 13/12/2022 के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता मान्य होगी।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता वृद्धि बाबत् पत्र जारी किया जाए।

21. मेसर्स चारपारा सेण्ड क्वारी (आयुक्त, नगर निगम, कोरबा), ग्राम–चारपारा, तहसील–दर्री, जिला–कोरबा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2653)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 441550/2023, दिनांक 24/08/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–चारपारा, तहसील–दर्री, जिला–कोरबा स्थित खसरा क्रमांक 549/1/ख, कुल क्षेत्रफल–4.5 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन हसदेव नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–67,500 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/10/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 494वीं बैठक दिनांक 27/10/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री श्रीधर बनाफर, संपदा अधिकारी उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरणः–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

2. **नगर पालिक निगम का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में नगर पालिक निगम कोरबा का दिनांक 31/03/2023 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **चिन्हांकित/सीमांकित** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।

4. **उत्खनन योजना** – माईन प्लान विथ सेण्ड रिप्लेनिशमेंट एण्ड इन्व्हायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–कोरबा के ज्ञापन क्रमांक 1553/खनिज/उ.या.अ./2023–24 कोरबा, दिनांक 16/08/2023 द्वारा अनुमोदित है।

5. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरबा के ज्ञापन क्रमांक 1554/खनिज/उ.या.अ/2023–24, कोरबा, दिनांक 16/08/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।

6. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरबा के ज्ञापन क्रमांक 1554/खनिज/उ.या.अ/2023–24, कोरबा, दिनांक 16/08/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

7. **एल.ओ.आई. का विवरण** – एल.ओ.आई. आयुक्त नगर निगम, जिला–कोरबा के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरबा के ज्ञापन क्रमांक 1355/खलि–/2023, कोरबा, दिनांक 11/07/2023 द्वारा जारी की गई, जो 1 वर्ष की अवधि हेतु वैध है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Repor) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वन मण्डलाधिकारी, कटघोरा वनमण्डल, कटघोरा, जिला–कोरबा के ज्ञापन क्रमांक/तक.अधि./2023/1579 कटघोरा, दिनांक 16/03/2023 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 7 कि.मी. की दूरी पर है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–चारपारा 110 मीटर, स्कूल ग्राम–कोरबा 1.5 कि.मी. एवं अस्पताल कोरबा 1.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 860 मीटर एवं राज्यमार्ग 10 कि.मी. दूर है। नहर 300 मीटर, एनीकट 520 मीटर, रोड़ ब्रिज 360 मीटर, रेल ब्रिज 2 कि.मी. एवं तालाब 1.9 कि.मी. दूर स्थित है।

11. **खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 552 मीटर, न्यूनतम 544 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई – अधिकतम 236 मीटर, न्यूनतम 224 मीटर एवं खनन स्थल की चौड़ाई – अधिकतम 205 मीटर, न्यूनतम

187 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 115 मीटर, न्यूनतम 110 मीटर है।

12. **खदान स्थल पर रेत की मोटाई** – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 4.17 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई–2.5 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 67,500 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर 5 गढ्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत मोटाई 4.17 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया गया है।

13. **खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स** – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के चारों तरफ में 25 मीटर गुणा 25 मीटर के ग्रिड बिन्दुओं पर दिनांक 13/06/2023 को रेत सतह के वर्तमान लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।

14. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
42.175	2%	0.84	Following activities at Nearby, **Village- Charpara**	
			Pavitra Van Nirman	1.02
			Total	**1.02**

15. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब के चारों ओर वृक्षारोपण (आम, बड़, पीपल, नीम, आवला, बेल, जामुन आदि) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कुल 500 नग पौधों के लिए राशि 10,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 18,000 रूपये, खाद के लिए राशि 5,000 रूपये एवं सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 9,000 रूपये इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 42,000 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 60,000 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा नगर पालिक निगम, कोरबा के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 291/1, क्षेत्रफल 72.547 में से 1 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

16. **वृक्षारोपण कार्य** – नदी तट में 800 नग एवं पहुंच मार्ग में 325 नग (कुल 1,125 नग) वृक्षारोपण करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, जो निम्नानुसार है:–

विवरण	प्रथम वर्ष (रूपये)	द्वितीय वर्ष (रूपये)	तृतीय वर्ष (रूपये)	चतुर्थ वर्ष (रूपये)	पंचम वर्ष (रूपये)
प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000

के दौरान सड़कों/पहुंच मार्ग से उत्पन्न धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव						
नदी तट एवं पहुंच मार्ग में (1,125 नग) वृक्षारोपण हेतु	वृक्षारोपण (90 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि	30,000	3,000	3,000	3,000	3,000
	फेंसिंग हेतु राशि	45,000	—	—	—	—
	खाद हेतु राशि	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
	सिंचाई एवं रख–रखाव हेतु राशि	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600
कुल राशि = 2,75,000		**1,12,600**	**40,600**	**40,600**	**40,600**	**40,600**

17. समिति का मत है कि नदी तट में किये जाने वाले वृक्षारोपण के भूमि खसरा क्रमांक एवं रकबा का उल्लेख करते हुये नगर निगम का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. नदी तट में किये जाने वाले वृक्षारोपण के भूमि खसरा क्रमांक एवं रकबा का उल्लेख करते हुये नगर निगम का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्यो के कार्य पूर्ण कर लेने के उपरांत संबंधित ग्राम पंचायत से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर, जियोटेग फोटोग्राफ सहित जानकारी पर्यावरण स्वीकृति हेतु जमा किये जाने वाले अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित कर प्रस्तुत किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
3. खदान क्षेत्र के आस–पास नदी तट एवं पहुंच मार्ग में सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
4. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरूद्ध इस खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।
7. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को common cause vs. Union of India writ petition (C) 114 of 2014 में दिये गये निर्देश का पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
8. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा

निर्देशों का पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि अनुमोदित उत्खनन योजना में दिए माईनेबल रिजर्व का 60 प्रतिशत रिजर्व ही उत्खनन किया जाए।

10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि खदान में तथा खनन के दौरान सस्टेनेबल सेंड माईनिंग गाईडलाईन 2016 एवं ईन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड 2020 के प्रावधानों का पालन किया जाए।

11. पर्यावरण स्वीकृति में दिये गये शर्तो का पालन किये जाने एवं छःमाही पालन प्रतिवेदन पर्यावरण कार्यालय में जमा कराने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 06/12/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 14/12/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ब) समिति की 506वीं बैठक दिनांक 09/01/2024:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गईः–

1. कार्यालय नगर पालिक निगम, कोरबा द्वारा दिनांक 07/12/2023 के अनुसार नदी तट एवं पहुंचमार्ग में किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु खसरा क्रमांक 549/1/ख एवं रकबा 0.5 हेक्टेयर बाबत् सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्यो के कार्य पूर्ण कर लेने के उपरांत संबंधित ग्राम पंचायत से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर, जियोटेग फोटोग्राफ सहित जानकारी पर्यावरण स्वीकृति हेतु जमा किये जाने वाले अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित कर प्रस्तुत किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

3. खदान क्षेत्र के आस–पास नदी तट एवं पहुंच मार्ग में सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

4. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और

जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

7. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को common cause vs. Union of India writ petition (C) 114 of 2014 में दिये गये निर्देश का पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

8. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि अनुमोदित उत्खनन योजना में दिए माईनेबल रिजर्व का 60 प्रतिशत रिजर्व ही उत्खनन किया जाएगा।

10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि खदान में तथा खनन के दौरान सस्टेनेबल सेंड माईनिंग गाईडलाईन 2016 एवं ईन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड 2020 के प्रावधानों का पालन किया जाएगा।

11. पर्यावरण स्वीकृति में दिये गये शर्तों का पालन किये जाने एवं छःमाही पालन प्रतिवेदन पर्यावरण कार्यालय में जमा कराने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

12. सी.ई.आर. कार्य एवं नदी तट में वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं नदी तट में वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

13. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि लोडर जैसे यंत्र भारी वाहन की श्रेणी के है। अतः भराई का कार्य मैनुअल विधि से ही कराई जावें। भारी वाहनों के नदी में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2.5 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। हसदेव बड़ी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1.5 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःभराव होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. आवेदित खदान (ग्राम–चारपारा) का रकबा 4.5 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत् सही

आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

3. **लीज क्षेत्र की सतह का बेसलाईन डाटा –**

   i. रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर नदी में रेत की सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे कर, उसके आंकड़ें तत्काल एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किये जायें।

   ii. रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर/नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर किया जायेगा।

   iii. इसी प्रकार पोस्ट–मानसून (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा।

   iv. रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य आगामी 6 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। प्री–मानसून के आंकड़ें अगस्त 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 एवं पोस्ट–मानसून के आंकड़ें दिसम्बर 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

4. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से मेसर्स चारपारा सेण्ड क्वारी (आयुक्त, नगर निगम, कोरबा) को ग्राम–चारपारा, तहसील–दर्री, जिला–कोरबा, खसरा क्रमांक 549/1/ख, कुल लीज क्षेत्रफल–4.5 हेक्टेयर के कुल 60 प्रतिशत क्षेत्रफल में ही रेत उत्खनन अधिकतम 1.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 40,500 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड (River Bed) में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गढ्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

5. सस्टेनेबल सेण्ड माईनिंग मैनेजमेंट गाईडलाईन्स, 2016 (Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016) एवं ईन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के अनुसार कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 14/03/2024 को संपन्न 167वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक – मेसर्स चारपारा सेण्ड क्वारी (आयुक्त, नगर निगम, कोरबा) को निम्नानुसार अतिरिक्त शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया:–

   i. सी.ई.आर. के तहत् एवं नदी के तट पर शासकीय भूमि में किये जाने वाले वृक्षारोपण का सत्यापन वन विभाग के सक्षम अधिकारी अथवा वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण के सत्यापन हेतु अधिकृत संस्थाओं (थर्ड पार्टी) से अनुमोदन कराकर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

   ii. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब के चारों में किये जाने वाले वृक्षारोपण के सत्यापन हेतु जियोटेग फोटोग्राफ्स सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

समिति द्वारा निर्धारित शर्तो के अंतर्गत निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जाए। पालन नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

22. मेसर्स विनायक मिनरल्स (जोतपुर डोलोमाईट माईन, कर्ता– श्री आनंद कुमार अग्रवाल एचयूएफ), ग्राम–जोतपुर, तहसील–सरिया, जिला–सारंगढ़–बिलाईगढ़ (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2667)

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाईन आवेदन	टी.ओ.आर. – 442645 एवं 09/09/2023	
खदान का प्रकार	डोलोमाईट (गौण खनिज) खदान	प्रस्तावित
क्षेत्रफल एवं क्षमता	4.8016 हेक्टेयर एवं 1,20,000 टन प्रतिवर्ष	
खसरा क्रमांक	46/2, 57/1, 57/2, 57/3, 58/1, 58/2, 59/1, 59/2, 59/3, 61, 62/1, 62/2, 62/3, 63/1, 63/3, 73/2क, 73/2ख, 74/1, 74/2, 75/1, 75/2, 75/3, 76/1, 76/2, 76/3, 81, 82/2, 87/3क, 87/3घ, 87/3ङ एवं 89	
बैठक का विवरण	507वीं बैठक दिनांक 10/01/2023	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 03/01/2024
प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि		श्री मुरारी लाल अग्रवाल, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। अधिकृत प्रतिनिधि का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
पूर्व में जारी ई.सी.	इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।	
ग्राम पंचायत एन.ओ.सी.	ग्राम पंचायत बोन्दा दिनांक 23/12/2019	उत्खनन एवं क्रशर की स्थापना के संबंध में।
उत्खनन योजना अनुमोदन	दिनांक 31/07/2023	

500 मीटर	दिनांक 21/07/2023	12 खदानें, क्षेत्रफल 43.85 हेक्टेयर
200 मीटर	दिनांक 21/07/2023 अन्य संरचना स्थित नहीं	50 मीटर के भीतर मौसमी नाला एवं पी.एम.जी.एस.वाई. पक्की सड़क है।
भू–स्वामित्व	खसरा क्रमांक 46/2, 57/1, 57/2, 57/3, 58/1, 58/2, 59/1, 59/2, 59/3, 61, 62/1, 62/2, 62/3, 63/1, 63/3, 73/2क, 73/2ख, 74/1, 74/2, 75/1, 75/2, 75/3, 76/1, 76/2, 76/3, 81, 82/2, 87/3क, 87/3घ, 87/3ङ एवं 89, श्रीमती अंजू अग्रवाल एवं श्री आनंद कुमार अग्रवाल के नाम पर है।	उत्खनन हेतु भूमि स्वामियों का सहमति पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है।
एल.ओ.आई.	छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन दिनांक 11/04/2023 द्वारा जारी। धारक – मेसर्स विनायक मिनरल्स, कर्ता– श्री आनंद कुमार अग्रवाल एचयूएफ अवधि – 50 वर्ष	
वन विभाग एन.ओ.सी.	दिनांक 18/08/2021	वन क्षेत्र से दूरी – 5.01 कि.मी. गोमर्डा अभ्यारण्य से दूरी – 10.102 कि.मी.
महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी	आबादी ग्राम – बोंदा 650 मीटर स्कूल ग्राम – बोंदा 900 मीटर अस्पताल – सरिया 7.8 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग – 7.1 कि.मी. राज्यमार्ग – 1.1 कि.मी.	महानदी – 2.15 कि.मी. मौसमी नाला – 30 मीटर तालाब – 625 मीटर नहर – 4.2 कि.मी. पी.एम.जी.एस.वाई. सड़क–50 मीटर
पारिस्थितिकीय/ जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र	5 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं है।	
खनन संपदा एवं खनन का विवरण	उत्खनन विधि – ओपन कास्ट मेकेनाईज्ड ड्रिलिंग एवं कन्ट्रोल ब्लास्टिंग – हाँ क्वारी प्लान अनुसार रिर्जव्स– जियोलॉजिकल 23,76,793 टन माईनेबल 10,96,631 टन प्रस्तावित गहराई 30 मीटर बेंच की ऊंचाई 3 मीटर बेंच की चौड़ाई 3 मीटर संभावित आयु 12 वर्ष प्रस्तावित क्रशर – हां	**वर्षवार उत्खनन** प्रथम 42,000 टन द्वितीय 60,000 टन तृतीय 71,400 टन चतुर्थ 79,800 टन पंचम 1,20,000 टन

उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र	लीज के 7.5 मीटर का क्षेत्रफल – 10,300 वर्गमीटर	उत्खनित – नहीं
गैर माईनिंग	क्षेत्रफल – 1,600 वर्गमीटर एवं 4,000 वर्गमीटर क्षेत्र छोड़ने का कारण – क्रमशः नाला 30 मीटर में होने के कारण 20 मीटर अतिरिक्त क्षेत्र तथा जिग–जैग क्षेत्र होने के कारण	माईनिंग प्लान में उल्लेख– हाँ
ऊपरी मिट्टी/ ओव्हर बर्डन प्रबंधन योजना	ऊपरी मिट्टी मोटाई – 0.15 मीटर मात्रा – 3,900 घनमीटर ओव्हर बर्डन मोटाई – 5.10 मीटर मात्रा – 1,23,100 घनमीटर	**ऊपरी मिट्टी प्रबंधन योजना –** 3,612 घनमीटर – 7.5 मीटर (माईन बाउण्ड्री) क्षेत्र में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग। शेष 288 घनमीटर – लीज क्षेत्र के भीतर, 5,600 वर्गमीटर क्षेत्र में भण्डारित कर संरक्षित किया जायेगा। **ओव्हर बर्डन प्रबंधन योजना –** ओव्हर बर्डन का उपयोग रेम्प निर्माण, हॉल रोड संरक्षण आदि कार्यो में किया जायेगा। शेष ओव्हर बर्डन को लीज क्षेत्र के भीतर, 5,600 वर्गमीटर क्षेत्र में भण्डारित कर संरक्षित किया जायेगा।
जल आपूर्ति	मात्रा – 9 घनमीटर स्त्रोत – माईन पिट एवं बोरवेल	सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त।
वृक्षारोपण कार्य	लीज क्षेत्र के 7.5 मीटर के चारों ओर वृक्षारोपण – 2,052 नग	
श्रेणी	बी1	आवेदित खदान को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 48.6516 हेक्टेयर है।

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया है कि बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य 19 अक्टूबर 2023 से प्रारंभ किया गया।

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुसार वर्तमान में लीज क्षेत्र की अंदर ही क्रशर की स्थापना एवं संचालन प्रस्तावित है। इसके अनुसार ही उत्खनन योजना में क्रशर की स्थापना हेतु क्षेत्र को दर्शाया गया है। अगले 05 वर्षों तक क्रशर के लिए निर्धारित भूमि पर उत्खनन नहीं करना भी बताया गया है। खनन योजना के अनुसार भविष्य में लीज अवधि में किसी भी समय लीज क्षेत्र के अंदर स्थापित क्रशर को लीज क्षेत्र से हटाकर खनन कार्य किया जाना भी प्रस्तावित है। अतः अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुसार वर्तमान में रकबा 0.6116 हेक्टेयर लीज भूमि के भाग पर क्रशर स्थापित किया जाएगा तथा भविष्य में जमा की जाने वाली माईनिंग स्कीम में क्रशर प्लांट को हटाये जाने का प्रस्ताव किया जायेगा। साथ ही परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित सरफेस प्लान प्रस्तुत किया गया है।

3. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

i. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

ii. Project proponent shall submit the details of monitoring equipments alongwith its specification. Project proponent shall monitor as per the Methodology issued by MoEF&CC.

iii. Project Proponent shall submit top soil & over burden Management Plan.

iv. Project Proponent shall submit an undertaking that the top soil & over burden would be stacked at the earmarked place and shall use the same in plantation and backfilling of the mined out area.

v. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

vi. Project proponent will present the information along with photographs by mentioning the numbering of the plants and the name of the plant.

vii. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.

viii. Project proponent shall submit an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies.

ix. EIA study shall be done at minimum 10 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

x. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

xi. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the mines located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.

xii. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xiii. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xiv. Project proponent shall submit the DPR (Detailed Project Report) and undertake plantation & incorporate in the EIA report.

xv. Project proponent shall submit the DPR (Detailed Project Report) of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintainance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

xvi. Project proponent shall submit the DPR (Detailed Project Report) of 5 years & undertake plantation (as far as possible tree bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain minimum 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.

xvii. Project proponent shall submit DPR (Detailed Project Report) of CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 14/03/2024 को संपन्न 167वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी किया जाए।

23. मेसर्स किलेपार सेण्ड माईन (सरपंच, ग्राम पंचायत किलेपार), ग्राम–किलेपार, तहसील–चारामा, जिला–उत्तर बस्तर कांकेर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2662)

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाईन आवेदन	ई.सी. – 446020 एवं 02/10/2023	
खदान का प्रकार	रेत (गौण खनिज) खदान	प्रस्तावित
क्षेत्रफल एवं क्षमता	2 हेक्टेयर एवं 40,000 घनमीटर प्रतिवर्ष	
खसरा क्रमांक एवं नदी	पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक– 1085 एवं महानदी	

बैठक का विवरण	507वीं बैठक दिनांक 10/01/2024	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 03/01/2024
प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि		श्री दुष्यंत मंडावी, सरपंच उपस्थित हुए।
ग्राम पंचायत एन.ओ.सी.	ग्राम पंचायत किलेपार दिनांक 24/01/2023	
उत्खनन योजना अनुमोदन	दिनांक 14/07/2023	
चिन्हांकित/ सीमांकित	दिनांक 12/07/2023	
500 मीटर	दिनांक 25/09/2023	अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
200 मीटर	दिनांक 25/09/2023	प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
एल.ओ.आई.	एल.ओ.आई. धारक – सरपंच, ग्राम पंचायत किलेपार दिनांक – 12/07/2023 वैधता अवधि – 1 वर्ष	
वन विभाग एन.ओ.सी.	दिनांक 25/04/2023	वन क्षेत्र के कक्ष क्रमांक OA–1461 से दूरी – 5 कि.मी.
महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी	आबादी ग्राम – किलेपार 1.1 कि.मी. स्कूल ग्राम – किलेपार 1.1 कि.मी. अस्पताल – तखतपुर 1.4 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग – 5.4 कि.मी. राज्यमार्ग – 18 कि.मी.	
खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी	**खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई–** अधिकतम 340 मीटर, न्यूनतम 317 मीटर **खनन स्थल की लंबाई –** अधिकतम 201 मीटर, न्यूनतम 107 मीटर **खनन स्थल की चौड़ाई –** अधिकतम 165 मीटर, न्यूनतम 127 मीटर **खदान की नदी तट के किनारे से दूरी –** अधिकतम 151 मीटर, न्यूनतम 33 मीटर	जिस खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई 340 मीटर है, उस खनन स्थल पर नदी तट के किनारे से दूरी न्यूनतम 151 मीटर है तथा खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई 317 मीटर है, उस खनन स्थल पर नदी तट के किनारे से दूरी न्यूनतम 33 मीटर है। अतः गैर माईनिंग क्षेत्र की आवश्यकता नहीं है।
खदान स्थल पर रेत की मोटाई	स्थल पर रेत की गहराई – 3 मीटर रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2 मीटर खदान में माईनेबल रेत की मात्रा–40,000 घनमीटर खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी अनुसार – स्थल पर किये गये गढ्ढे (Pits) की संख्या 2 रेत की उपलब्ध औसत गहराई 3 मीटर रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा प्रस्तुत किया गया है।	

खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स	ग्रिड बिन्दु – 25 मीटर X 25 मीटर लेवल्स (Levels) दिनांक 05/01/2024 खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।	
वृक्षारोपण कार्य	नदी तट पर वृक्षारोपण – 400 नग किया जाना है। भूमि (खसरा क्रमांक 18/1, क्षेत्रफल 0.316 हेक्टेयर)	प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि – 6,41,490 रूपये ग्राम पंचायत का सहमति प्राप्त प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
परियोजना से संबंधित शपथ पत्र	1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण, सघन वृक्षारोपण एवं 90 प्रतिशत जीवन स्तर सुनिश्चित, छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् रोजगार, सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्य एवं संबंधित शाखा से कार्य पूर्ण प्रतिवेदन जिओटैग फोटोग्राफ सहित जानकारी अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करने बाबत्, प्राकृतिक जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं सवर्धन हेतु, पर्यावरण स्वीकृति में दिये गए शर्तों का पालन किया जाऐगा एवं छः माही पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावेगा। 2. इन्फोर्समेंट एवं मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेंड माईनिंग 2020 के प्रावधानों का पालन किया जावेगा एवं अनुमोदित उत्खनन योजना में दिये गये माईनेबल रिर्जव का 60 प्रतिशत रिजर्व ही उत्खनन किया जावेगा। 3. खदान में उत्खनन के दौरान सस्टेनेवल सेंड माईनिंग मैनेजमेंट गाइडलाईन 2016 एवं इन्फोर्समेंट एवं मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेंड माईनिंग 2020 के प्रावधानों का पालन किया जाएगा। उपरोक्त सभी तथ्यों का पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।	परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्न शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किये गये है:– 1. परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है। 2. परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है। 3. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को Common Cause vs. Union of India Writ Petition (C) 114 of 2014 में दिए गए दिशा निर्देशों का मेरे द्वारा पालन किया जावेगा। 4. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा।
श्रेणी	बी–2	आवेदित खदान का क्षेत्रफल 2 हेक्टेयर है।

1. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
22.30	2%	0.44	Following activities at Nearby, Village-Kilepar	
			Plantation in Govt. Land	4.91
			Total	4.91

2. सी.ई.आर. के अंतर्गत शासकीय भूमि में वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कुल 450 नग पौधों के लिए राशि 33,750 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 76,320 रूपये, खाद के लिए राशि 4,500 रूपये एवं सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 69,000 रूपये इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 1,83,570 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 3,07,500 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत किलेपार के सहमति उपरांत शासकीय भूमि पर वृक्षारोपण (खसरा क्रमांक 4, क्षेत्रफल 4.91 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

3. सी.ई.आर. कार्य एवं नदी तट में वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं नदी तट में वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

4. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि लोडर जैसे यंत्र भारी वाहन की श्रेणी के है। अतः भराई का कार्य मैनुअल विधि से ही कराई जावें। भारी वाहनों जैसे– जेसीबी मशीन, पोकलैण्ड, लोडर, चैनमाउण्टेड मशीन, हाईवा आदि के नदी में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। महानदी बड़ी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1.5 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःभराव होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. आवेदित खदान (ग्राम–किलेपार) का रकबा 2 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत् सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों

पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के **प्रभाव की सही** जानकारी प्राप्त हो सके।

3. **लीज क्षेत्र की सतह का बेसलाईन डाटा –**

   i. रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर नदी में रेत की सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे कर, उसके आंकड़ें तत्काल एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किये जायें।

   ii. रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर/नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर किया जायेगा।

   iii. इसी प्रकार पोस्ट–मानसून (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा।

   iv. रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य आगामी 6 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। प्री–मानसून के आंकड़ें अगस्त 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 एवं पोस्ट–मानसून के आंकड़ें दिसम्बर 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं संबंधित जिला खनिज अधिकारी को प्रस्तुत किए जायेंगे।

4. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से मेसर्स किलेपार सेण्ड माईन (सरपंच, ग्राम पंचायत किलेपार) को ग्राम–किलेपार, तहसील–चारामा, जिला–उत्तर बस्तर कांकेर, पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 1085, कुल लीज क्षेत्रफल–2 हेक्टेयर के कुल 60 प्रतिशत क्षेत्रफल में ही रेत उत्खनन अधिकतम 1.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 18,000 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड (River Bed) में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गढ्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

5. सस्टेनेबल सेण्ड माईनिंग मैनेजमेंट गाईडलाईन्स, 2016 (Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016) एवं ईन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के अनुसार कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 14/03/2024 को संपन्न 167वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक – मेसर्स किलेपार सेण्ड माईन (सरपंच, ग्राम पंचायत किलेपार) को निम्नानुसार अतिरिक्त शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया:–

   i. सी.ई.आर. के तहत् एवं नदी के तट पर शासकीय भूमि में किये जाने वाले वृक्षारोपण का सत्यापन वन विभाग के सक्षम अधिकारी अथवा वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण के सत्यापन हेतु अधिकृत संस्थाओं (थर्ड पार्टी) से अनुमोदन कराकर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

   ii. सी.ई.आर. के अंतर्गत शासकीय भूमि (खसरा क्रमांक 4, क्षेत्रफल 4.91 हेक्टेयर) में किये जाने वाले वृक्षारोपण के सत्यापन हेतु जियोटेग फोटोग्राफ्स सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

समिति द्वारा निर्धारित शर्तो के अंतर्गत निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जाए। पालन नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

एजेण्डा आयटम क्रमांक–3 **परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रेषित वांछित जानकारी/दस्तावेज/पत्र प्राप्त प्रकरणों में अवलोकन पश्चात् विचार कर पर्यावरणीय स्वीकृति / टीओआर / अन्य आवश्यक निर्णय लिया जाना।**

1. **मेसर्स अकोलडीह खपरी लाईम स्टोन (लो ग्रेड) क्वारी माईनिंग (प्रो.– मोहम्मद अल्ताफ), ग्राम–अकोलडीह, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1813)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर– एसआईए/सीजी/एमआईएन/67460/2021, दिनांक 09/09/2021 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 23/09/2021 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 22/02/2022 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–अकोलडीह, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 427/1–2, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 453, 454, 455/1–2, 456, 458, 459, 461, 463, 465, 482 एवं 483, कुल क्षेत्रफल – 4.09 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 39,814.5 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 19/05/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 408वीं बैठक दिनांक 24/05/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु मोहम्मद अल्ताफ, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरणः–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत धनसुली का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसमें कार्यवाही बैठक दिनांक का उल्लेख नही हैं। साथ ही प्रस्तुत अनापत्ति प्रमाण पत्र में क्रशर की स्थापना के संबंध में उल्लेख नहीं हैं। अतः क्रशर स्थापना एवं उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान एलॉग विथ इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान विथ प्रोग्रेसिव क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त–संचालक (ख.प्र.), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक 4379/खनि 02/मा.प्ल.अनुमोदन/न.क.04/2019(3) नवा रायपुर, दिनांक 16/08/2021 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 667/ख.लि./तीन–6/2021 रायपुर, दिनांक 31/08/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 87 खदानें, क्षेत्रफल 167.39 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 667/ख.लि./तीन–6/2021 रायपुर, दिनांक 31/08/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे रोड, पुल, रेल लाईन, नहर, बांध, एनीकट, भवन, स्कूल, हास्पिटल, मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारा, मरघट, दार्शनिक स्थल आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 1478/ख.लि./तीन–6/उ.प./2021 रायपुर, दिनांक 02/03/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक थी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा एल.ओ.आई. के वैधता वृद्धि हेतु आवेदन किया जाना बताया गया है।

7. **भू–स्वामित्व** – भूमि खसरा क्रमांक 455/1–2, 459 एवं 483 आवेदक के नाम पर है। भूमि खसरा क्रमांक 427/1–2, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 453, 454, 456, 461, 463, 465 एवं 482 मोहम्मद अख्तर के नाम पर है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत सहमति पत्र में सहमति देने वाले में मोहम्मद अल्ताफ एवं अब्दुल हक तथा सहमति पाने वाले में मोहम्मद अख्तर का नाम उल्लेखित है, जबकि खदान मोहम्मद अल्ताफ के नाम पर है। अतः उक्त के संबंध में स्पष्टीकरण के साथ सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए। साथ ही भूमि खसरा क्रमांक 458 का भूमि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी रायपुर वनमण्डल, जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./रा 5573 रायपुर, दिनांक 30/10/2019 से जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके अनुसार उक्त क्षेत्र में 10 नग बबूल एवं 7 नग सफेद बबूल पाये गए हैं।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–अकोलडीह 1.96 कि. मी., स्कूल ग्राम–चटौद 3.81 कि.मी. एवं अस्पताल पथरिया 5.13 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 9 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 3 कि.मी. दूर है। नाला 60 मीटर दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 17,38,250 टन, माईनेबल रिजर्व 7,23,753 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 6,87,565 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 10,740 वर्गमीटर एवं लीज क्षेत्र के कुछ भाग में चौड़ाई कम होने के कारण 700 वर्ग मीटर क्षेत्र को गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 20 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 3 मीटर है तथा कुल मात्रा 60,960 घनमीटर है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 19 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है, जिसका क्षेत्रफल 1,015 वर्गमीटर है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	37,762.5	षष्टम	38,790
द्वितीय	37,987.5	सप्तम	39,000
तृतीय	38,220	अष्टम	39,262.5
चर्तुथ	38,407.5	नवम	44,280
पंचम	38,700	दशम	45,735

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 9.48 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति स्त्रोत एवं अनुमति संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 2,000 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

16. ई.आई.ए. मॉनिटरिंग के पूर्व परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में सूचना नहीं दी गई। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया है कि ई.आई. ए. मॉनिटरिंग का कार्य अक्टूबर, 2021 से दिसंबर, 2021 के मध्य किया गया है। ई.आई.ए. मॉनिटरिंग किये जाने के संबंध में मॉनिटरिंग किये गये स्थान की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

17. लीज क्षेत्र से नाला 60 मीटर दूर है। समिति का मत है कि पर्यावरणीय दृष्टिकोण से नाले को प्रदूषण से बचाने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. क्रशर स्थापना एवं उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र (कार्यवाही विवरण सहित) प्रस्तुत किया जाए।
2. प्रस्तुत सहमति पत्र में सहमति देने वाले में मोहम्मद अल्ताफ एवं अब्दुल हक तथा सहमति पाने वाले में मोहम्मद अख्तर का नाम उल्लेखित है, जबकि खदान मोहम्मद अल्ताफ के नाम पर है। अतः उक्त के संबंध में स्पष्टीकरण के साथ सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए। साथ ही भूमि खसरा क्रमांक 458 का भूमि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
3. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी हेतु वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की अद्यतन प्रति प्रस्तुत किया जाए।
4. एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
5. ई.आई.ए. मॉनिटरिंग किये जाने के संबंध में मॉनिटरिंग किये गये स्थान की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत किया जाए।
6. ऊपरी मिट्टी के रख–रखाव एवं भण्डारण हेतु विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
7. पर्यावरणीय दृष्टिकोण से नाले को प्रदूषण से बचाने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 11/07/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 15/12/2022 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ब) समिति की 445वीं बैठक दिनांक 11/01/2023:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. उत्खनन एवं क्रशर की स्थापना के संबंध में ग्राम पंचायत धनसुली का दिनांक 12/06/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. प्रस्तुत सहमति पत्र अनुसार सहमति देने वाले मोहम्मद अख्तर एवं अब्दुल हक तथा सहमति पाने वाले में मोहम्मद अल्ताफ है। साथ ही भूमि खसरा क्रमांक 458 का भूमि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।
3. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, रायपुर वनमण्डल, जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/व.त.अ./रा/2978 रायपुर, दिनांक 29/11/2022 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 10 कि.मी. की दूरी पर है।

4. एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। चुंकि एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि हेतु आवेदन किया गया है, जो प्रक्रियाधीन है।

5. ई.आई.ए. मॉनिटरिंग किये जाने के संबंध में मॉनिटरिंग किये गये स्थान की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत किया गया है।

6. ऊपरी मिट्टी की कुल मात्रा 60,960 घनमीटर है तथा लीज क्षेत्र के 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 10,740 वर्गमीटर है। ऊपरी मिट्टी को लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) में फैलाकर वृक्षारोपण किया जाना बताया गया है। इस संबंध में समिति का मत है कि प्रस्तावित स्थल में 28° का स्लोप रखते हुए 1 मीटर की ऊँचाई तक ऊपरी मिट्टी को भण्डारित कर वृक्षारोपण किये जाने हेतु तथा शेष ऊपरी मिट्टी का प्रबंधन योजना प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

7. लीज क्षेत्र के 500 मीटर के भीतर कोई नाला नहीं होना बताया गया है। प्रस्तुत क्वारी प्लान अनुसार लीज क्षेत्र के पश्चिम दिशा में 60 मीटर दूरी पर जल स्त्रोत नाला बताया गया है। समिति का मत है कि पर्यावरणीय दृष्टिकोण से नाले को प्रदूषित होने से बचाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही प्रस्तावित परियोजना हेतु जल की आपूर्ति स्त्रोत एवं अनुमति संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. भूमि खसरा क्रमांक 458 का भूमि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
2. एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
3. पर्यावरणीय दृष्टिकोण से नाले को प्रदूषित होने से बचाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
4. प्रस्तावित स्थल में 28° का स्लोप रखते हुए 1 मीटर की ऊँचाई तक ऊपरी मिट्टी को भण्डारित कर वृक्षारोपण किये जाने हेतु तथा शेष ऊपरी मिट्टी का प्रबंधन योजना प्रस्तुत किया जाए।
5. प्रस्तावित परियोजना हेतु जल की आपूर्ति स्त्रोत एवं अनुमति संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 24/02/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 17/03/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(स) समिति की 462वीं बैठक दिनांक 09/05/2023:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. भूमि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार भूमि खसरा क्रमांक 458 आवेदक के नाम पर है।
2. एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि बाबत् न्यायालय संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 85/2022 द्वारा जारी

पारित आदेश दिनांक 02/03/2023 की प्रति प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार **"उपरोक्त विवेचना के आधार पर पुनरीक्षण प्रकरण स्वीकार करते हुये, यह निर्देशित किया जाता है कि छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के नियम 42(5) परन्तु के तहत् उक्त प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने एवं उत्खनन पट्टा स्वीकृति की कार्यवाही पूर्ण करने हेतु अतिरिक्त समयावधि प्रदान करते हुए प्रकरण कलेक्टर, जिला रायपुर को प्रत्यावर्तित किया जाता है।"** होना बताया गया है।

3. पर्यावरणीय दृष्टिकोण से नाले को प्रदूषित होने से बचाने हेतु लीज क्षेत्र में गारलेन ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक का निर्माण किया जाएगा।

4. ऊपरी मिट्टी की कुल मात्रा 60,960 घनमीटर है जिसमें से 9,967 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) में फैलाकर वृक्षारोपण किया जाएगा तथा शेष ऊपरी मिट्टी का उत्खनन क्रमशः आने वाले वर्षों में किया जाएगा एवं 5 वर्ष उपरांत लगभग 12 मीटर गहराई के पिट के पुनःभराव में उपयोग किया जाएगा।

5. परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जायेगी। इस बाबत् सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

6. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

   b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 667/ख.लि./तीन–6/2021 रायपुर, दिनांक 31/08/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 87 खदानें, क्षेत्रफल 167.39 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–अकोलडीह) का रकबा 4.09 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–अकोलडीह) को मिलाकर कुल रकबा 171.48 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर

(लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

i. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

ii. Project proponent shall submit the top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.

iii. Project Proponent shall submit an undertaking that the top soil would be stacked at the earmarked place and shall use the same in plantation and backfilling of the mined out area.

iv. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

v. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.

vi. EIA study shall be done at minimum 12 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

vii. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

viii. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the mines located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.

ix. Project proponent shall submit an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies.

x. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xi. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xii. Project proponent shall undertake plantation during the monsoon & incorporate in the EIA report.

xiii. Project proponent shall undertake plantation (tree species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain minimum 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.

xiv. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the

plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 21/06/2023 को संपन्न 149वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3 घनमीटर प्रतिदिन की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जायेगी। इस बाबत् सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में प्राधिकरण का मत है कि सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से किस कार्य (घरेलू उपयोग अथवा खनन प्रक्रिया) हेतु अनुमति प्राप्त किया गया है? इस संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

प्राधिकरण द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से किस कार्य (घरेलू उपयोग अथवा खनन प्रक्रिया) हेतु अनुमति प्राप्त किया गया है? के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन कार्य से उत्पन्न होने वाले जन समस्याओं (विशेषकर स्कूल, अस्पताल, आबादी क्षेत्र, इत्यादि) के निराकरण हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 25/07/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 01/12/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 14/03/2024 को संपन्न 167वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/जानकारी/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि:–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से घरेलू उपयोग हेतु अनुमति प्राप्त किया गया है।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन कार्य से उत्पन्न होने वाले जन समस्याओं (विशेषकर स्कूल, अस्पताल, आबादी क्षेत्र, इत्यादि) के निराकरण हेतु निम्न तथ्य प्रस्तुत किये गये है:–

   प्रोजेक्ट साइट के 200 मीटर की परिधि में कोई भी स्कूल, अस्पताल आबादी क्षेत्र इत्यादि नहीं आता है जैसे कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रित बोर्ड एवं माननीय एनजीटी प्रिंसिपल बैच के ओर से और नंबर 304/2019 में जारी निर्देशित निर्देशन अनुसार पत्थर खदान की अनुमति में न्यूनतम दूरी के मानदंड के अनुसार नॉन–ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 200 मीटर की दूरी तय है इसलिए परियोजना से किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है लेकिन इसके बावजूद भी हम स्कूल, अस्पताल, आबादी क्षेत्र के लिए निम्न प्रस्ताव रख रहे है:–

   - परियोजना स्थल के 7.5 बैरियर जोन में वृक्षारोपण किया जाएगा।

- परियोजना स्थल के चारों तरफ फेसिंग की जाएगी।
- खनन के दौरान कंट्रोल बूस्टिंग का प्रस्ताव दिया गया है।
- परियोजना स्थल के चारों तरफ एक गारलेण्ड तैयार किए जाएंगे जिसको दो सेटलिंग टैंक के माध्यम से जोड़े जाएंगे।
- स्कूल में वृक्षारोपण किया जाएगा।
- खनन के दौरान जिस रास्ते से गाड़िया निकलेगे उस सड़क को पक्का किया जाएगा, जिससे उसे गुजरने वाले वाहनों से आस–पास के लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी।

प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि समिति की 462वीं बैठक दिनांक 09/05/2023 में की गई अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी किया जाए।

2. **मेसर्स मोहभट्ठा लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री शैलेष राय), ग्राम–मोहभट्ठा, तहसील–पथरिया, जिला–मुंगेली (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2114)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी/ एमआईएन/ 285115/2022, दिनांक 27/07/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–मोहभट्ठा, तहसील–पथरिया, जिला–मुंगेली स्थित खसरा क्रमांक 696, 694/2 एवं 743, कुल क्षेत्रफल–0.563 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–3,325 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 09/11/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 434वीं बैठक दिनांक 18/11/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री दीपक कुमार राय, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

   i. पूर्व में चूना पत्थर खदान खसरा क्रमांक 694/2, 696 एवं 743, कुल क्षेत्रफल – 0.562 हेक्टेयर, क्षमता – 3,500 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–मुंगेली दिनांक 01/09/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष की अवधि तक थी।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसारः–

"9A. Notwithstanding anything contained in this Notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this Notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 30/08/2023 तक वैध होगी।

ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तो के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन हेतु एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर में आवेदन दिनांक 17/11/2022 को किया गया है, जो आज दिनांक तक अप्राप्त है। साथ ही पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन हेतु क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, बिलासपुर में आवेदन दिनांक 17/11/2022 को किया जाना बताया गया है। अतः समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

iii. निर्धारित शर्तानुसार 200 नग वृक्षारोपण किया गया है।

iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक/1367/ख.लि.02/2021 मुंगेली, दिनांक 26/07/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार हैः–

वर्ष	उत्पादन (टन)
दिनांक 01/09/2017 से 31/03/2018 तक	250
2018–19	650
2019–20	870
2020–21	1,370

v. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक/824/ख.लि.02/2022 मुंगेली, दिनांक 16/11/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार 2021–22 में किये गये उत्खनन की मात्रा 1,660 टन है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत मोहभट्ठा का दिनांक 09/09/2005 का अनापत्ति प्रमाण पत्र 5 वर्ष हेतु प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में समिति का मत है कि प्रस्तुत ग्राम पंचायत के अनापत्ति प्रमाण पत्र की वैधता वर्तमान में समाप्त हो चुकी है। अतः उत्खनन के

संबंध में ग्राम पंचायत का अद्यतन अनापत्ति प्रमाण पत्र (कार्यवाही बैठक एवं दिनांक सहित) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान एलांग विथ क्वारी क्लोजर प्लान एण्ड इन्व्हायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि प्रशासन), जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक 1971/ख.लि./तीन–1/2016 बलौदाबाजार, दिनांक 27/01/2017 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान**– कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक 715/खलि–03/2020 मुंगेली, दिनांक 26/09/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 5 सजातीय खदानें, क्षेत्रफल 3.676 हेक्टेयर है, इसके अतिरिक्त 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 अन्य डोलोमाईट खदान, क्षेत्रफल 4.97 हेक्टेयर है, जिसे दिनांक 29/07/2020 को एल.ओ.आई. जारी किया गया है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक 1367/खलि–03/2020 मुंगेली, दिनांक 26/07/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, एनीकट, बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।

6. **लीज का विवरण** – लीज श्री शैलेष राय के नाम पर है। लीज डीड 5 वर्षों अर्थात् दिनांक 13/06/2006 से 12/06/2011 तक की अवधि हेतु वैध थी। तत्पश्चात् लीज डीड 25 वर्षों अर्थात् दिनांक 13/06/2011 से 12/06/2036 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है।

7. **भू–स्वामित्व** – भूमि खसरा क्रमांक 696 श्री मनोज राय, खसरा क्रमांक 694/2 श्रीमती विनीता राय एवं खसरा क्रमांक 743 श्री भोला के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामियों का सहमति पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, बिलासपुर वनमण्डल, जिला–बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./3978/ बिलासपुर, दिनांक 05/11/2005 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–मोहभट्ठा 300 मीटर, स्कूल ग्राम–मोहभट्ठा 990 मीटर एवं अस्पताल ग्राम–सरगांव 2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 530 मीटर एवं राज्यमार्ग 16 कि.मी. दूर है। शिवनाथ नदी 3.6 कि.मी., मौसमी नाला 3.85 कि.मी., तालाब 360 मीटर एवं नहर 5.1 कि.मी. दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – अनुमोदित क्वारी प्लान के अनुसार जियोलॉजिकल रिजर्व 2,03,906 टन (81,562 घनमीटर), माईनेबल रिजर्व 40,763 टन (16,305 घनमीटर) है। वर्तमान में जियोलॉजिकल रिजर्व 1,98,842 टन (79,537 घनमीटर), माईनेबल रिजर्व 35,953 टन (14,381 घनमीटर) शेष है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 2,782.5 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 15 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर थी, जिसे पूर्व से ही उत्खनित किया जा चुका है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 20 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	3,325	षष्टम	3,325
द्वितीय	3,325	सप्तम	3,325
तृतीय	3,325	अष्टम	3,325
चतुर्थ	3,325	नवम	3,325
पंचम	3,325	दशम	3,325

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 2.92 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरवेल एवं ग्राम पंचायत के माध्यम से की जायेगी। इस बाबत् ग्राम पंचायत मोहभट्ठा का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 276 नग वृक्षारोपण वृक्षारोपण किया जाएगा। वर्तमान में 200 नग वृक्षारोपण किया गया है। शेष 76 नग वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के भीतर पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के तहत् निम्नानुसार कार्य प्रस्तावित है:–

विवरण		प्रथम (रूपये)	द्वितीय (रूपये)	तृतीय (रूपये)	चतुर्थ (रूपये)	पंचम (रूपये)
प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/पहुंच मार्ग से उत्पन्न धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव		50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
खदान के बाउण्ड्री में (76 नग) वृक्षारोपण हेतु	वृक्षारोपण हेतु राशि	760	–	–	–	–
	खाद हेतु राशि	6,900	6,900	6,900	6,900	6,900
	फेंसिंग, सिंचाई एवं रख–रखाव हेतु राशि	1,75,000	1,75,000	1,75,000	1,75,000	1,75,000
कुल राशि = 11,60,260		**2,32,660**	**2,31,900**	**2,31,900**	**2,31,900**	**2,31,900**

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 2,782.5 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से 191 वर्गमीटर क्षेत्र 4 मीटर की गहराई तक उत्खनित है, जिसका उल्लेख अनुमोदित क्वारी प्लान में किया गया है। उक्त के संबंध में प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि उक्त उत्खनित क्षेत्र का पुनःभराव किया जा चुका है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

16. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक VIII (i) के अनुसारः–

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

17. **गैर माईनिंग क्षेत्र** – लीज क्षेत्र में संकीर्ण होने के कारण 470 वर्गमीटर क्षेत्रफल को गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है, जिसका उल्लेख अनुमोदित क्वारी प्लान में किया गया है।

18. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
24.18	2%	0.483	Following activities at, Government Primary School **Village- Mohbhatta**	
			Installation of UV water filter and its AMC	0.25
			Running water arrangement in toilet	0.25
			Total	**0.50**

19. सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि प्रस्तुत सी.ई.आर. कार्य के अतिरिक्त

प्रस्तावित स्कूल में आलमिरा एवं पर्यावरण संबंधी पुस्तकों का भी प्रस्ताव शामिल करते हुये सी.ई.आर. कार्य का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

20. कंट्रोल ब्लास्टिंग का कार्य विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

21. परियोजना से जिन–जिन स्थलों से फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

22. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं उक्त पौधों का 90 प्रतिशत जीवन दर सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

23. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कनसेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत् बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमाकंन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

24. परियोजना प्रस्तावक द्वारा तालाब, पोखर, नहर, नदी, नाला एवं अन्य जल निकायों के संरक्षण एवं संवर्धन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

25. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

26. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

27. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तो के अनुरूप निर्धारित शर्तानुसार किये गये वृक्षारोपण के पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

3. उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत का अद्यतन अनापत्ति प्रमाण पत्र (कार्यवाही बैठक एवं दिनांक सहित) प्रस्तुत किया जाए।

4. प्रस्तुत सी.ई.आर. प्रस्ताव के अतिरिक्त सहमति अनुसार प्रस्तावित स्कूल में आलमिरा, पर्यावरण संबंधी पुस्तकों का भी प्रस्ताव शामिल करते हुये सी.ई.आर. कार्य का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

5. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लेख किया जाए।

6. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन पाये जाने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 09/01/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 23/05/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ब) समिति की 470वीं बैठक दिनांक 14/06/2023:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन हेतु एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर में आवेदन दिनांक 17/11/2022 किया गया है, जो आज दिनांक तक अप्राप्त है। साथ ही एस.ई.ए.सी. के ज्ञापन दिनांक 09/01/2023 के माध्यम से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन हेतु एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर को पत्र लेख किया गया है, जो कि अप्राप्त है।

   परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह भी बताया गया कि उनके द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन हेतु क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, बिलासपुर में दिनांक 17/11/2022 एवं मुख्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर में दिनांक 17/11/2022 को आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पालन प्रतिवेदन प्राप्त होने पर प्रस्तुत किये जाने के शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने का अनुरोध किया गया है।

   उपरोक्त के अनुक्रम में समिति का मत है कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए।

2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तो के अनुरूप निर्धारित शर्तानुसार किये गये वृक्षारोपण के पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख करते हुए फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया गया है।

3. उत्खनन के संबंध में पूर्व में जारी ग्राम पंचायत मोहभट्ठा का दिनांक 09/09/2005 के अनापत्ति प्रमाण पत्र को ही लीज अवधि तक मान्य करते हुये, अद्यतन स्थिति में ग्राम पंचायत मोहभट्ठा का दिनांक 10/05/2023 द्वारा लीज अवधि दिनांक 12/06/2036 तक उत्खनन कार्य करने बाबत् अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

4. प्रस्तुत सी.ई.आर. प्रस्ताव के अतिरिक्त सहमति अनुसार प्रस्तावित स्कूल में आलमिरा, पर्यावरण संबंधी पुस्तकों का भी प्रस्ताव शामिल करते हुये सी.ई.आर. कार्य का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
24.18	2%	0.483	Following activities at, Government Primary School **Village- Mohbhatta**	
			Installation of UV water filter and its AMC	0.25
			Running water arrangement in toilet	0.25
			Donation of Steel Almira & Books related to Environment Conservation	0.10
			Total	**0.60**

1. सी.ई.आर. कार्य एवं 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

2. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

   b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक 715/खनि–03/2020 मुंगेली, दिनांक 26/09/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 5 सजातीय खदानें, क्षेत्रफल 3.676 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–मोहभट्ठा) का रकबा 0.563 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–मोहभट्ठा) को मिलाकर कुल रकबा 4.236 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में सजातीय स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर से प्राप्त कर एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स मोहभट्ठा लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री शैलेष राय) को ग्राम–मोहभट्ठा, तहसील–पथरिया, जिला–मुंगेली के खसरा क्रमांक 696, 694/2 एवं 743 में स्थित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–0.563 हेक्टेयर, क्षमता–3,325 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 04/08/2023 को संपन्न 152वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/जानकारी/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था कि:–**

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

2. सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्यो के कार्य पूर्ण उपरांत संबंधित स्कूल के प्राचार्य से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर, जियोटेग फोटोग्राफ सहित जानकारी अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

3. उत्खनन हेतु आवेदित भूमि के भूमि स्वामियों के भूमि से संबंधित समस्त हितों की रक्षा, भारत के समस्त नियमों के अंतर्गत पालन की जिम्मेदारी परियोजना प्रस्तावक की रहेगी, इस बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 05/09/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 16/01/2024 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 14/03/2024 को संपन्न 167वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/जानकारी/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि:–

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से प्राप्त कर प्रस्तुत किये जाने के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्न तथ्य प्रस्तुत किये गये है:–

   अ) प्रमाणित पालन प्रतिवेदन की आवश्यकता को निरस्त करते हुए स्वप्रमाणित पालन प्रतिवेदन को स्वीकार किये जाने के संबंध में स्पष्टीकरण एवं शपथ पत्र:–

   एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, MOEFCC नवा रायपुर अटल नगर से पूर्व मे जारी पर्यावरण स्वीकृति का सर्टिफाईड कम्प्लायंस प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है सर्टिफाईड कम्प्लायंस के संबंध में समिति के 476वीं बैठक दिनांक 19/07/2023 मे विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से MOEFCC नई दिल्ली से "Clarification Requested on Requirement of Certified Compliance Report (CCR) In Non&Coal Mining Proposals without Expansion." के संबंध में स्पष्टीकरण मंगाये जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त के संबंध में MOEFCC नई दिल्ली द्वारा हमे जो भी दिशा निर्देश दिया जावेगा मैं उसका पालन करूगा इस संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

   ब) MOEF के ऑफिस मेमोरेंडम क्रमांक F- No- IA3&22/11/2023&IA-III [E 208230] दिनांक 28/04/2023 – उक्त ऑफिस मेमोरेण्डम के अनुसार पैरा क्रमांक 5 में बिंदु 1 से 10 तक में रिअप्रेजल के प्रकरणों मे आवश्यक / वांछित प्रपत्रों की सूची में प्रमाणित पालन प्रतिवेदन की जानकारी जमा कराए जाने का उल्लेख नहीं है।

   वर्तमान में SEAC/SEIAA द्वारा रिअप्रेजल के प्रकरणों में प्रमाणित पालन प्रतिवेदन के स्थान पर स्वप्रमाणित पालन प्रतिवेदन को स्वीकार करते हुए पर्यावरण स्वीकृति जारी की जा रही है। मेरे द्वारा स्वप्रमाणित पालन प्रतिवेदन आपके समक्ष जमा किया जा चुका है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर मेरे प्रकरण में प्रमाणित पालन प्रतिवेदन की आवश्यकता को निरस्त करने का अनुरोध है।

   इस हेतु मैं आपके समक्ष MOEFCC नई दिल्ली द्वारा दिनांक 28/04/2023 को जारी ऑफिस मेमोरेण्डम में दिये गये निर्देश का बिन्दुवार पालन किये जाने के संदर्भ में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

   अतः उपरोक्त स्पष्टीकरणों को स्वीकार करते हुये प्रकरण मे पर्यावरण स्वीकृति जारी करने का अनुरोध किया गया है।

2. सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्यो के कार्य पूर्ण उपरांत संबंधित स्कूल के प्राचार्य से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर, जियोटेग फोटोग्राफ सहित जानकारी अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

3. उत्खनन हेतु आवेदित भूमि के भूमि स्वामियों के भूमि से संबंधित समस्त हितों की रक्षा, भारत के समस्त नियमों के अंतर्गत पालन की जिम्मेदारी परियोजना प्रस्तावक की रहेगी, इस बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. आवेदक – मेसर्स मोहभट्ठा लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री शैलेष राय) को निम्नानुसार अतिरिक्त शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया:–
   i. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति शर्तो के पालनार्थ की गई कार्यवाही का पालन प्रतिवेदन छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर से 03 माह के भीतर प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
   ii. लीज जारी होने के पश्चात् 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में तीन पंक्तियों में पौधों का रोपण कर, पौधों का नामांकन एवं संख्यांकन कर फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।
   iii. 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में किये जाने वाले वृक्षारोपण का सत्यापन वन विभाग के सक्षम अधिकारी अथवा वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण के सत्यापन हेतु अधिकृत संस्थाओं (थर्ड पार्टी) से अनुमोदन कराकर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।
   iv. खनिज का परिवहन कव्हर्ड वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

साथ ही समिति द्वारा निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् वैधानिक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

3. मेसर्स अग्रोहा स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–पाली, तहसील व जिला–रायगढ़ (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 843ए)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /आईएनडी/ 286359/2022, दिनांक 01/08/2022 द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में नाम हस्तांतरण हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण –

1. मेसर्स अग्रोहा स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड द्वारा मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इण्डस्ट्रीज, ग्राम–पाली, तहसील व जिला–रायगढ़ को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का हस्तांतरण मेसर्स अग्रोहा स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–पाली, तहसील व जिला–रायगढ़ के नाम से करने बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

2. **पूर्व जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरणः–** पूर्व में मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इण्डस्ट्रीज को एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 900/एस.ई.आई.ए.ए.,छ.ग./ई.सी./रायपुर/843ए अटल नगर, दिनांक 28/06/2021 द्वारा मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इण्डस्ट्रीज, खसरा क्रमांक 25/1, 25/4, 25/5, 25/6, 26/1 एवं 26/3, कुल क्षेत्रफल– 2.698 हेक्टेयर, ग्राम–पाली, तहसील व जिला–रायगढ़ को इण्डक्शन फर्नेस (15 टन गुणा 3 नग) (स्टील इंगाट्स/बिलेट्स) क्षमता–1,48,500 टन प्रतिवर्ष एवं रोलिंग मिल (टी.एम.टी. वॉयर रॉड, एंगल, चैनल, स्टील स्ट्रक्चर्स, पत्रा) क्षमता–30,000 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 1,46,250 टन प्रतिवर्ष (फर्नेस ऑयल/प्रोड्युसर गैस) तथा कोल गैसीफायर क्षमता–7,000 सामान्य घनमीटर प्रतिघंटा हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है।

3. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक 8895/TS/CECB/2022, दिनांक 07/03/2022 द्वारा इण्डक्शन फर्नेस (12 टन गुणा 3 नग) (स्टील इंगाट्स/बिलेट्स) क्षमता–1,18,800 टन प्रतिवर्ष एवं रोलिंग मिल (टी.एम.टी. वॉयर रॉड, एंगल, चैनल, स्टील स्ट्रक्चर्स, पत्रा) क्षमता–1,46,250 टन प्रतिवर्ष तथा कोल गैसीफायर क्षमता–7,000 सामान्य घनमीटर प्रतिघंटा हेतु के लिए जल एवं वायु स्थापना सम्मति जारी की गई है।

4. भारत सरकार, कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा मेसर्स अग्रोहा स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड को जारी सर्टिफिकेट ऑफ इनकारपोरेशन की प्रति प्रस्तुत की गई है।

5. मेसर्स अग्रोहा स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड द्वारा पूर्व में मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इण्डस्ट्रीज को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarize undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

6. मेसर्स अग्रोहा स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड के नाम पर हस्तांतरण किये जाने बाबत् मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इण्डस्ट्रीज द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 15/09/2022 को संपन्न 128वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था किः–**

1. मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इण्डस्ट्रीज से मेसर्स अग्रोहा स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड के नाम पर किये जाने हेतु समस्त विधिक प्रमाण पत्र /दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।

2. ट्रान्सफर एग्रीमेंट (भूमि, प्लांट मशीनरी एवं अन्य) संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।

3. बोर्ड ऑफ डॉयरेक्टरों की सूची प्रस्तुत किया जाए।

4. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 14/10/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 18/01/2024 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 14/03/2024 को संपन्न 167वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/जानकारी/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि:–

1. मेसर्स अग्रोहा स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का निगमन का प्रमाण पत्र (Certificate of Incorporation) की प्रति प्रस्तुत की गई है। साथ ही मेसर्स अग्रोहा स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड के नाम पर भू–संबंधी दस्तावेज (बी–1) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

   अपर संचालक, उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़, उद्योग भवन, तेलीबांधा, रायपुर के पृ. ज्ञापन क्रमांक 121/औ.नीति/2022/9056 रायपुर, दिनांक 30/05/2023 द्वारा "मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इण्डस्ट्रीज, ग्राम–पाली, तहसील व जिला–रायगढ़ के स्वामित्व/साझेदारी से प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी में परिवर्तन के संबंध में" पत्र जारी किया गया है।

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ट्रान्सफर एग्रीमेंट (भूमि, प्लांट मशीनरी एवं अन्य) संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने की आवश्यकता नहीं होने के संबंध में उद्योग द्वारा साझेदारी फर्म की स्थिति को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में परिवर्तित किये जाने का उल्लेख किया गया है।

3. बोर्ड ऑफ डॉयरेक्टरों की सूची प्रस्तुत की गई है।

4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की गई है।

प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इण्डस्ट्रीज को एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 900/एस.ई.आई.ए.ए.,छ.ग./ई.सी./रायपुर/843ए अटल नगर, दिनांक 28/06/2021 द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को मेसर्स अग्रोहा स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड के नाम पर हस्तांतरित (Transfer) जारी किये जाने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति में नाम परिवर्तन बाबत् पत्र जारी किया जाए।

4. मेसर्स शेर ब्रिक्स अर्थक्ले क्वारी एण्ड फिक्स चिमनी ब्रिक्स प्लांट (प्रो.– श्रीमती प्रीति शर्मा), ग्राम–शेर, तहसील व जिला–महासमुंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2068)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 276626/2022, दिनांक 04/06/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान एवं फिक्स चिमनी ईंट उत्पादन इकाई है। खदान ग्राम–शेर, तहसील व जिला–महासमुंद स्थित खसरा क्रमांक 2209, 2211, 2212, 2243/1, 2246, 2247, 2248, 2249, 2267, 2268, 2269, 2270/1, 2270/2, 2271, 2272, 2273 एवं 2276, कुल क्षेत्रफल– 2.41

हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 3,200 घनमीटर (ईंट उत्पादन क्षमता 32,00,000 नग) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 20/09/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 427वीं बैठक दिनांक 30/09/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 30/09/2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 09/01/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 446वीं बैठक दिनांक 12/01/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री संजय कुमार शर्मा, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

   i. पूर्व में मिट्टी उत्खनन खदान खसरा क्रमांक 2209, 2211, 2212, 2243/1, 2246, 2247, 2248, 2249, 2267, 2268, 2269, 2270/1, 2270/2, 2271, 2272, 2273 एवं 2276, कुल क्षेत्रफल–2.41 हेक्टेयर, क्षमता–4,800 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–महासमुंद द्वारा दिनांक 16/01/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष अर्थात् दिनांक 15/01/2022 तक की अवधि हेतु जारी की गई थी।

   परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार:–

   "9A. Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

   उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 15/01/2023 तक वैध होगी।

ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तो के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तो के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्राप्त किये जाने हेतु एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर में दिनांक 05/12/2022 एवं क्षेत्रीय कार्यालय, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर में दिनांक 06/12/2022 को पत्र लेख किया गया है। साथ ही परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तो के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्राप्त होने के उपरांत एस.ई.ए.सी./एस.ई.आई.ए.ए. में प्रस्तुत किये जाने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण किया गया है।

iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 1175/क/खलि/न.क्र./2021 महासमुंद, दिनांक 21/09/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (नग)
2017	13,63,500
2018	12,00,000
2019	9,70,000
2020	16,85,500
01/01/2021 से 30/09/2021 तक	9,60,000
01/10/2021 से 31/03/2022 तक	20,00,000

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत शेर का दिनांक 16/02/2011 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान, इन्व्हारोमेंट मेनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त–संचालक (ख.प्र.), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के पृ. ज्ञापन क्र. 1797/खनि 02/मा. प्ल.अनुमोदन/न.क्र. 02/2019(2) नवा रायपुर, दिनांक 12/04/2022 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 1615/क/खलि/न.क्र./2021 महासमुंद, दिनांक 11/11/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 खदान, क्षेत्रफल 2.48 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 1615/क/खलि/न.क्र. /2021 महासमुंद, दिनांक 11/11/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे पुल, रेल

लाईन, नहर, बांध, एनीकट, भवन, स्कूल, अस्पताल, वाटर सप्लाई परियोजना, मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारा, मरघट, दार्शिनिक स्थल इत्यादि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **लीज का विवरण** – लीज श्रीमती प्रीति शर्मा के नाम पर है। लीज डीड 10 वर्षों अर्थात् दिनांक 25/02/2011 से 24/02/2021 तक की अवधि हेतु वैध थी। तत्पश्चात् लीज डीड 20 वर्षों अर्थात् दिनांक 25/02/2021 से 24/10/2041 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है।

7. **भू–स्वामित्व** – भूमि खसरा क्रमांक 2209, 2267 श्रीमती प्रीति शर्मा, खसरा क्रमांक 2272, 2248, 2243/1, 2268, 2211, 2212, 2246, 2270/1, 2276, 2247, 2271, 2270/2, 2273, 2269 श्री संजय शर्मा, खसरा क्रमांक 2249 श्री महावीर के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामियों का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./खनिज/699, महासमुंद दिनांक 22/02/2011 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र से निकटतम वन क्षेत्र की दूरी 5 कि.मी. है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–मोरधा 910 मीटर., स्कूल ग्राम–शेर 1.7 कि.मी. एवं अस्पताल महासमुंद 5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 4.8 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 5.1 कि.मी. दूर है। बगनाई नदी 1.8 कि.मी., केशवा नाला 70 मीटर, नहर 1.2 कि.मी. एवं तालाब 1.1 कि.मी. दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 34,762 घनमीटर, माईनेबल रिजर्व 32,130 घनमीटर एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 31,808 घनमीटर है। लीज की 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 777 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैनुअल विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 2 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1 मीटर एवं चौड़ाई 1 मीटर है। लीज क्षेत्र के भीतर 0.3 हेक्टेयर में क्षेत्र ईंट निर्माण हेतु भठ्ठा स्थापित है, जिसकी फिक्स चिमनी की ऊंचाई 35 मीटर है। जिग–जैग पद्धति में चिमनी को प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है। ईंट निर्माण हेतु मिट्टी के साथ 50 प्रतिशत फ्लाई ऐश का उपयोग किया जाता है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। एक लाख ईंट निर्माण हेतु 10 टन कोयला की आवश्यकता होती है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। अनुमोदित क्वारी प्लान अनुसार वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)	उत्पादन (नग)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)	उत्पादन (नग)
प्रथम	3,200	32,00,000	षष्टम	3,200	32,00,000
द्वितीय	3,200	32,00,000	सप्तम	3,200	32,00,000
तृतीय	3,200	32,00,000	अष्टम	3,200	32,00,000
चतुर्थ	3,200	32,00,000	नवम	3,200	32,00,000
पंचम	3,200	32,00,000	दशम	3,000	30,00,000

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 9.845 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से किया जाता है। इस बाबत् सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी की 8 घनमीटर प्रतिदिन हेतु अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि अतिरिक्त जल की मात्रा 1.845 घनमीटर प्रतिदिन हेतु भी सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 1 मीटर की पट्टी में कुल 382 नग वृक्षारोपण किया जाना है, जिसमें से 282 नग वृक्षारोपण किया जा चुका है। शेष 100 नग पौधों के लिए राशि 1,000 रूपये एवं कुल 582 नग पौधों के फेंसिंग के लिए राशि 1,00,000 रूपये, खाद के लिए राशि 29,100 रूपये, रख–रखाव आदि के लिए राशि 1,00,000 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 2,30,100 रूपये प्रथम वर्ष हेतु एवं रख–रखाव हेतु कुल राशि 9,16,400 रूपये आगामी चार वर्षों हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। साथ ही पहुंच मार्ग एवं स्वयं की भूमि पर 202 नग पौधें रोपित है।

15. **गैर माईनिंग क्षेत्र** – लीज क्षेत्र में संकीर्ण क्षेत्र होने के कारण 72 वर्गमीटर क्षेत्र को गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है, जिसका उल्लेख अनुमोदित माईनिंग प्लान में किया गया है।

16. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
50.06	2%	1.0012	Following activities at Nearby Govt. Middle & Higher Secondary School, **Village-Sher**	
			Drinking water arrangement with water tank, filter & its AMC	
			Water tank	0.845
			Supply Pipeline & Installation	
			UV water filter	
			AMC	

			Running Water Arrangement in Toilet	
			Water tank Pipeline & Installation	0.225
			Donation of Environment Conservation books with Almirah	
			Books Almirah	0.20
			Total	**1.27**

17. सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है। साथ ही सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित स्कूल में कराये जाने वाले कार्यों को पूर्ण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

18. रिजेक्ट ब्रिक्स (Reject bricks)/ब्रोकन ब्रिक्स (Broken bricks) का उपयोग पहुँच मार्ग एवं हाल रोड के संधारण में किया जाएगा। साथ ही ईंट निर्माण हेतु उपयोग में लाए गए कोयले से जनित ऐश का उपयोग पुनः ईंट निर्माण में किया जाएगा।

19. परियोजना से जिन–जिन स्थलों से फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

20. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

21. ईंट निर्माण में उपयोग किये जाने वाले कोयले एवं फ्लाई ऐश के उचित रख–रखाव के लिए टिन शेड का उपयोग किये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

22. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज नियमों के तहत् सीमाकंन कराकर खदान की सीमा क्षेत्र में नियमानुसार स्तंभ स्थापित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

23. आवेदित खदान में विद्यमान चिमनी किल्न को 2 वर्ष के भीतर जिग–जैग पद्धति में प्रतिस्थापित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

24. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं कियो जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

25. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

26. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरूद्ध भारत सरकार,

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तो के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी भारत सरकार, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. जल की मात्रा 1.845 घनमीटर प्रतिदिन हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के 446वीं बैठक दिनांक 12/01/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 27/02/2023 को प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 452वीं बैठक दिनांक 28/02/2023:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. जल की मात्रा 1.845 घनमीटर प्रतिदिन हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।
2. एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 2497, दिनांक 28/02/2023 के माध्यम से एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर को पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तो के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी हेतु पत्र प्रेषित किया गया है। उक्त के संबंध में प्रतिवेदन अप्राप्त है।
3. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तो के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 05/12/2022 के माध्यम से एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर एवं दिनांक 06/12/2022 के माध्यम से क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर को प्रेषित अनुरोध पत्र की प्रति प्रेषित की गई है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का प्रमाणित पालन प्रतिवेदन प्राप्त होने पर एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ /एस.ई. आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाएगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त के संबंध में सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने का अनुरोध किया गया है।
4. सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

5. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

   b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 1615/क/खनि/न.क्र./2021 महासमुंद, दिनांक 11/11/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 खदान, क्षेत्रफल 2.48 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–शेर) का क्षेत्रफल 2.41 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–शेर) को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 4.89 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तो के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी भारत सरकार, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से प्राप्त कर को एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स शेर ब्रिक्स अर्थक्ले क्वारी एण्ड फिक्स चिमनी ब्रिक्स प्लांट (प्रो.– श्रीमती प्रीति शर्मा) को ग्राम–शेर, तहसील व जिला–महासमुंद के खसरा क्रमांक 2209, 2211, 2212, 2243/1, 2246, 2247, 2248, 2249, 2267, 2268, 2269, 2270/1, 2270/2, 2271, 2272, 2273 एवं 2276 में स्थित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–2.41 हेक्टेयर, क्षमता–3,200 घनमीटर (ईंट उत्पादन इकाई 32,00,000 नग) प्रतिवर्ष हेतु सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 17/04/2023 को संपन्न 144वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था:–**

1. समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक – मेसर्स शेर ब्रिक्स अर्थक्ले क्वारी एण्ड फिक्स चिमनी ब्रिक्स प्लांट (प्रो.– श्रीमती प्रीति शर्मा) को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया। समिति द्वारा निर्धारित शर्तो के अंतर्गत निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जाए। पालन नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् कार्यवाही की जाएगी।

2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तो के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी भारत सरकार, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से प्राप्त कर प्रस्तुत किये जाने के उपरांत एवं पालन पूर्ण होने की स्थिति में ही परियोजना प्रस्तावक को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 29/01/2024 को पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तो के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी के संबंध में तथ्य प्रस्तुत किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 14/03/2024 को संपन्न 167वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/जानकारी/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि:–

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से प्राप्त कर प्रस्तुत किये जाने के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्न तथ्य प्रस्तुत किये गये है:–

अ) प्रमाणित पालन प्रतिवेदन की आवश्यकता को निरस्त करते हुए स्वप्रमाणित पालन प्रतिवेदन को स्वीकार किये जाने के संबंध में स्पष्टीकरण एवं शपथ पत्र:–

एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, MOEFCC नवा रायपुर अटल नगर से पूर्व मे जारी पर्यावरण स्वीकृति का सर्टिफाईड कम्प्लायंस प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है सर्टिफाईड कम्प्लायंस के संबंध में समिति के 476वीं बैठक दिनांक 19/07/2023 मे विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से MOEFCC नई दिल्ली से "Clarification Requested on Requirement of Certified Compliance Report (CCR) In Non&Coal Mining Proposals without Expansion." के संबंध में स्पष्टीकरण मंगाये जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त के संबंध में MOEFCC नई दिल्ली द्वारा हमे जो भी दिशा निर्देश दिया जावेगा मैं उसका पालन करूगी इस संबंध में शपथ पत्र की मूल प्रति आपके कार्यालय में दिनांक 03/10/2023 को जमा किया गया है।

ब) MOEF के ऑफिस मेमोरेंडम क्रमांक F- No- IA3&22/11/2023&IA-III [E 208230] दिनांक 28/04/2023 – उक्त ऑफिस मेमोरेण्डम के अनुसार पैरा क्रमांक 5 में बिंदु 1 से 10 तक में रिअप्रेजल के प्रकरणों मे आवश्यक / वांछित प्रपत्रों की सूची में प्रमाणित पालन प्रतिवेदन की जानकारी जमा कराए जाने का उल्लेख नहीं है।

वर्तमान में SEAC/SEIAA द्वारा रिअप्रेजल के प्रकरणों में प्रमाणित पालन प्रतिवेदन के स्थान पर स्वप्रमाणित पालन प्रतिवेदन को स्वीकार करते हुए पर्यावरण स्वीकृति जारी की जा रही है। मेरे द्वारा स्वप्रमाणित पालन प्रतिवेदन आपके समक्ष जमा किया जा चुका है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर मेरे प्रकरण में प्रमाणित पालन प्रतिवेदन की आवश्यकता को निरस्त करने का अनुरोध है।

इस हेतु मैं आपके समक्ष MOEFCC नई दिल्ली द्वारा दिनांक 28/04/2023 को जारी ऑफिस मेमोरेण्डम में दिये गये निर्देश का बिन्दुवार पालन किये जाने के संदर्भ में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतः उपरोक्त स्पष्टीकरणों को स्वीकार करते हुये प्रकरण मे पर्यावरण स्वीकृति जारी करने का अनुरोध किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. प्राधिकरण की 144वीं बैठक दिनांक 17/04/2023 को लिये गये निर्णय अनुसार निम्नानुसार अतिरिक्त शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया:–
   i. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति शर्तो के पालनार्थ की गई कार्यवाही का पालन प्रतिवेदन छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर से 03 माह के भीतर प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
   ii. लीज जारी होने के पश्चात् 1 मीटर की सीमा पट्टी में तीन पंक्तियों में पौधों का रोपण कर, पौधों का नामांकन एवं संख्यांकन कर फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।
   iii. लीज क्षेत्र के 1 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में किये जाने वाले वृक्षारोपण का सत्यापन वन विभाग के सक्षम अधिकारी अथवा वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण के सत्यापन हेतु अधिकृत संस्थाओं (थर्ड पार्टी) से अनुमोदन कराकर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।
   iv. खनिज का परिवहन कव्हर्ड वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

साथ ही समिति द्वारा निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् वैधानिक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

5. मेसर्स जे.एस.डब्ल्यू. इस्पात स्पेशल प्रोडक्ट्स लिमिटेड, ग्राम–हाहालद्दी, तहसील–दुर्गुकोंदल, जिला–उत्तर बस्तर कांकेर

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन/ 303045/2023, दिनांक 08/08/2023। मेसर्स जे.एस.डब्ल्यू. इस्पात स्पेशल प्रोडक्ट्स लिमिटेड से मेसर्स जे.एस.डब्ल्यू. इस्पात स्पेशल प्रोडक्ट्स लिमिटेड के नाम पर नामांतरित (Transfer) किये जाने हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण –

1. उद्योग ग्राम–हाहालद्दी, तहसील–दुर्गुकोंदल, जिला–उत्तर बस्तर कांकेर, कुल लीज क्षेत्रफल 78.9 हेक्टेयर में आयरन ओर (आर.ओ.एम.) उत्खनन क्षमता–1,50,000 टन प्रतिवर्ष की है।

2. पूर्व में भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ज्ञापन दिनांक 17/05/2017 द्वारा ग्राम–हाहालद्दी, तहसील–दुर्गुकोंदल, जिला–उत्तर बस्तर कांकेर, कुल लीज क्षेत्रफल 78.9 हेक्टेयर में आयरन ओर उत्खनन (आर.ओ.एम.) क्षमता–1,50,000 टन प्रतिवर्ष हेतु मेसर्स मोनेट इस्पात एण्ड एनर्जी लिमिटेड के नाम से पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है।

3. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा आयरन ओर उत्खनन क्षमता–1,50,000 टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण दिनांक 24/11/2022 को मेसर्स जे.एस.डब्ल्यू. इस्पात स्पेशल प्रोडक्ट्स लिमिटेड के नाम से जारी की गई है, जो दिनांक 01/12/2022 से 30/11/2025 तक वैध है।

4. छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर के आदेश दिनांक 13/09/2023 द्वारा मेसर्स जे.एस.डब्ल्यू. इस्पात स्पेशल प्रोडक्ट्स लिमिटेड, रायपुर के पक्ष में जिला–उत्तर बस्तर कांकेर, तहसील–दुर्गुकोंदल, ग्राम–हाहालद्दी के वन कम्पार्टमेंट नंबर 357पी, 350पी, 362पी एवं 363पी के कुल रकबा 78.9 हेक्टेयर पर अनुबंध दिनांक 07/01/2017 से दिनांक 06/01/2067 तक 50 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत लौह अयस्क के खनिपट्टा का अंतरण खान और खनिज (परमाणु और हाईड्रोकार्बन ऊर्जा खनिज से भिन्न) रियायत नियम, 2016 (यथा संशोधित) के नियम–23(2) के प्रावधानांतर्गत मेसर्स मिवान स्टील्स लिमिटेड के पक्ष में नियम–23 तथा अंतरक के दायित्वों और खनिपट्टा स्वीकृति आदेश/अनुबंध निष्पादन में दर्शित शर्तों के अधीन शेष अवधि हेतु हस्तांतरण किया गया है।

5. मेसर्स मिवान स्टील्स लिमिटेड के नाम से भारत सरकार, कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन की प्रति प्रस्तुत की गई है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 09/01/2024 को संपन्न 161वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा मेसर्स जे.एस.डब्ल्यू. इस्पात स्पेशल प्रोडक्ट्स लिमिटेड के नाम पर हस्तांतरण किये जाने हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया है, जबकि परियोजना प्रस्तावक द्वारा नाम हस्तांतरण हेतु प्रस्तुत समस्त जानकारी/दस्तावेज में मेसर्स जे.एस.डब्ल्यू. इस्पात स्पेशल प्रोडक्ट्स लिमिटेड से मेसर्स मिवान स्टील्स लिमिटेड के नाम पर किये जाने का उल्लेख है। उक्त से स्पष्ट है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा किये गये नाम हस्तांतरण हेतु ऑनलाईन आवेदन में त्रुटि है।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** ऑनलाईन फार्म में हुये त्रुटि को सुधार कर पुनः प्रस्तुत करने हेतु ई.डी.एस. (Essential Document Shortcoming) जारी किये जाने का निर्णय लिया गया।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज ऑनलाईन में प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 19/01/2024 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन फार्म में हुये त्रुटि को सुधार कर ई.डी.एस. (Essential Document Shortcoming) की जानकारी दिनांक 13/02/2024 को प्रस्तुत की गई है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 14/03/2024 को संपन्न 167वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/जानकारी/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ज्ञापन दिनांक 17/05/2017 द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को मेसर्स मिवान स्टील्स लिमिटेड के नाम पर हस्तांतरित (Transfer) जारी किये जाने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति में नाम परिवर्तन बाबत् पत्र जारी किया जाए।

6. मेसर्स एल.के. कार्पोरेट्स एण्ड लॉजिस्टिक्स पार्क (सन एण्ड सन इन्फ्रामेट्रिक प्राईवेट लिमिटेड), ग्राम–डुमरतराई, तहसील व जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2109)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएस/ 283964/2022, दिनांक 17/07/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् ग्राम–डुमरतराई, तहसील व जिला–रायपुर स्थित वर्तमान में खसरा क्रमांक 185/6(पार्ट), 193/1, 193/30(पार्ट), 193/4, 193/28, 193/29, 193/36(पार्ट), 193/37, 193/40, 185/15(पार्ट), 185/20(पार्ट), 185/22(पार्ट), 185/35, 192/3(पार्ट), 192/6, 193/6, 193/7, 193/8, 193/9, 193/10, 193/33(पार्ट), 193/11, 193/12, 193/13(पार्ट), 193/14(पार्ट), 193/16(पार्ट), 193/22, 193/17, 193/18, 193/21(पार्ट), 193/25, 193/26(पार्ट), 193/27, 193/31, 193/32, 193/33(पार्ट), 196(पार्ट), 197 तथा प्रस्तावित खसरा क्रमांक 185/33, 185/37, 185/38, 185/39, 185/40, 185/34, 193/21(पार्ट), 185/24–25(पार्ट), 193/3, 185/5(पार्ट), 193/36(पार्ट), 193/38, 194, 195 एवं 196(पार्ट), कुल क्षेत्रफल–9.531 हेक्टेयर से बढ़ाकर 14.809 हेक्टेयर, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स एवं वेयरहाउसिंग प्रोजेक्ट हेतु कुल बिल्टअप क्षेत्रफल–49,056.62 वर्गमीटर से बढ़ाकर 70,169.2 वर्गमीटर किया जाना है। परियोजना का विनियोग रुपये 17 करोड़ होगा।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/08/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 421वीं बैठक दिनांक 24/08/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री संकल्प चतुर्वेदी, ऑपरेशन मैनेजर एवं पर्यावरण सलाहकार मेसर्स पायोनियर इन्वायरो लेवोरट्रीज एण्ड कन्सलटेन्ट प्राईवेट लिमिटेड, हैदराबाद की ओर से श्री सुधीर सिंह उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **जारी पर्यावरणीय स्वीकृति** –

- पूर्व में राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1054, दिनांक 13/11/2019 द्वारा ग्राम–डुमरतराई, तहसील व जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 185/6(पार्ट), 193/1, 193/30(पार्ट), 193/4, 193/28, 193/29, 193/36(पार्ट), 193/37, 193/40, 185/15(पार्ट), 185/20(पार्ट), 185/22(पार्ट), 185/35, 192/3, 192/6, 193/6, 193/7, 193/8, 193/9, 193/10, 193/33(पार्ट), 193/11, 193/12, 193/13(पार्ट), 193/14(पार्ट), 193/16(पार्ट), 193/22, 193/17, 193/18, 193/21(पार्ट), 193/25, 193/26(पार्ट), 193/27, 193/31, 193/32, 193/33(पार्ट), 196(पार्ट) एवं 197 में क्षेत्रफल – 95,310 वर्गमीटर (9.531 हेक्टेयर) में कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स एवं लॉजिस्टिक पार्क कुल बिल्टअप क्षेत्रफल – 14,906.99 वर्गमीटर से 49,056.62 वर्गमीटर हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया गया है।

- एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर के ज्ञापन दिनांक 21/12/2020 द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की गई है, जिसमें शर्त क्रमांक VII(2) एवं X(7) का आंशिक पालन होना बताया गया है। उक्त के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त शर्तों का पालन पूर्ण (परियोजना स्थल के दक्षिण–पूर्वी दिशा में 250 वर्गमीटर क्षेत्र में वृक्षारोपण का कार्य तथा सी.ई.आर. के मद की राशि को व्यय) किया जाना बताया गया है।

2. **जल एवं वायु सम्मति –**

- क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर द्वारा क्षेत्रफल – 95,310 वर्गमीटर में कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स एवं लॉजिस्टिक पार्क कुल बिल्टअप क्षेत्रफल – 49,056.62 वर्गमीटर हेतु जल एवं वायु सम्मति दिनांक 27/10/2020 को जारी की गई है, जिसकी वैधता 01 वर्ष (First day of month of commissioning of the unit) तक है।

- वर्तमान में स्थापित इकाई हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की गई है।

3. **निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –**

- निकटतम आबादी डुमरतराई 200 मीटर एवं रेल्वे स्टेशन मंदिर हसौद 8.8 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। स्वामी विवेकानंद विमानपत्तन, माना, रायपुर 5.2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। खारुन नदी 8.2 कि.मी. दूर है।

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

4. **भू–स्वामित्व** – भूमि खसरा क्रमांक 185/33, 185/37, 185/38, 185/39, 185/40 सन एण्ड सन इन्फ्रामेट्रिक प्रा.लि., खसरा क्रमांक 185/34, 193/21(पार्ट) श्री मनोज कुमार शर्मा, खसरा क्रमांक 185/24–25(पार्ट) श्री

मनीष शर्मा, खसरा क्रमांक 185/5(पार्ट), 193/3 श्रीमती सरिता शर्मा एवं श्रीमती रश्मि शर्मा, खसरा क्रमांक 193/36(पार्ट) श्री विनोद शर्मा, खसरा क्रमांक 193/38 महामाया गृह निर्माण प्रा.लि., खसरा क्रमांक 194, 195, 196(पार्ट) श्री महेश कुमार शर्मा के नाम पर है।

5. वर्तमान में सुविधाओं का उपयोग प्रतिदिन लगभग 600 व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। प्रस्तावित परियोजना उपरांत सुविधाओं का उपयोग प्रतिदिन लगभग 750 व्यक्तियों द्वारा किया जाएगा।

6. **एरिया स्टेटमेंट –**

S. No.	Particulars	Builtup Area (m^2) as per EC	Builtup Area (m^2) Proposed	Total Area (m^2)
1.	Block - A	5,410.96	-	5,410.96
2.	Block - B	1,486.98	-	1,486.98
3.	Block - B1	6,432.46	-	6,432.46
4.	Block - C	8,179.49	-	8,179.49
5.	Block - D	2,683.24	-	2,683.24
6.	Block - D1	8,587.54	-	8,587.54
7.	Block - E	13,420.01 (Commercial)	-	13,420.01 (Commercial)
8.	Block - F	1,270.06	-	1,270.06
9.	Block - G	354.06	-	354.06
10.	Block - H	1,231.82	21,112.58 (Commercial)	23,344.4
	Total Area	**49,056.62**	**21,112.58**	**70,169.20**

प्रस्तावित उपरांत (Proposed Expansion) –

S. No.	Particulars	Area (m^2) as per EC	Area (m^2) Proposed	Total Area (m^2)
A.	Area under road (Raipur - Abhanpur road)	2,052.22	-	2,052.22
B.	Ground coverage	38,355.48	21,112.58	59,468.06
C.	Open area	9,526.56	5,278.14	14,804.70
D.	Road area	34,899.24	23,643.23	58,542.47
E.	Parking area	10,476.50	2,747.50	13,224.00
F.	**Total land area**	**95,310**	**52,781.45**	**1,48,091.45**

7. **विकास अनुज्ञा** – अपर संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 12214/नग्रानि/धारा–29/पीएल–83/2021 रायपुर दिनांक 01/10/2021 द्वारा ओपन मॉल/वाणिज्यिक प्रयोजन हेतु विकास अनुज्ञा जारी किया गया है।

8. **वायु प्रदूषण नियंत्रण** – निर्माण के दौरान उत्पन्न फ्युजिटिव डस्ट के नियंत्रण हेतु ग्रीन नेट से ढ़क कर निर्माण किया जाएगा एवं नियमित जल छिड़काव किया जाएगा।

9. **ठोस अपशिष्ट प्रबंधन** – परियोजना के विकासोपरांत ठोस अपशिष्ट के संग्रहण हेतु थ्री बिन पद्धति अपनायी जाएगी। परियोजना से उत्पन्न कुल ठोस अपशिष्ट की मात्रा 187.5 किलोग्राम प्रतिदिन एवं हार्टिक्लचर अपशिष्ट की मात्रा 0.526

किलोग्राम प्रतिदिन होगी। एकत्रित अपशिष्ठ को अपवहन हेतु रायपुर नगर निगम को उपलब्ध कराया जाएगा एवं हार्टिक्लचर अपशिष्ट को संग्रहित कर खाद के रूप उपयोग किया जाएगा।

10. **जल प्रबंधन व्यवस्था –**

- **जल खपत एवं स्त्रोत** – वर्तमान में परियोजना हेतु कुल 23.4 घनमीटर प्रतिदिन (घरेलू उपयोग हेतु 14.4 घनमीटर प्रतिदिन एवं फ्लशिंग हेतु 9 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाता है। प्रस्तावित परियोजना उपरांत कुल 29.25 घनमीटर प्रतिदिन (घरेलू उपयोग हेतु 18 घनमीटर प्रतिदिन एवं फ्लशिंग हेतु 11.25 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। आवश्यक जल की आपूर्ति भू–जल एवं नगर पालिक निगम, रायपुर द्वारा की जाती है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत भी यही व्यवस्था रखी जाएगी। वर्तमान में आवश्यक जल की आपूर्ति हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी (9.5 घनमीटर प्रतिदिन) से अनुमति प्राप्त की गई है एवं नगर पालिक निगम, रायपुर को नये नल कनेक्शन करवाने बाबत् आवेदन किया गया है, जो प्रक्रियाधीन है।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण** – उत्पन्न दूषित जल की मात्रा 25.65 घनमीटर प्रतिदिन होगा। दूषित जल के उपचार हेतु एमबीबीआर तकनीक आधारित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्षमता 35 घनमीटर प्रतिदिन स्थापित किया जाएगा। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंतर्गत रॉ–सीवेज स्क्रीनिंग, ऑयल एण्ड ग्रीस ट्रेप, इक्विलाइजेशन टैंक, एमबीबी रिएक्टर, ट्यूब सेटलर, स्लज कलेक्शन टैंक, सर्ज टैंक, प्रेसर सेण्ड फिल्टर, एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर एवं फाईनल कलेक्शन आदि स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। उपचारित दूषित जल की मात्रा 22.65 घनमीटर प्रतिदिन होगी। उपचारित दूषित जल को डिसइन्फेक्शन कर उद्यानिकी हेतु उपयोग किया जाएगा। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से उत्पन्न स्लज की मात्रा 3 घनमीटर प्रतिदिन होगी, जिसका उपयोग खाद बनाने के लिए किया जाएगा।

- **भू–जल उपयोग प्रबंधन** – स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार क्रिटिकल जोन में आता है। जिसके अनुसारः–

  (अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 50 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

  (ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / ऑर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू–जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। अतः परियोजना में रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग** – प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत परिसर में वर्षा के पानी का कुल रनऑफ 34,875 घनमीटर है। वर्तमान में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 22 नग रिचार्ज पिट (व्यास 3 मीटर एवं गहराई 5 मीटर) निर्मित किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत अतिरिक्त 4 नग रिचार्ज पिट (व्यास 5 मीटर एवं गहराई 5 मीटर) निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था पश्चात् परिसर के पूर्ण रनऑफ को रिचार्ज किया जा सकेगा। सभी

रिचार्ज स्ट्रक्चर्स इस प्रकार निर्मित किये गये कि इनमें समान मात्रा में वर्षा जल का बहाव हो सके।

11. **विद्युत खपत** – परियोजना में 2,400 के.व्ही.ए. विद्युत खपत होगी। विद्युत की आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से की जाएगी। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 1,700 के.व्ही.ए. का डी.जी. सेट स्थापित किया जाएगा।

12. **वृक्षारोपण की स्थिति** – हरित पट्टिका का विकास 8,181.88 वर्गमीटर (कुल क्षेत्रफल का 15.5 प्रतिशत) में किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही बफर जोन 2,449.84 वर्गमीटर क्षेत्र में 9 मीटर की चौड़ाई में अतिरिक्त वृक्षारोपण कार्य किया जायेगा। इस प्रकार कुल 10,631.72 वर्गमीटर क्षेत्र (कुल क्षेत्रफल का 20.14 प्रतिशत) में वृक्षारोपण कार्य किया जाना प्रस्तावित है।

13. **ऊर्जा संरक्षण उपाय** – आंतरिक स्थानों (लॉबी एवं कॉमर्शियल एरिया) पर एल.ई.डी. लाइट प्रयुक्त किया गया है। पाथ–वे में सोलर एल.ई.डी. लाईटिंग सिस्टम प्रस्तावित है। कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग की छत में सोलर पैनल की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है।

14. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – सी.ई.आर. के अंतर्गत क्षमता विस्तार के तहत् कुल लागत राशि 17,00,00,000 रूपये का 1 प्रतिशत राशि 17,00,000 रूपये को छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम (Forest Development Corporation) में जमा किये जाने हेतु शपथ पत्र (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

15. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक के द्वारा बताया गया कि प्रस्तावित परियोजना उपरांत अनुमानित 10–15 ट्रकों का आवागमन होगा। इस आशय का शपथ पत्र (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर **समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् ग्राम–डुमरतराई, तहसील व जिला–रायपुर स्थित वर्तमान में खसरा क्रमांक 185/6(पार्ट), 193/1, 193/30(पार्ट), 193/4, 193/28, 193/29, 193/36(पार्ट), 193/37, 193/40, 185/15(पार्ट), 185/20(पार्ट), 185/22(पार्ट), 185/35, 192/3(पार्ट), 192/6, 193/6, 193/7, 193/8, 193/9, 193/10, 193/33(पार्ट), 193/11, 193/12, 193/13(पार्ट), 193/14(पार्ट), 193/16(पार्ट), 193/22, 193/17, 193/18, 193/21(पार्ट), 193/25, 193/26(पार्ट), 193/27, 193/31, 193/32, 193/33(पार्ट), 196(पार्ट), 197 तथा प्रस्तावित खसरा क्रमांक 185/33, 185/37, 185/38, 185/39, 185/40, 185/34, 193/21(पार्ट), 185/24–25(पार्ट), 193/3, 185/5(पार्ट), 193/36(पार्ट), 193/38, 194, 195 एवं 196(पार्ट), कुल क्षेत्रफल–9.531 हेक्टेयर से बढ़ाकर 14.809 हेक्टेयर, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स एवं वेयरहाउसिंग प्रोजेक्ट हेतु कुल बिल्टअप क्षेत्रफल–49,056.62 वर्गमीटर से बढ़ाकर 70,169.2 वर्गमीटर हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 10/10/2022 को संपन्न 130वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये मेसर्स एल.के. कार्पोरेट्स एण्ड लॉजिस्टिक्स पार्क (सन एण्ड सन इन्फ्रामेट्रिक प्राईवेट लिमिटेड) को निम्न अतिरिक्त शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया:–

   i. परियोजना परिसर के भीतर किये जाने वाले वृक्षारोपण की जानकारी जियोटेग (Geotag) फोटोग्राफ्स सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए।

   ii. सी.ई.आर. के तहत् ईको पार्क निर्माण हेतु राशि 17,00,000 रूपये को छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम (Forest Development Corporation) में 03 माह के भीतर जमा कर एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

2. परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं होने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) जमा किये जाने के उपरांत ही परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

3. परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं होने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) जमा किये जाने के उपरांत ही परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

साथ ही समिति द्वारा निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जाए। पालन नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् वैधानिक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 06/02/2024 को सी.ई.आर. के तहत् ईको पार्क निर्माण हेतु राशि 17,00,000 रूपये को छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम (Forest Development Corporation) में 03 माह के भीतर जमा किये जाने के संबंध में तथ्य प्रस्तुत किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 14/03/2024 को संपन्न 167वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/जानकारी/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया:–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत् ईको पार्क निर्माण हेतु राशि 17,00,000 रूपये को छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम (Forest Development Corporation) में 03 माह के भीतर जमा किये जाने के संबंध में निम्न तथ्य प्रस्तुत किया गया है:–

   "In compliance with the stipulated conditions above, we have approached "Forest Development Corporate (FDC)" two or three times to suggest the DPR in context to the CER activities so that we may deposit the CER fund to Forest Development Corporate (FDC). After continuous follow-up, Forest Development Corporate (FDC) denied taking any funds stating that we are not taking any funds for the development of Forests in our state.

   It is our humble request that we do the CER activities as submitted during the presentation before the Honorable CG-SEAC. We are enclosing the

copy of then submitted CER proposal as as per our letter submitted dated 6/10/2023 for your kind perusal and ready reference, please.

We hope the Honorable Authority may consider our request allow us to do CER activity as per our proposal submitted earlier and issue the amended Environment Clearance in context to CER activities as soon as possible."

2. प्राधिकरण द्वारा पाया गया कि पूर्व में परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के अंतर्गत क्षमता विस्तार के तहत् कुल लागत राशि 17,00,00,000 रूपये का 1 प्रतिशत राशि 17,00,000 रूपये होता है, जिसके अनुक्रम में परियोजना प्रस्तावक द्वारा राशि 17,86,940 रूपये हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था:–

i. सी.ई.आर. के अंतर्गत ग्राम डुमरतराई स्थित मुक्तिधाम के चारों ओर वृक्षारोपण हेतु 481 नग पौधों एवं साईट लेवलिंग के लिए राशि 2,66,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 2,53,440 रूपये, खाद, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 3,45,000 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 8,64,440 रूपये व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

ii. सी.ई.आर. के अंतर्गत ग्राम डुमरतराई स्थित तालाब के चारों ओर वृक्षारोपण हेतु 751 नग पौधों एवं साईट लेवलिंग के लिए राशि 3,39,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 3,81,000 रूपये, खाद, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 2,02,500 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 9,22,500 रूपये व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

उपरोक्त वृक्षारोपण कार्य हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा नगर पालिक निगम, रायपुर के सहमति प्राप्त कर प्रस्तुत की गई है।

प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण की 130वीं बैठक दिनांक 10/10/2022 में लिये गये निर्णय अनुसार जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में उल्लेखित शर्त में निम्नानुसार संशोधन किया जाए:–

"सी.ई.आर. के तहत् ईको पार्क निर्माण हेतु राशि 17,00,000 रूपये को छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम (Forest Development Corporation) में 03 माह के भीतर जमा कर एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।"

के स्थान पर

"सी.ई.आर. के अंतर्गत ग्राम डुमरतराई स्थित मुक्तिधाम के चारों ओर वृक्षारोपण हेतु राशि 8,64,440 रूपये एवं ग्राम डुमरतराई स्थित तालाब के चारों ओर वृक्षारोपण हेतु राशि 9,22,500 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 17,86,940 रूपये व्यय किया जाए।"

पढ़ा जाये।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

7. **मेसर्स ताराशिव ब्रिक्स अर्थ क्ले माईन (प्रो.– श्री मोहन पाड़े), ग्राम–ताराशिव, तहसील–बलौदाबाजार, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1783)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 226956/2021, दिनांक 30/08/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से

ज्ञापन दिनांक 07/09/2021 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 22/01/2022 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान एवं फिक्स चिमनी ईंट उत्पादन इकाई है। खदान ग्राम–ताराशिव, तहसील–बलौदाबाजार, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा स्थित खसरा क्रमांक 1411, 1419, 1424, 1429 एवं 1430, कुल क्षेत्रफल–1.04 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–1,579 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 05/05/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 406वीं बैठक दिनांक 09/05/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 09/05/2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से आज बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 21/07/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 418वीं बैठक दिनांक 26/07/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 26/07/2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से आज बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 14/09/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 425वीं बैठक दिनांक 21/09/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री मोहन पाड़े, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

   i. पूर्व में मिट्टी खदान खसरा क्रमांक 1411, 1419, 1424, 1429 एवं 1430, कुल क्षेत्रफल–1.04 हेक्टेयर, क्षमता–1,747.16 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा द्वारा दिनांक 10/01/2017 को जारी की

गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 05 वर्ष तक की अवधि हेतु जारी की गई।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसारः–

"9A. Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid.".

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 09/01/2023 तक वैध होगी।

ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तो के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

iv. खनि निरीक्षक, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 06/09/2022 अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार हैः–

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)	उत्पादन (नग)
दिनांक 01/12/2020 से 31/03/2021 तक	230	1,15,000
2021–22	200	1,00,000
दिनांक 01/04/2022 से 31/08/2022 तक	100	50,000

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत ताराशिव का दिनांक 31/07/2010 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – मॉडिफाईड क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (ख.प्रशा.), जिला–बिलासपुर के पृ. ज्ञापन क्रमांक 2366/2/खनि/मिट्टी/उ.यो./2021 बिलासपुर, दिनांक 04/02/2021 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक/3619/खनि/तीन–1/2021 बलौदाबाजार, दिनांक 24/03/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक/05/खनि/तीन–1/2021 बलौदाबाजार, दिनांक 01/04/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे पुल, रेल लाईन, नहर, बांध, एनीकट, भवन, स्कूल, अस्पताल, वाटर सप्लाई परियोजना, मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारा, मरघट, दार्शिनिक स्थल इत्याकदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **लीज का विवरण** – लीज श्री मोहन पाड़े के नाम पर है। लीज डीड 10 वर्षों अर्थात् दिनांक 29/01/2011 से 28/01/2021 तक की अवधि हेतु वैध थी। तत्पश्चात् लीज डीड 20 वर्षों अर्थात् दिनांक 29/01/2021 से 28/01/2041 तक की अवधि हेतु वैध है।

7. **भू–स्वामित्व** – भूमि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – लीज क्षेत्र से निकटतम वन क्षेत्र की दूरी का उल्लेख करते हुये वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–ताराशिव 400 मीटर, स्कूल ग्राम–ताराशिव 400 मीटर एवं अस्पताल बलौदाबाजार 16 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 28 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 9 कि.मी. दूर है। शिवनाथ नदी 104 मीटर, एनीकट 346 मीटर एवं तालाब 400 मीटर दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 15,721 घनमीटर, माईनेबल रिजर्व 12,402 घनमीटर एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 11,781 घनमीटर है। लीज की 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 623 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैन्युअल विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 2 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1 मीटर एवं चौड़ाई 1 मीटर है। लीज क्षेत्र के भीतर 437 वर्गमीटर में क्षेत्र ईंट निर्माण हेतु भठ्ठा स्थापित है, जिसकी फिक्स चिमनी की ऊंचाई 30 मीटर है। ईंट निर्माण हेतु मिट्टी के साथ 50 प्रतिशत फ्लाई ऐश का उपयोग किया जाता है। खदान की संभावित आयु 7.8 वर्ष है। एक लाख ईंट निर्माण हेतु 4 टन कोयला की आवश्यकता होती है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। अनुमोदित क्वारी प्लान अनुसार वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)
प्रथम	1,579	पंचम	1,579

द्वितीय	1,579	षष्टम	1,579
तृतीय	1,579	सप्तम	1,579
चर्तुथ	1,579	अष्ठम	1,349

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। खदान में विभिन्न क्रियाकलापों (जल छिड़काव, वृक्षारोपण आदि) हेतु जल की आपूर्ति टैंकर के माध्यम से किया जाएगा एवं पेयजल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से किया जाएगा। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 1 मीटर की पट्टी में 350 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। समिति का मत है कि लीज क्षेत्र के चारों ओर 1 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

15. **गैर माईनिंग क्षेत्र** – लीज क्षेत्र में ऑफिस हेतु 38 वर्गमीटर क्षेत्र एवं मिट्टी के रखरखाव हेतु 517 वर्गमीटर क्षेत्र को गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है, जिसका उल्लेख माईनिंग प्लान में किया गया है।

16. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
40	2%	0.80	Following activities at Nearby Government Higher Secondary School, **Village-Tarashiv**	
			Rain Water Harvesting	0.60
			Potable Drinking Water Facility	0.15
			Plantation (30 plants)	0.072
			Total	**0.822**

17. सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

18. ईट निर्माण से जनित फ्लाई ऐश का उपयोग पुनः ईट निर्माण में किये जाने एवं रिजेक्ट ब्रिक्स (Reject bricks)/ब्रोकन ब्रिक्स (Broken bricks) का उपयोग पहुंच मार्ग के रख–रखाव में किये जान बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है ।

19. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 22/02/2022 के अनुसार ईट निर्माण प्रक्रिया में ईट पकाने (फिक्स चिमनी में) की विधि दो वर्ष के भीतर जिग–जैग तकनीक से किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. भू–स्वामित्व संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
3. लीज क्षेत्र से निकटतम वन क्षेत्र की दूरी का उल्लेख करते हुये वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
4. जल की आपूर्ति हेतु ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
5. लीज क्षेत्र के चारों ओर 1 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
6. ईट निर्माण से जनित फ्लाई ऐश का उपयोग पुनः ईट निर्माण में किये जाने एवं रिजेक्ट ब्रिक्स (Reject bricks)/ब्रोकन ब्रिक्स (Broken bricks) का उपयोग पहुंच मार्ग के रख–रखाव में किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
7. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 22/02/2022 के अनुसार ईट निर्माण प्रक्रिया में ईट पकाने (फिक्स चिमनी में) की विधि दो वर्ष के भीतर जिग–जैग तकनीक से किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
8. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
9. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का वचन पत्र प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 02/01/2023 को परियोजना प्रस्तावक एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया गया है। वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 10/05/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(द) समिति की 474वीं बैठक दिनांक 13/07/2023:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गईः–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन हेतु एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर में दिनांक 30/03/2022 को आवेदन किया गया है, जो आज दिनांक तक अप्राप्त है। साथ ही एस.ई.ए.सी. के ज्ञापन दिनांक 02/01/2023 के माध्यम से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन हेतु एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया गया है, जो कि अप्राप्त है।

   परियोजना प्रस्तावक द्वारा पालन प्रतिवेदन 6 माह के भीतर प्राप्त होने पर कार्यालय में प्रस्तुत किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है। उपरोक्त के अनुक्रम में समिति का मत है कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. भूमि खसरा क्रमांक 1411, 1424 श्री मोहन पाड़े, खसरा क्रमांक 1419, 1429 एवं 1430 श्री चिन्ता राम पाड़े के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि खसरा क्रमांक 1429 एवं 1430 श्री चिन्ता राम पाड़े का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. कार्यालय वनमण्डल अधिकारी, बलौदाबाजार वनमण्डल, जिला–बलौदाबाजार के ज्ञापन क्र./तकनीकी/खनिज/1125 बलौदाबाजार, दिनांक 21/04/2023 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र कक्ष क्रमांक 09 लटुवा से 13.5 कि.मी., कक्ष क्रमांक 26 धाराशिव से 16.2 कि.मी. एवं कक्ष क्रमांक 24 खैरवारहीड से 22.6 कि.मी. की आकाशीय दूरी पर है।

4. जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से किये जाने बाबत् सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

5. लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 1 मीटर की पट्टी में 350 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 31,550 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 2,73,050 रूपये, खाद के लिए राशि 6,310 रूपये, सिंचाई एवं रख–रखाव आदि के लिए राशि 72,620 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 3,83,530 रूपये प्रथम वर्ष हेतु एवं रख–रखाव हेतु कुल राशि 3,22,032 रूपये आगामी चार वर्षों हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

6. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक 255/न.क्र./तीन–6/ख.प./2022 बलौदाबाजार, दिनांक 08/02/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार हैः–

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)	उत्पादन (नग)
दिनांक 01/12/2020 से 31/03/2021 तक	230	1,15,000
2021–22	200	1,00,000
2022–23 (दिनांक 31/01/2023 तक)	100	50,000

7. ईट निर्माण से जनित फ्लाई ऐश का उपयोग पुनः ईट निर्माण में किये जाने एवं रिजेक्ट ब्रिक्स (Reject bricks)/ब्रोकन ब्रिक्स (Broken bricks) का उपयोग पहुंच मार्ग के रख–रखाव में किये जान बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

8. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 22/02/2022 के अनुसार ईट निर्माण प्रक्रिया में ईट पकाने (फिक्स चिमनी में) की विधि दो वर्ष के भीतर जिग–जैग तकनीक से किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

9. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

10. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

13. सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

14. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

   b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक/3619/खनि/तीन–1/2021 बलौदाबाजार, दिनांक 24/03/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–ताराशिव) को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 1.04 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर से प्राप्त कर एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स ताराशिव ब्रिक्स अर्थ क्ले माईन (प्रो.– श्री मोहन पाड़े) को ग्राम–ताराशिव, तहसील–बलौदाबाजार, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा के खसरा क्रमांक 1411, 1419, 1424, 1429 एवं 1430 में स्थित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान कुल क्षेत्रफल–1.04 हेक्टेयर, क्षमता–1,579 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 03/10/2023 को संपन्न 155वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया थाः–**

1. समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक – मेसर्स ताराशिव ब्रिक्स अर्थ क्ले माईन (प्रो.– श्री मोहन पाड़े) को पर्यावरणीय स्वीकृति निम्न शर्त के अधीन दिए जाने का निर्णय लिया गयाः–

   "सी.ई.आर. के तहत् एवं 1 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में किये जाने वाले वृक्षारोपण का सत्यापन वन विभाग के सक्षम अधिकारी अथवा वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण के सत्यापन हेतु अधिकृत संस्थाओं (थर्ड पार्टी) से अनुमोदन कराकर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।"

   साथ ही समिति द्वारा निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् वैधानिक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर से प्राप्त कर प्रस्तुत किये जाने के उपरांत ही परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 12/02/2024 को पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर से प्राप्त कर प्रस्तुत किये जाने के संबंध में तथ्य प्रस्तुत किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 14/03/2024 को संपन्न 167वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/जानकारी/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया

गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर से प्राप्त किये जाने के संबंध में परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि यह पूर्व से संचालित खदान है, जिसकी पर्यावरणीय स्वीकृति डी.ई.आई.ए.ए. से मिली थी। इसके पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित शर्तों का पालन प्रतिवेदन हमारे द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर में जमा करने गये तब उक्त ऑफिस ने ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) का हवाला देते हुये कहा गया कि हमारा कार्यालय केवल क्षमता विस्तार के प्रकरणों में ही सीसीआर देती है वो भी उन खदानों को जिनकी पर्यावरण स्वीकृति जीवित है तथा आवेदन लेने से मना कर दिया। इस बाबत् हमने सीसीआर के लिए क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ संरक्षण मंडल, रायपुर में भी आवेदन किया है उन्होने भी ऑफिस मेमोरण्डम F- No- IA3&22/10/2022&IA-III [E 1772581] दिनांक 08/06/2022 का हवाला देते हुये पर्यावरण स्वीकृति समाप्ति/बिना क्षमता विस्तार वाले प्रकरणों में सीसीआर देने से मना कर दिया है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा शीघ्र अतिशीघ्र पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. प्राधिकरण की 155वीं बैठक दिनांक 03/10/2023 को लिये गये निर्णय अनुसार निम्नानुसार अतिरिक्त शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया:–
   i. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति शर्तो के पालनार्थ की गई कार्यवाही का पालन प्रतिवेदन छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर से 03 माह के भीतर प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
   ii. लीज जारी होने के पश्चात् 1 मीटर की सीमा पट्टी में तीन पंक्तियों में पौधों का रोपण कर, पौधों का नामांकन एवं संख्यांकन कर फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।
   iii. सी.ई.आर. के तहत् एवं लीज क्षेत्र के 1 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में किये जाने वाले वृक्षारोपण का सत्यापन वन विभाग के सक्षम अधिकारी अथवा वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण के सत्यापन हेतु अधिकृत संस्थाओं (थर्ड पार्टी) से अनुमोदन कराकर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।
   iv. सी.ई.आर. के अंतर्गत स्कूल में किये जाने वाले वृक्षारोपण के सत्यापन हेतु जियोटेग फोटोग्राफ्स सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई. आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।
   v. खनिज का परिवहन कव्हर्ड वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

साथ ही समिति द्वारा निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् वैधानिक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

8. मेसर्स बारगांव ब्रिक्स अर्थ क्ले क्वारी (प्रो.– श्री फालेश कुमार साहू), ग्राम–बारगांव, तहसील–बेरला, जिला–बेमेतरा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2324)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 416899/2023, दिनांक 03/03/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–बारगांव, तहसील–बेरला, जिला–बेमेतरा स्थित खसरा क्रमांक 370/1, 370/2, 370/3 एवं 371/1, कुल क्षेत्रफल–2.04 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित मिट्टी उत्खनन क्षमता–1,200 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 10/04/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 459वीं बैठक दिनांक 18/04/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री फालेश कुमार साहू, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गईः–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरणः–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बारगांव का दिनांक 06/06/2022 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप–संचालक, खनिज प्रशासन, जिला–दुर्ग के पृ. ज्ञापन क्रमांक 1568/खनि. अनु–01/2022 दुर्ग, दिनांक 11/01/2023 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा, जिला–बेमेतरा के ज्ञापन क्रमांक 862/खनि.लि./उ.प./मिट्टी/2023 बेमेतरा, दिनांक 25/01/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा, जिला–बेमेतरा के ज्ञापन क्रमांक 863/खनि.लि./उ.प. /मिट्टी/2023 बेमेतरा, दिनांक 25/01/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, पुल, नदी, रेल लाईन, अस्पताल, स्कूल, एनीकट एवं बांध आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नही है।
6. **भूमि एवं एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – भूमि एवं एल.ओ.आई. श्री फालेश कुमार साहू के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा, जिला–बेमेतरा के ज्ञापन क्रमांक 727/खनि.लि./डोलो/2020 बेमेतरा, दिनांक 13/12/2022 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है।
7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, दुर्ग वनमण्डल, जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक/तक.अधि./2022/4134 दुर्ग, दिनांक 19/09/2022 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–पिपरोलडीह 530 मीटर, स्कूल ग्राम–पिपरोलडीह 700 मीटर एवं अस्पताल आनंदगांव 4.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 12 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 1 कि.मी. दूर है। तालाब 100 मीटर एवं शिवनाथ नदी 4.5 कि.मी. दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 40,800 घनमीटर, माईनेबल रिजर्व 34,550 घनमीटर है। लीज की 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 700 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैनुअल विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 2 मीटर है। लीज क्षेत्र के भीतर 1,750 वर्गमीटर क्षेत्र में ईंट निर्माण हेतु भट्ठा स्थापित किया जाना प्रस्तावित है, जिसकी फिक्स चिमनी की ऊंचाई 30 मीटर होगी। ईंट निर्माण हेतु मिट्टी के साथ 50 प्रतिशत फ्लाई ऐश का उपयोग किया जाता है। बेंच की ऊंचाई 1 मीटर एवं चौड़ाई 1 मीटर है। खदान की संभावित आयु 29 वर्ष है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जायेगा। अनुमोदित क्वारी प्लान अनुसार वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)
प्रथम	1,200
द्वितीय	1,200
तृतीय	1,200
चर्तुथ	1,200
पंचम	1,200

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 6 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जाएगी। भू–जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 1 मीटर की पट्टी में 700 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 35,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 1,51,125 रूपये, खाद के लिए राशि 21,000 रूपये, सिंचाई एवं रख–रखाव आदि के लिए राशि 92,800 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 2,99,925 रूपये प्रथम वर्ष हेतु एवं रख–रखाव हेतु कुल राशि 3,43,600 रूपये आगामी चार वर्षों हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

14. **गैर माईनिंग क्षेत्र** – लीज क्षेत्र में 450 वर्गमीटर क्षेत्र को रॉ–मटेरियल एकत्रित करने तथा 50 वर्गमीटर क्षेत्र को कार्यालय निर्माण करने हेतु गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है, जिसका उल्लेख अनुमोदित क्वारी प्लान किया गया है।

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
49.75	2%	0.995	Following activities at **Village- Bargaon**	
			Pavitra van Nirman	3.81
			Total	**3.81**

16. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत् (आंवला, बड़, पीपल, नीम, आम, अर्जुन, जामुन, अमलतास, कदम आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 200 नग पौधों के लिए राशि 10,000 रूपये, ट्री–गार्ड के लिए राशि 30,000 रूपये, खाद के लिए राशि 2,000, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 69,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 1,11,000 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 2,70,000 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत बारगांव के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 42/1, क्षेत्रफल 9.28 हेक्टेयर में से 0.5 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के भीतर ईट भठ्ठा का निर्माण निकटतम ग्रामीण क्षेत्र से 824 मीटर दूरी में निर्माण किये जाने बाबत् ईट भठ्ठा से निकटतम ग्रामीण क्षेत्र (अंक्षाश 21°32'51.64" देशांतर 81°34'13.88") को नक्शे में दर्शाते हुए जानकारी प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वर्तमान में लीज क्षेत्र में फिक्स चिमनी का निर्माण कार्य आबादी से न्यूनतम 800 मीटर की दूरी छोड़कर किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है, जबकि अनुमोदित माईनिंग प्लान में उक्त का उल्लेख नहीं है। समिति का मत है कि आबादी क्षेत्र से न्यूनतम 800 मीटर की दूरी छोड़ते हुए (गैर माईनिंग क्षेत्र) संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवेदित क्षेत्र के 1 कि.मी. के परिधि में अन्य कोई लीज/ईंट भट्टा संचालित नहीं होने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि उक्त के संबंध में कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा से 1 कि.मी. की परिधि में अन्य कोई लीज/ईंट भट्टा संचालित है अथवा नहीं? के संबंध में प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में लीज क्षेत्र में किसी प्रकार का उत्खनन कार्य नहीं किये जाने एवं भविष्य में भी 50 प्रतिशत की दर से मिट्टी और फ्लाई ऐश का उपयोग कर ईंट निर्माण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

20. फिक्स चिमनी की ऊँचाई कम से कम 30 मीटर रखे जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

21. ईंट को पकाने के लिए ईंट भट्टें में केवल जिग–जैग तकनीक या वर्टिकल शाफ्ट तकनीक का उपयोग किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

22. कच्चे माल/ईंट परिवहन के दौरान वाहनों को ढककर रखे जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

23. ईंट भट्टे से निकलने वाले राख का उपयोग इसी परिसर में पुनः कच्चे ईंट निर्माण में किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

24. उत्सर्जन के निगरानी के लिए केन्द्रीय प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मापदण्डों/रूपरेखा अनुसार ईंट भट्टे में स्थाई सुविधा (पोर्ट होल्स एवं प्लेटफॉर्म) का निर्माण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

25. ईंट निर्माण में अनुमोदित ईंधन (कोयला, कृषि अपशिष्ट आदि) का उपयोग किये जाने तथा खतरनाक अपशिष्ट जैसे टायर/प्लास्टिक, पेंटकोक आदि का उपयोग नहीं किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

26. ईंट निर्माण में उपयोग किये जाने वाले ईंधन (कोयला) को रजिस्टर्ड कोल डिपो या कोल माईन से खरीदे जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

27. परियोजना से जिन–जिन स्थलों से फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

28. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

29. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कन्सेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत् बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमाकंन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

30. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं कियो जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

31. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

32. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उन्हे भविष्य में पर्यावरण स्वीकृति शर्तों के उल्लंघन का दोषी पाये जाने पर जो भी कार्यवाही होगी वह उन्हे मान्य होगी तथा उनके द्वारा भविष्य में पर्यावरण नियमों एवं शर्तों का पालन किया जाएगा।

33. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

34. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

35. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके द्वारा राज्य स्तर पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ द्वारा निहित किये गए शर्तों का पालन किया जाएगा एवं ऐसे न किये जाने की स्थिति में वह विधिवत वैधानिक एवं दण्डात्मक कार्यवाही स्वीकार करेंगे।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. एक लाख ईंट निर्माण हेतु कितने कोयले की आवश्यकता होगी के संबंध में गणना सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए। साथ ही कोयले के परिवहन एवं भण्डारण हेतु की गई आवश्यक व्यवस्था की जानकारी भी प्रस्तुत किया जाए।
2. आबादी क्षेत्र से न्यूनतम 800 मीटर की दूरी छोड़ते हुए (गैर माईनिंग क्षेत्र) तथा प्रस्तावित ईट निर्माण की संख्या का भी उल्लेख करते हुए संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए।
3. ब्लॉक रिर्जव की गणना से चिमनी को हटाते हुए तथा प्रस्तावित ईट निर्माण की संख्या का भी उल्लेख करते हुए संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए।
4. कलेक्टर खनिज शाखा से 1 कि.मी. की परिधि में अन्य कोई लीज/ईट भट्टा संचालित है अथवा नहीं? के संबंध में प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 02/06/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 10/07/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ब) समिति की 478वीं बैठक दिनांक 27/07/2023:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि एक लाख ईट निर्माण में लगभग 3 टन कोयले की आवश्यकता होगी इस आधार पर प्रस्तावित 12 लाख ईट निर्माण के लिए 36 टन प्रतिवर्ष कोयले की आवश्यकता होगी। उपरोक्त जानकारी अनुमोदित खनन योजना के पृष्ठ क्रमांक 11 में उल्लेख किया गया है। कोयले के ग्रेड मे अंतर आने पर इसके मात्रा मे अंतर आ सकता है जो कुल मात्रा का 10 प्रतिशत से 20 प्रतिशत हो सकता है।

2. आबादी क्षेत्र/स्कूल से लीज क्षेत्र 700 मीटर पर स्थित है परंतु पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 22/02/2022 को ध्यान मे रखते हुए चिमनी भट्टे को आबादी से 800 मीटर दूर स्थापित करने का प्रस्ताव दिया हुआ है जिसे अनुमोदित खनन योजना मे लगे नक्शों में प्रदर्शित किया गया है तथा भट्टे को आबादी से 800 मीटर दूर स्थापित करने हेतु आपके विभाग मे शपथ पत्र पूर्व मे जमा किया गया है।

3. अनुमोदित खनन योजना मे चिमनी क्षेत्र की गणना बाधित क्षेत्र में किया गया है अतः इस क्षेत्र पर संशोधित खनन योजना की आवश्यकता नहीं होगी।

   अनुमोदित खनन योजना मे स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि 1 घनमीटर मिटटी और 1 घनमीटर फ्लाई एश के मिश्रण से 1,000 नग ईट का निर्माण होता है जिस आधार पर क्षेत्र मे 12 लाख ईट प्रतिवर्ष ईट निर्माण के लिए 1,200 घनमीटर मिटटी उत्खनन का प्रस्ताव अनुमोदित खनन योजना में दिया गया है अतः इस क्षेत्र के लिए संशोधित खनन योजना की आवश्यकता नहीं है। समिति का मत है कि आबादी क्षेत्र से न्यूनतम 800 मीटर की दूरी छोड़ते हुए (गैर माईनिंग क्षेत्र) संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

4. कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा, जिला–बेमेतरा के पत्र क्रमांक 280/खनि.लि./उ.प./मिट्टी चिमनी ईट/2023 बेमेतरा, दिनांक 16/06/2023 के अनुसार "प्रमाणित किया जाता है कि श्री फालेश कुमार साहू आ. बोधी राम साहू, निवासी परशुराम, सिंघारी वार्ड नं. 13, तहसील व जिला–बेमेतरा के ग्राम–बारगांव, तहसील–बेरला, जिला–बेमेतरा के खसरा क्रमांक 371/1, 370/2, 370/1 एवं 370/3 का कुल रकबा 2.04 हेक्टेयर क्षेत्र पर खनिज मिटटी (चिमनी ईट) स्थित खदान से 1 किलोमीटर की परिधि में अन्य कोई ईट भटठा या लीज संचालित नहीं है।"

5. सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

6. सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

7. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा, जिला–बेमेतरा के ज्ञापन क्रमांक 862/खनि. लि./उ.प./मिट्टी/2023 बेमेतरा, दिनांक 25/01/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है। आवेदित खदान (ग्राम–बारगांव) का क्षेत्रफल 2.04 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. आबादी क्षेत्र से न्यूनतम 800 मीटर की दूरी छोड़ते हुए (गैर माईनिंग क्षेत्र) संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान को एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स बारगांव ब्रिक्स अर्थ क्ले क्वारी (प्रो.– श्री फालेश कुमार साहू) को ग्राम–बारगांव, तहसील–बेरला, जिला–बेमेतरा के खसरा क्रमांक 370/1, 370/2, 370/3 एवं 371/1 में स्थित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान कुल क्षेत्रफल–2.04 हेक्टेयर, क्षमता–1,200 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 11/10/2023 को संपन्न 156वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था** कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 22/02/2022 के अनुसार आबादी क्षेत्र से न्यूनतम 800 मीटर की दूरी छोड़ते हुए (गैर माईनिंग क्षेत्र) संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किये जाने के उपरांत ही आगामी कार्यवाही की जाएगी।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 02/06/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 19/10/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रेषित किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 09/01/2024 को संपन्न 161वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/जानकारी/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत तथ्य निम्नानुसार है:–

आबादी क्षेत्र लीज क्षेत्र से 700 मीटर पर स्थित है। परंतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 22/02/2022 को ध्यान में रखते हुये चिमनी भट्ठे को आबादी से 800 मीटर दूर स्थापित करने का प्रस्ताव अनुमोदित खनन योजना में दिया गया है तथा इस क्षेत्र (सम्पूर्ण भट्ठा क्षेत्र) के रिजर्व को बाधित श्रेणी में रखा गया है। इस रिजर्व को घटाकर खनन योग्य खनिज भण्डार की गणना अनुमोदित खनन योजना में किया गया है, जिसे अनुमोदित खनन योजना के नक्शों में प्रदर्शित किया गया है तथा ईंट भट्ठे को आबादी से 800 मीटर दूर स्थापित करने हेतु जानकारी के लिए आबादी का अक्षांश–देशांश एवं चिमनी का अक्षांश–देशांश वर्णित करते हुये नक्शा, पूर्व में विभाग

में जमा किया गया था, जिस आधार पर इस क्षेत्र का संशोधित खनन योजना अनुमोदित कराने की आवश्यकता नहीं है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 09/01/2024 को संपन्न 161वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. ईंट भट्टा से आबादी क्षेत्र की न्यूनतम दूरी (Arial distance) के संबंध में जानकारी/दस्तावेज को सक्षम प्राधिकारी (खनिज विभाग) से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाए।
2. एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि के संबंध में जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 20/11/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 12/02/2024 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 14/03/2024 को संपन्न 167वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/जानकारी/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि:–

1. ईंट भट्टा से आबादी क्षेत्र की न्यूनतम दूरी (Arial distance) के संबंध में जानकारी/दस्तावेज को सक्षम प्राधिकारी (खनिज विभाग) से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किये जाने के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्न तथ्य प्रस्तुत किया गया है:–

   आपके निर्देशानुसार मेरे द्वारा कई बार माइनिंग ऑफिस में जाकर उक्त क्षेत्र का आबादी से दूरी संबंधी प्रमाण पत्र के लिए निवेदन किया गया जिस आधार पर उनके द्वारा कहा गया कि उक्त क्षेत्र से दूरी संबंधी जानकारी माइनिंग विभाग नहीं दे सकता यह उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, एवं विभाग द्वारा सुझाव दिया गया कि यह प्रकरण/वांछनीय जानकारी राजस्व विभाग से संबंधित है तथा राजस्व विभाग का समक्ष अधिकारी पटवारी होता है जो अपने कार्य क्षेत्र के भोगोलिक स्थिति एवं संरचनाओं से भली भाति परिचित/अवगत रहता है अतः आप उक्त कार्य हेतु ग्राम पटवारी से मौका सत्यापन करा कर पर्यावरण विभाग को अवगत करायें।

   जिस आधार पर मेरे द्वारा पटवारी से निवेदन किया गया तथा उनके द्वारा राजस्व रिकार्ड देखकर एवं मौका निरीक्षण कर नजरी नक्शा सत्यापित कर मुझे दिया गया है जिससे स्पष्ट होता है कि लीज क्षेत्र की आबादी से दूरी 740 मीटर है तथा लीज क्षेत्र में प्रस्तावित भट्ठा से आबादी की दूरी 800 मीटर से अधिक है।

   पटवारी द्वारा मौका निरीक्षण कर नजरी नक्शा सत्यापित कर प्रस्तुत किया गया है।

2. एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि के संबंध में संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के पृ. ज्ञापन क्रमांक 192/खनि 02/उ.प.

–अनु.निष्पा./न.क्र.50/2017(3) नवा रायपुर, दिनांक 09/01/2024 द्वारा जारी पत्र अनुसार "पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने एवं उत्खनिपट्टा स्वीकृति आदेश जारी करने हेतु अतिरिक्त समयावधि प्रदान किया जाता है।" का उल्लेख है।

प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक – मेसर्स बारगांव ब्रिक्स अर्थ क्ले क्वारी (प्रो.– श्री फालेश कुमार साहू) को निम्नानुसार अतिरिक्त शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया:–
   i. लीज जारी होने के पश्चात् 1 मीटर की सीमा पट्टी में तीन पंक्तियों में पौधों का रोपण कर, पौधों का नामांकन एवं संख्यांकन कर फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।
   ii. सी.ई.आर. के तहत् एवं लीज क्षेत्र के 1 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में किये जाने वाले वृक्षारोपण का सत्यापन वन विभाग के सक्षम अधिकारी अथवा वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण के सत्यापन हेतु अधिकृत संस्थाओं (थर्ड पार्टी) से अनुमोदन कराकर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।
   iii. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत् किये जाने वाले वृक्षारोपण के सत्यापन हेतु जियोटेग फोटोग्राफ्स सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।
   iv. खनिज का परिवहन कव्हर्ड वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

साथ ही समिति द्वारा निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् वैधानिक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

एजेण्डा आयटम क्रमांक–4 **पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन हेतु प्राप्त आवेदन के संबंध में निर्णय लिया जाना।**

1. **मेसर्स भैरमगढ़ टेम्परारी ऑर्डिनरी स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री सुरेश चन्द्राकर), नगर पंचायत–भैरमगढ़, तहसील–भैरमगढ़, जिला–बीजापुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2495)**

आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 431725/ 2023, दिनांक 31/05/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया है। वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 13/02/2024 के माध्यम से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन हेतु अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया है।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 2764, दिनांक 29/01/2024 के परिपेक्ष्य में मेसर्स भैरमगढ़ टेम्परारी ऑर्डिनरी स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री सुरेश चन्द्राकर) को नगर पंचायत–भैरमगढ़, तहसील–भैरमगढ़, जिला–बीजापुर के पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 716 में स्थित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–2.788 हेक्टेयर में से 1 हेक्टेयर, 2 वर्षों में कुल क्षमता – 2,00,083 टन से अधिक न हो, हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया गया है।

वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 13/02/2024 के माध्यम से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में चूना पत्थर (गौण खनिज) **के स्थान पर साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान** किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 14/03/2024 को संपन्न 167वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/जानकारी/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु पूर्व ऑनलाईन आवेदन प्रपोजल नम्बर 431725, दिनांक 31/05/2023 में प्रस्तुत समस्त जानकारी/दस्तावेजों में **साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान** का उल्लेख है। अतः टंकण त्रुटिवश साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान के स्थान पर चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान का उल्लेख हो गया है।

प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में उल्लेखित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान **के स्थान पर** साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान **पढ़ा जाये।**

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन बाबत् पत्र जारी किया जाए।

बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ संपन्न हुई।

(अरूण प्रसाद पी.)
सदस्य सचिव,
राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन
प्राधिकरण, छत्तीसगढ़

(देबाशीष दास)
अध्यक्ष,
राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन
प्राधिकरण, छत्तीसगढ़

(डॉ. दीपक सिन्हा)
सदस्य
राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़